लोकमानस

loksatta@expressindia.com

नवमतदार अधिक सजग, कमी बांधील

'ये तो सिर्फ 'बांकी' है...?' हा अग्रलेख (५ ऑगस्ट) वाचला. पोटनिवडणुका सत्ताधाऱ्यांना साचलेल्या असंतोषाचा इशारा देण्याचे काम करतात. त्यामुळे अनेकदा पोटनिवडणुकांचे निकाल मुख्य निकालांपेक्षा वेगळे लागतात. खरे तर सवर्ण हिंदूंची संख्या अधिक असणे आणि तुलनेने मुस्लिम-यादव मते कमी असणे ही बांकीपूरमधली स्थिती भाजपच्या राजकारणातील सर्वात आदर्श स्थिती होती. तरीही या बालेकिल्ल्यात पराभव झाला. कारण निवडणूकशास्त्रात बहुकारणवाद महत्त्वाचा असतो. स्थानिक नेतृत्व, उमेदवारांची निवड, जातीय समीकरणे, गटबाजी, संघटनात्मक शिथिलता आणि स्थानिक प्रश्न यांचाही तितकाच प्रभाव निकालांवर पडतो. त्यातच तरुण वर्गातील असंतोष तसेच रोजगार आणि शिक्षणासंबंधी प्रश्नांचा परिणाम झाल्याचे दिसले. सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या मतदारसंघांत मताधिक्य कमी झाल्यास किंवा पराभव झाल्यास ते निश्चितच सत्ताधाऱ्यांसाठी आत्मपरीक्षणाचे कारण ठरते.

भारतीय नवमतदार आता कृतज्ञ राहिला नसून व्यवहारवादी होत आहे. त्यामुळे तो कोणत्याही पक्षाशी कायमस्वरूपी बांधील राहील असे वाटत नाही. रस्ते, नोकरी, परीक्षा, पाणी, स्थानिक प्रशासन, महागाई याला तो अधिक महत्त्व देतो. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाचा पारंपरिक गड कायमचा सुरक्षित राहील, ही कल्पना कालबाह्य होत आहे. तरीही, पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरून व्यापक राजकीय प्रवाह निश्चित झाल्याचे मानणे धाडसाचे ठरेल. मतदार अनेकदा सत्ताधाऱ्यांना इशारा देताना विरोधकांनाही निर्विवाद पर्याय म्हणून स्वीकारतातच असे नाही. त्यामुळे या निकालांतून 'सत्ताधाऱ्यांचा ऱ्हास सुरू झाला' किंवा 'विरोधकांचे पुनरागमन सुरू झाले' असे टोकाचे निष्कर्ष काढण्यापेक्षा 'मतदार अधिक सजग आणि कमी बांधील होत आहेत' या दृष्टीने पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

■ **हेमंत पाटील,** नालासोपारा

भाजप पराभवातून शहाणा होणारा पक्ष

'ये तो सिर्फ 'बांकी' है...?' हे संपादकीय (ऑगस्ट) वाचले. जंतर-मंतर आंदोलनाने मोदी सरकारची दाणादाण उडवली असतानाच तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे भाजपच्या मनमानीला धक्का देणारे आहेत. विशेषतः बांकीपूर मतदारसंघ हा गेली तीन दशके भाजपचा अभेद्य गड मानला जात होता. अशा मतदारसंघात भाजपचा पराभव करून आजवर पडद्यामागून निवडणुकांचे नियोजन करणारे रणनीतीकार आणि आता जनसुराज पक्षाचे प्रमुख असलेले प्रशांत किशोर यांनी भाजपचा अभेद्य गड सर केला. हा पराभव दुर्लक्ष करता येईल असा नाही.

भाजपने ही जागा अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती. विजय आपलाच आहे, या भ्रमात भाजप नेते होते. लोकशाहीत अहंकार नसावा, पण भाजपमध्ये सत्तेचा अहंकार वाढला आहे. त्यामुळे या निकालाची राजकीय चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. किशोर यांनी मिळविलेला विजय भाजपला निश्चितच धक्कादायक आहे. जेडीयूच्या पारड्यातही मते पडलेली नाहीत. मध्यम वर्गात नाराजी आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलन, नितीशकुमार यांना ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून सम्राट चौधरी यांना तिथे बसविण्यात आले, ती नाराजीही भोवल्याचे दिसते. विरोधी पक्षांनाही थोडेफार आत्मबळ देणारा हा विजय आहे, पण यावरून भाजपविरोधात जनमत तयार झाले असा अंदाज काढणे चुकीचे ठरेल. कारण भाजप असा पक्ष आहे, जो पराभवातून शहाणा होतो, पण विरोधक शहाणे होत नाहीत.

■ **सुनील कुवरे,** शिवडी (मुंबई)

बदलाच्या वाऱ्यांचे संकेत

'ये तो सिर्फ 'बांकी' है...?' हा अग्रलेख वाचला. देशाच्या राजकारणात भाजपविरोधी वारे वाहू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत. बिहारच्या बांकीपूर पोटनिवडणुकीत जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी दणदणीत विजय मिळवून भाजपला जबरदस्त धक्का दिला. खरे पाहता प्रशांत किशोर यांनी जोखीम पत्करून स्वतःला पणाला लावून हे यश मिळविले आहे. भाजपसाठी हा जबरदस्त धक्का आहे. मध्य प्रदेशातील दांतिया मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने बाजी मारली आहे. काँग्रेस आमदाराची निवड अवैध ठरल्यामुळे येथे पोटनिवडणूक झाली. भाजपसारख्या ठक आणि ठगांच्या सत्ताकाळात जागा राखणे म्हणजे मोठे दिव्यच! म्हणूनच काँग्रेसचे हे यश निश्चितच मोठे आहे. एकूणच भाजपच्या विरोधात देशात बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत याचेच हे संकेत आहेत.

■ **श्रीकांत जाधव,** सातारा

जे नाराज नव्हते तेही आता विरोधात

'ये तो सिर्फ 'बांकी' है...?' हे संपादकीय (५ जुलै) वाचले. भाजपशासित राज्यांतील पोटनिवडणुकीत भाजपच्या मतांत जी लक्षणीय घट झाली, तिला जेन-झीच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. शिक्षण क्षेत्रात सरकारने जो घोळ घालून ठेवला आहे, त्यात जे विद्यार्थी भरडले गेले ते, त्यांचे पालक, नातेवाईक, शिक्षक यांच्यात तर नाराजी आहेच, पण यापूर्वी सरकारविरोधी नसलेल्यांच्याही मनात हे आंदोलन ज्या पद्धतीने हाताळले गेले, ते पाहता राग निर्माण झाला असणे साहजिकच आहे. मतदारांना गृहीत धरणे चुकीचेच. मतदार हा झालेला अन्याय लक्षात ठेवतो. नवमतदार हा अतिशय सावध, अभ्यासू आणि तडकाफडकी उत्तर देणारा, विचार करणारा, आश्वासनांपेक्षा आजच्या वास्तवाला अधिक महत्त्व देणारा आहे. त्याला गृहीत धरणे कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नाही.

■ **कबीर चंदनशिवे,** डोंबिवली

मोदीच माफ करू शकतात

''ही' भाषा वापरण्याची वेळ का आली?' हा लेख (४ ऑगस्ट) वाचला. मुले लहान आहेत, संतापाच्या अतिरेकात बोलून गेली असतील हे मान्य. पण तरीही या भाषेचे समर्थन करणे अतिशय अयोग्य आहे. तरुणाईवर अशी शिवराळ भाषा वापरण्याची वेळ आणली गेली, हे समर्थन तर अतिशय धोकादायक आहे, कारण या न्यायाने दगडफेक, तोडफोड, जाळपोळही क्षम्य किंवा समर्थनीय ठरवता येईल.

याच अंकात 'विद्यार्थ्यांना माफ करणारे पंतप्रधान कोण? -राहुल गांधी' या शीर्षकाखाली एक बातमी आहे. कदाचित राहुल गांधींना कल्पना नसावी की आंदोलकांनी मोदींचे नाव घेऊन शिवराळ भाषा वापरली आहे. यामुळे मोदींची वैयक्तिक मानहानी झाली, हे नक्की आणि त्याकरिता मानहानी करणाऱ्यांना तेच माफ करू शकतात. मात्र कायदा आणि सुव्यवस्था हा संघीय व्यवस्थेत राज्यांच्या अंतर्गत येणारा मुद्दा आहे. तेव्हा संबंधित राज्य शासनांस या भाषेमध्ये काही आक्षेपार्ह आढळल्यास त्यांना त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे हे निश्चित.

■ **श्रीकांत धोंड,** नागपूर

व्यवस्थेविरुद्धच्या उद्रेकाची भाषा

'ही भाषा वापरण्याची वेळ का आली?' हा डॉ. मनोज महाजन यांचा लेख वाचला. आम्ही बँकेसारख्या 'व्हाइट कॉलर्ड' नोकरीत असताना बँकांच्या आंदोलनांवेळी, 'एक दो एक दो, मॅनेजर को फेक दो', 'दादागिरी नही चलेगी', 'हमारी माँगे पुरी करो वर्ना कूर्सी खाली करो' असे नारे दिले जात. त्या वेळी येणारे-जाणारे म्हणतच असतील, एवढी चांगली नोकरी, चांगला पगार, इतक्या सुट्ट्या तरीही आंदोलन करतात. घोषणांनी मुद्दे सुटले नाहीत तर वाद, दगडफेक, मारामाऱ्या इत्यादी होत.

अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठीची अशी अनेक आंदोलने पाहिली. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या वेळची कॉम्रेड एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे यांची विद्रोही परंतु साहित्यिक मूल्ये असलेली भाषणे, लोकशाहीर अमर शेख यांचे 'पवाडे' यांतील भाषा असंसदीय नव्हती, ती द्रोहाची अभिव्यक्ती होती. पुढे आंदोलनांची प्रवृत्ती, प्रकृती बदलली. कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांची भाषणे ऐकली आहेत. परंतु पुढे दगडफेक, जाळपोळ हा अशा आंदोलनांचा स्थायिभाव झाला. डॉ. दत्ता सामंत यांनी 'एम्पायर डाइंग'मध्ये व्यवस्थापनाशी करार घडवून आणला. पुढे १९८२ चा ऐतिहासिक कापड गिरण्यांचा संप झाला. त्याने आधीच्या चौकटीच मोडून टाकल्या. याची परिणती म्हणजे विध्वंस. त्याची कडू फळे त्या कामगारांची आजची पिढी भोगत आहे. जेन-झी आंदोलनाने या आठवणी जाग्या झाल्या. आंदोलकांची स्वतंत्र भाषा असते, भले ती संसदीय नसेल, चौकटीबाहेरची असेल, परंतु व्यवस्थेविरुद्ध मनात साचलेला उद्रेक त्यातून व्यक्त होत असतो.

■ **दिलीप सुतार,** महालक्ष्मी (मुंबई)

'कस्तुरबां'चा वारसा कोण जपणार?

मुलींचे शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी एकेकाळी झटलेल्या माधानच्या 'कस्तुरबा सर्वोदय मंडळा'ला आता उतरती कळा लागली आहे. स्वावलंबन हेच गांधीवादाचे मुख्य सूत्र. ते न पाळता सरकारवर अवलंबून राहण्याची चूक या संस्थेच्या पडझडीला कारणीभूत ठरल्याचे दिसते...

देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande
@expressindia.com

गांधीमार्गाचे वर्तमान

'शून थाय छे कस्तूर?' (काय होतेय कस्तूर) कातर स्वरात गांधींनी कस्तुरबाचा हातात हात घेत विचारले. त्यावर क्षीण व थरथरत्या आवाजात 'बा' म्हणाल्या, 'शून थाय छे समझतू नथी. मारे जावा नो वखत थाय गयो (काय होतेय हे कळत नाही पण माझ्या जाण्याची वेळ आलीय). हे ऐकताच गांधी तिच्याजवळ बसले. १९४४ च्या २१ फेब्रुवारीचा हा प्रसंग. त्यांनी सर्वांना खोलीतून बाहेर जायला सांगितले. रात्रभर दोघेच होते. बापू आणि बा. २२ फेब्रुवारीला सकाळी साडेसातला 'बां'नी प्राण सोडला. बापूंच्या मांडीवर. हा प्रसंग नोंदवला गेलाय अलीकडे प्रकाशित झालेल्या तुषार गांधींच्या 'द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तुरबा'मध्ये. मात्र तो घराघरांत पोहचला १९४४ सालीच. त्याने कस्तुरबांच्या कार्याला पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला व त्यापासून प्रेरणा घेत अनेक महिलांनी घरदार सोडले, संसाराकडे पाठ फिरवली. त्यातल्या काही स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाल्या तर काही समाजोत्थानात. त्यातल्या शांताबाई अत्रे एक. त्यांचे यजमान विष्णुपंत. जर्मनीतून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन परतलेले. देवनागरी टाइपरायटरचा शोध यांच्या नावावर. तर शांताबाई मुलांना नातेवाईकांकडे सोपवून थेट गेल्या अमरावतीजवळच्या माधानला. तिथे प्रज्ञाचक्षू गुलाबराव महाराजांचा मठ सक्रिय होता. तिथे राहून त्या महिलांमध्ये जागृतीचे काम करायच्या. याच सुमारास कस्तुरबांनी सुरू केलेल्या समाजसेवेला संस्थात्मक बळ मिळावे म्हणून गांधींच्या पुढाकारातून अखिल भारतीय 'कस्तुरबा स्मृती ट्रस्ट'ची स्थापना करण्यात आली. या ट्रस्टचे काम अकोल्याच्या ताराबेन मश्रूवालांनी बघावे अशी गळ खुद्द गांधींनी घातली. ताराबेन गांधींची सून असलेल्या सुशीलाबेनच्या सख्ख्या भगिनी. लहानपणापासून दम्याच्या आजाराने ग्रस्त. तरीही त्यांनी हे आव्हान स्वीकारले व निवड केली माधानची.

ताराबेन व शांताबाईंची पहिली भेट झाली ती अशी. येथे या दोघींना येऊन मिळाल्या सुशीलाताई जोशी. 'मातृ सेवा संघा'त काम करणाऱ्या. या तिघींना साथ मिळाली चांदूर बाजारच्या मनकर्णिका चर्जन व पार्वतीबाई तट्टेंची. या दोघी परिचारिका. यातून तयार झाले 'पंचकन्ये'चे सूत्र. याच नावाने आताही ओळखली जाणारी ही माधानची संस्था आता पडझडीच्या उंबरठ्यावर आहे. गांधीवाद्यांच्या बहुतेक संस्थांमध्ये जे घडते ते इथेही घडले. १९४६ ला गुलाबराव जवंजाळाच्या वाड्यात सुरू झालेल्या या संस्थेची धुरा ताराबेनकडे होती तोवर देशभर तिचे नाव होते. १९९९ ला त्या गेल्या. आणि उतरंडीला सुरुवात झाली. आपल्या हयातीत एखाद्या कार्यकर्त्याकडे संस्थेची सूत्रे सोपवण्याऐवजी त्यांनी प्राधान्य दिले त्यांच्या मानसपुत्राला. बाळासाहेब पटवर्धन त्यांचे नाव. आता तेही हयात नाहीत. त्यांचा मुलगा कुणाल संस्था चालवतो. म्हणजे काय करतो तर जे आहे ते तशाच स्थितीत ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. एकेकाळी या संस्थेचा पूर्ण वऱ्हाडात दबदबा होता. माता बाल संगोपन हा शब्दही जेव्हा समाजाला ठाऊक नव्हता तेव्हा या पंचकन्यांनी माधानसारख्या छोट्याशा गावात सूतिकागृह सुरू केले. बाल संगोपन केंद्र, पाळणाघर, अनाथ मुलींसाठी वसतिगृह, महिलांसाठी आरोग्य शिबिरे असे अनेक उपक्रम हाती घेतले. स्वातंत्र्यानंतर देशातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सुधारणा करण्याच्या कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला तेव्हा अधिकाऱ्यांसमोर आदर्श होता तो याच संस्थेच्या कार्याचा. अमरावती व अकोल्यातील आरोग्य सुविधांनाही लाजवेल अशा सोयी या संस्थेत होत्या. त्यामुळे महिलांची येथे रीघ असे. या संस्थेच्या माध्यमातून देशभरातील कार्याकडे लक्ष देणे शक्य नाही हे लक्षात आल्यावर ताराबेननी ट्रस्टपासून स्वतःला वेगळे केले व 'कस्तुरबा सर्वोदय मंडळा'ची स्थापना करून सेवेचा अखंड झरा कायम ठेवला.

या संस्थेत आयोजित होणाऱ्या मुलींच्या निवासी शिबिराला एकेकाळी तुफान गर्दी असे. अनाथ मुलींना वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर संस्थेत ठेवता येत नाही असा कायदा. त्यावर उपाय म्हणून ताराबेननी त्यांचे पालकत्व स्वीकारले. त्या काळात त्यांनी ७८ मुलींची लग्ने लावली. त्यांचे माहेरपण केले. बाळंतपणाची जबाबदारी जिवंत असेपर्यंत पार पाडली. अरुण गांधींच्या प्रयत्नातून ही संस्था परदेशातील देणगीदारांशी जोडली गेली. जर्मनी व स्वीडनच्या संस्थांनी मुलींच्या शिक्षणाचा, कार्यकर्त्यांच्या मानधनाचा खर्च स्वीकारला. २००३ नंतर हा मदतीचा ओघ बंद झाला. ताराबेन गेल्या व संस्थेच्या प्रसारासाठी आवश्यक असलेली दूरदृष्टीच हरवली. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने दिलेली पहिली ते दहावीपर्यंतची शाळा वगळता आता सर्व प्रकल्प व इमारती कुलूपबंद झाल्या आहेत. इमारतींच्या एकेक

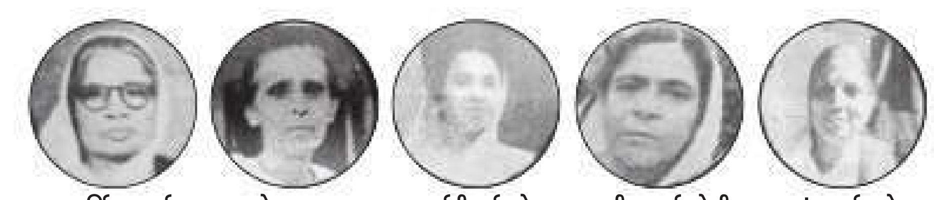

मनकर्णिका चर्जन | ताराबेन मश्रूवाला | पार्वतीबाई तट्टे | सुशीलाताई जोशी | शांताबाई अत्रे

विटा ढासळत असल्या तरी संपूर्ण परिसर मात्र हिरव्यागार झाडींनी बहरलेला. ही झाडे लावली प्रवीणभाई मश्रूवालांनी. ते ताराबेनचे भाचे. त्यांच्या पत्नी मालती. त्या मृणाल गोरेंच्या चुलत बहीण. काही काळ त्याही येथे सेवा देत होत्या. तेव्हा प्रमिला दंडवते, मृणालताई, एस. एम. जोशी नियमितपणे हजेरी लावायचे अशी आठवण शाळेचे मुख्याध्यापक मल्हार गावंडे सांगतात. जुन्या सुवर्णक्षणाचे ते उरलेले एकमेव साक्षीदार. त्यांचे वडील ताराबेनबरोबर काम करत. तेही शाळेचे मुख्याध्यापक होते. मल्हार गावंडे आजही या संस्थेतील एका पडक्या इमारतीत राहतात. एकेकाळी संस्थेची शाळा पंचक्रोशीत नावाजलेली होती. सहाशे विद्यार्थी दरवर्षी असायचे. आता ही संख्या १९० वर आली आहे. मराठी माध्यमातून शिक्षण घ्यायची कुणाची तयारी नाही. आता माध्यमिक शाळेत चारच शिक्षक उरले आहेत आणि वर्ग सहा. मग शिक्षकांनीच पदरमोड करून दोन शिक्षणसेवक ठेवलेत.

मल्हार गावंडेंनी येथे स्वखर्चातून मुलांसाठीही वसतिगृह सुरू केले. ते आदिवासीबहुल भागातली मुले गोळा करून आणतात, त्यांना शिकवतात. वसतिगृहाला शासनाची मान्यता आहे. त्यातून मुलांचा खर्च थोडाफार भागतो. संस्थेची शेती भाड्याने दिली. त्यातून वर्षाला दीड लाख मिळतात. ते इमारतींची डागडुजी व वीजदेयक भरण्यात जातात. ''एकेकाळी येथे मान्यवरांचा राबता असे. एकदा मणीलाल गांधी येऊन गेले. नेल्सन मंडेलांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या इला गांधी आल्या. आता कुणी येत नाही. संस्थेचे स्वतःचे उत्पन्न नाही. त्यामुळे पैसे नाहीत. मग पूर्णवेळ कार्यकर्ते तरी कसे थांबणार? एकेक करून तेही सोडून गेले. लहानपणी खूप गौरवशाली काळ बघितला. आता हताश, निराश वाटते असे गावंडे सहज बोलून जातात. ताराबेन खूपच प्रतिभाशाली व धीराच्या होत्या. त्या असताना अनेक संकटे आली पण न डगमगता त्यांनी त्यावर मात केली. दमा असूनही त्या गावोगाव फिरायच्या. त्यांच्या मदतीला पंचकन्येतल्या चौघी असायच्या. बाळंतपणाच्या आधी अवघडलेल्या अवस्थेतल्या अनेक स्त्रियांना या पाच जणी गाडीतून घेऊन यायच्या. अनेक जणी नकार द्यायच्या. त्यावर उपाय म्हणून 'सुईण/ दाईण'चे प्रशिक्षण या पंचकन्यांनी संस्थेत सुरू केले. यातून शेकडो मुली प्रशिक्षित झाल्या व गावागावांत सेवा देऊ लागल्या. आता काळ बदलला. गावात आरोग्य केंद्रे सुरू झाली. त्याला अनुसरून संस्थेचे सूतिकागृहही अद्ययावत व्हायला हवे होते. ताराबेन त्यासाठी प्रयत्नात होत्या, पण शेवटच्या काळात त्यांना इतरांची साथ मिळू शकली नाही. पंचकन्येतील एकेक धागा तुटत गेला. मग त्यांना एकाकीपणाने ग्रासले. यात काम करणारे आम्ही सर्व गांधीवादी. स्वावलंबन हेच मुख्य सूत्र. त्याकडे लक्ष न देता सरकारवर अवलंबून राहण्याची चूक आम्ही केली. ती लक्षात आली तोवर काळ बदलला होता. उशीरही झाला होता. अशा स्वयंसेवी संस्थांना मदत करण्याची वृत्ती व निकषही बदलले. त्यामुळे आम्ही मागे पडत गेलो. सरकार काही तरी करेल ही भाबडी आशा बाळगणेच चूक ठरले,'' अशा शब्दांत गावंडे व्यक्त होतात.

या पंचकन्यांनी तेव्हा माधान निवडले ते गुलाबराव महाराजांमुळे. हे गाव तेव्हा खूप चर्चेत असे. आता गुलाबराव महाराजांच्या मठाचा विशाल विस्तार झाला आहे. त्यांच्या अनुयायांची संख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. सेवेचा वारसा सांगणारी ही संस्था मात्र मागे पडली. संस्थेच्या पंचकन्या पंचत्वात विलीन झाल्यावर आता ही संस्था मरणकळा अनुभवत आहे. ती केव्हाही बंद पडेल अशी सध्याची परिस्थिती आहे.

कुतूहल

साबणाचा फेस पांढराच का?

साबणाचा वास आणि आकर्षक रंग हे पाहूनच सहसा आपण साबणाची वडी खरेदी करतो. पण कोणत्याही रंगाचा साबण असला तरी त्याचा फेस मात्र पांढराच असतो. असं का बरं? सूर्यप्रकाश जरी वरकरणी पांढरा दिसत असला तरी तो सात रंगांचा बनलेला आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. सूर्यप्रकाश लोलकातून गेल्यावर सात रंगांमध्ये विभागला जातो. त्याचप्रमाणे त्या सात रंगांचे प्रकाशकिरण जेव्हा एकमेकांत मिसळतात तेव्हा पांढरा रंग तयार होतो.

जेव्हा कोणत्याही वस्तूवर सूर्यप्रकाश पडतो, तेव्हा त्या त्या वस्तूंच्या गुणधर्मानुसार सूर्यप्रकाशाच्या सात रंगांपैकी काही रंग त्या पदार्थात शोषले जातात तर काही रंग परत बाहेर फेकले जातात. म्हणजेच परावर्तित होतात. जो रंग शोषला न जाता परावर्तित होतो त्या रंगाचा तो पदार्थ दिसतो. उदाहरणार्थ, एखादा पदार्थ लाल रंगाचा दिसतो कारण सूर्यप्रकाशातले लाल सोडून इतर सर्व रंग या पदार्थात शोषले जातात आणि लाल रंग परावर्तित केला जातो. आपण एखाद्या चकतीवर सूर्यप्रकाशात असणाऱ्या सात रंगांचे पट्टे रंगवले आणि ती चकती जोरजोरात फिरवली तर त्या पट्ट्याकडून परावर्तित होणारे वेगवेगळ्या रंगांचे प्रकाशकिरण एकमेकांत मिसळतात आणि ती फिरणारी चकती 'पांढरी' दिसते.

साबणाची वडी तयार करताना त्यामध्ये वेगवेगळी रंगद्रव्यं वापरली जातात. साबणावर सूर्यप्रकाश पडला असता, त्या साबणाच्या वडीमध्ये जे रंगद्रव्य असेल, तो रंग परावर्तित होतो. त्यामुळे आपल्याला ती साबणाची वडी त्या त्या रंगाची दिसते.

जेव्हा आपण पाणी लावून साबण घासतो तेव्हा फेस तयार होतो. म्हणजेच असंख्य छोटे छोटे हवेचे फुगे किंवा बुडबुडे तयार होतात. साबणाच्या अतिशय पातळ पापुद्र्याने तयार झालेले हवेचे असंख्य छोटे छोटे बुडबुडे एकमेकांना बिलगून असतात. ज्याला आपण फेस म्हणतो. सूर्यप्रकाश जेव्हा या बुडबुड्यांवर पडतो तेव्हा बुडबुड्यांच्या आरपार न जाता, तो या प्रत्येक बुडबुड्याच्या बाहेरच्या आवरणावर आदळतो आणि परत फिरतो. त्या वेळी तो काही अंशी वक्रही होतो आणि सर्व दिशांना पसरतो. हा सूर्यप्रकाश प्रत्येक बुडबुड्यावरून परावर्तित होऊन आजूबाजूच्या साबणाच्या थेंबांमधून परावर्तित झालेल्या किरणांवर सतत आपटत राहतो.

साबणाच्या वडीत जरी एकच रंगद्रव्य असलं तरी प्रत्येक साबणाच्या थेंबाच्या आवरणातून सात रंगांपैकी वेगवेगळे रंग परत फिरले जातात. परंतु हे सर्व परावर्तित रंग, एकमेकात मिसळल्याने पांढरा रंग तयार होतो. म्हणूनच साबणाची वडी कोणत्याही रंगाची असली, तरी तयार झालेला फेस हा पांढराच दिसतो.

– डॉ. मानसी राजाध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

...तर गुवाहाटीचा रस्ता धरू

प्रसंग एक – प्रशिक्षण आटोपून कल्याण डोंबिवलीतील शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांनी परतीची वाट धरताच प्रबोधनीतील कर्मचारी व प्रशिक्षकांनी 'सुटलो' असे म्हणत थेट प्रमुखांकडे धाव घेतली. 'झाले सगळे नीट?' असे त्यांनी विचारताच कक्षात जमलेले सारे भडाभडा बोलू लागले. 'काहीही करा पण पुन्हा या नगरसेवकांचे प्रशिक्षण इथे नको. डोक्याला किती ताप हो' ऐकताच प्रमुख चकित झाले. मग एक प्रशिक्षक म्हणाला. 'सर, मी नगरसेवकांची कर्तव्ये शिकवत होतो. वर्गात शांतता होती. तेवढ्यात एकाचा फोन वाजला. पलीकडे रमेश सुकऱ्या होता. चक्क कारागृहातून. नाव ऐकताच त्याने फोन स्पीकरवर टाकला. सारे त्याच्याभोवती जमले. 'कसा हायेस तू' असे प्रत्येक जण विचारू लागला. बरे झाले तू तिकडे आहे, बाहेर असता तर इथे यावे लागले असते. हेही काही कारागृहापेक्षा कमी नाही असेही एक जण म्हणाला. मी 'शिस्त पाळा' असे म्हणालो पण कोणी ऐकले नाही. 'सुकऱ्या काळजी नको, आम्ही पाठीशी आहोत,' असे प्रत्येक जण ओरडून सांगत होता. मग भोजनगृहाचा प्रमुख म्हणाला. 'जेवतानाही खूप छळले हो त्यांनी. प्रत्येक जण तांबडा व पांढरा रस्सा मागायचा. कुठून देणार? हे असे मिळमिळीत जेवण जेवून आम्ही च्याऊम्याऊ होऊ,' असे टोमणे ऐकावे लागले. 'निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच वरण भात, अळूची भाजी खातोय असेही एक जण कुत्सितपणे म्हणाला.'

तेवढ्यात दुसरा प्रशिक्षक समोर आला. 'मी अधिकाऱ्यांशी सौजन्यपूर्वक कसे बोलावे हे शिकवत होतो. मला मध्येच थांबवून अनेकांनी वाद घातला. कानशिलात दोन लगावल्याशिवाय ऐकत नाही कुणी, तुम्ही हे सांगताच कशाला आम्हाला,' असे एकाने उभे राहून सांगितले. कुणातही शिस्त नव्हती. नुसती आदळआपट व संधी मिळाली की गोंधळ. विद्यार्थ्यासारखे कुणी वागलेच नाही.' ऐकून प्रमुखांनी कपाळावर हात मारला.

प्रसंग दोन – 'काय गरज होती त्या प्रबोधनीतून बाहेर पडल्याबरोबर हॉटेलात बसून राडा करण्याची? अरे, किमान तुमची नाही तर माझी तरी इज्जत ठेवा' समोर खाली मान घालून उभ्या असलेल्या ६० नगरसेवकांवर संतापलेले शिंदे बोलत होते. 'त्या सुकऱ्यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली म्हणून तुम्हाला मुद्दाम तिथे पाठवले तर बाहेर निघाल्याबरोबर राडा! दोन दिवसही पोटाला आराम देता येत नाही? निवडून आले म्हणजे शहराचा सातबारा तुमच्या नावावर झाला नाही हे माझे वाक्य ऐकल्यावर तीन तासांत तुम्ही धिंगाणा घातला. प्रत्येकाने काय सुकऱ्याच व्हायचे ठरवले काय? अरे, भविष्यात राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी आपल्याला आहे. किमान याचा विचार करून तरी नीट वागा. गोड बोलून कसे काम काढायचे हे त्या भाजपवाल्यांकडून शिका जरा. युतीचा फायदा तर दिसू द्या.'

शिंदेंच्या रागाचा भर ओसरल्यावर एक नगरसेवक धाडसाने म्हणाला. 'साहेब, हॉटेलमध्ये जे काही घडले त्याबद्दल माफ करा, पण पुन्हा आम्हाला त्या प्रबोधनीत पाठवू नका. आमचे चुकत असेल तर दोन शिव्या हासडा. एवढे केले तरी आम्ही स्वतःला शिस्त लावून घेऊ. मात्र ते अळूच्या भाजीसारखे असलेले प्रशिक्षण तेवढे टाळा. आमच्या डोसक्यात काही शिरलं नाही बघा ते. आम्ही रस्त्यावरची माणसं. दोन घ्यायचे आणि दोन द्यायचे, हेच आम्हाला माहीत. त्या भाजपच्या नादाला लागून उगीच सौजन्याचा लेप आमच्या अंगावर लावू नका.' हे ऐकून शिंदे अस्वस्थ झाले. तेवढ्यात दुसरा नगरसेवक म्हणाला, 'पुन्हा प्रबोधनीचे नाव काढाल तर आम्ही गुवाहाटीचा रस्ता धरू' ऐकून चकित झालेले शिंदे जमलेल्या सर्वांकडे बघतच राहिले.

राजवाडे विचारविश्व

एका दृष्टिक्षेपात शहाजीची कर्तबगारी

'शक १५४३मध्ये निजामशाही तख्तावर मूर्तिजा, मूर्तजा किंवा मूर्तुजा हा नरम, चैनी, ऐदी व नाकर्ता सुलतान होता. मीर राजूचा सासुरवास दुःसह झाला म्हणजे मलिकंबरची कास धरावी आणि मलिकंबरचा जाच असह्य झाला म्हणजे राजूची पायधरणी करावी, ह्या पद्धतीने काही वर्षे काढल्यावर मूर्तिजाने दक्षिणी व परदेशी मुसुलमानांच्या पीडेतून मुक्त होण्याकरिता तिसरा एक पक्ष निर्माण केला. तो पक्ष म्हणजे मराठ्यांचा पक्ष...' अशी मांडणी राजवाड्यांनी केली आणि शहाजीराजाचे त्या मांडणीमधले स्थान अधोरेखित करीत पुढे लिहिले, 'अवश्यास व परिंड्यास असताना मूर्तिजाने मालोजीस जवळ केले होते; शहाजीचे लग्न जाधवरावाच्या मुलीशी जुळवून देण्यात मूर्तिजाचे बरेच अंग होते. त्यामुळे मालोजी उपकारबद्ध झाला व जाधवरावाच्या बरोबरीचा तोलदार सरदारहि बनला. अशा तऱ्हेने तिसरा पक्ष उभारण्याच्या लायकीचा ठरला. त्या पक्षाचे पुढारपण गाजवीत असताना मालोजी शक १५४१मध्ये वारल्यावर पक्षाध्यक्षत्व शिताफीने गाजवण्यास नाना प्रकारांनी लायक असा आणखी एक पुरुष मूर्तिजाला लाभला. तो कर्ता पुरुष म्हणजे तरुण, महत्त्वाकांक्षी व कर्तबगार शहाजी भोसला हा होय...'

'शहाजीराजाचे जे गुणवर्णन जयरामकवीने चंपूकाव्यात केलेले आढळते, त्याचाच अनुवाद शिवदिग्विजय व शिवप्रताप ह्या बखरींत सापडतो', हा अभिप्राय व्यक्त करून राजवाड्यांनी पुढे लिहिले, 'शूर, गुणज्ञ, जातीने मर्द, युद्धव्यूहकुशल, शहाची मर्जी सांभाळून वागणारा परंतु स्वतःचा कुर्रा जाऊ न देणारा असा गुणगणमंडित जो शहाजी भोसला, त्याच्याद्वारा राज्यात मराठ्यांचा तिसरा पक्ष उभारून दक्षिणी व परदेशी पक्षांना जरबेत ठेवण्याची व्यवस्था मूर्तिजाने केली... दरबारी एकांतात व लोकांतात जाण्यायेण्याची शहाजीला सदर परवानगी असे... शक १५४५मध्ये शहाजीला संभाजी हा प्रथम पुत्र झाला, तेव्हा शाहाने स्वतः मोठा समारंभ करून शहाजीस वस्त्रेभूषणे, अलंकार, परगणे व किल्ला बक्षीस दिला (शिवाजीप्रताप)... मूर्तिजाचा अंत झाला तेव्हा त्याने दक्षिणी व परदेशी मुसुलमानांवर विश्वास न ठेविता मराठा जो शहाजीराजा त्याच्यावर आपल्या बायकापोरांना सांभाळण्याचे काम निरोपाने सोपवले... या बाबी लक्षात घेतल्या म्हणजे शहाजीने बुऱ्हाणशहाचा केवढा विश्वास संपादिला होता, हे वेगळे पुरावे न देताहि स्पष्ट होते.'

राजवाड्यांनी नंतर 'शहाजीच्या उमेदवारीच्या काळची' परिस्थिती स्पष्ट केली. 'निजामशाहीशेजारी एकंदर चार शाह्या होत्या. उत्तरेस दिल्लीची प्रचंड विस्तीर्ण मोंगलाई, दक्षिणेस विजापूरची आदिलशाही, बेदरची बरीदशाही व गोवळकोंड्याची कुतुबशाही. पैकी बेदरची बरीदशाही मरणोन्मुख झाली असून कुतुबशाहीहून आदिलशाही व आदिलशाहीहून मोंगलाई एकाहून एक बलिष्ठ होत्या. सर्वांत मोंगलाई बलिष्ठ असून तिचा रोख दक्षिणेतील साऱ्या शाह्या खाऊन टाकण्याचा स्पष्ट दिसत होता. निजामशाहीचा मुख्य शहा जो मूर्तिजा त्याची मोंगलांनी दिलेल्या पंचवीस वर्षांच्या माराने इज्जत उतरून गेलेली होती. त्याच्याबरोबरच त्याच्या रियासतीचीहि. मोंगलांनी निजामशाहीचे मोठमोठे लचके तोडिले असून ती वारली तर बाकीच्या शाह्या तिचे अनुकरण करतील, असा रंग दिसत होता.'

मग निजामशाहीच्या अखेरच्या काळातील स्थिती चित्रित करताना राजवाड्यांनी लिहिले, 'मूर्तिजाच्या उत्तर अमदानीत मलिकंबरने मीर राजूला जमीनदोस्त करून सर्व सत्ता आपल्या एकट्याच्या हातांत एकवटविली होती व शहाला तो कस्पटासमान लेखीत होता. तो मोंगलांशी व आदिलशहाशी झगडण्यात गुंतला होता, अशा आणीबाणीच्या वेळी शहाजीराजा भोसला तत्कालीन राजकीय आखाड्यात उमेदीने व ताज्या दमाने अवतीर्ण झाला. शहाजी आपला वाली होईल, मलिकंबरच्या प्राणघेण्या मगरमिठीतून आपणास सोडवील, अशा आशेने मूर्तिजाचे होते तेवढे सर्व वजन शहाजीच्या पाठीला होते. त्या वजनाचा पूर्ण उपयोग करून घेऊन निजामशाहीची मोडकळीस आलेली इमारत शहाजीने काही काळ सावरून धरिली आणि इतकेहि करून ती कायमची मोडल्यावर स्वतःचे सामर्थ्य वाढवून, आदिलशाही व मोंगलाई यांची हाडे खिळखिळी करण्याचा मार्ग आपला प्रतापी मुलगा जो शिवाजी त्याला मोकळा करून दिला...'

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

कृत्रिम प्रज्ञा; नैसर्गिक प्रश्न!

‘एआय’ तंत्रज्ञान मानवी प्रज्ञेची जागा घेईल किंवा काय, अशा मुद्द्यांची चर्चा बड्या देशांवर सोडून विकसनशील देशांनी ‘एआय’चा वापर सुरू करावा असे जागतिक बँकेचे म्हणणे.

जी भीती आतापर्यंत कडेकडेने व्यक्त केली जात होती ती जागतिक बँकेचा मंगळवारी प्रसिद्ध झालेला ‘विकास अहवाल २०२६’ खरी ठरवतो. जागतिक बँक असा अहवाल दरवर्षी प्रकाशित करते. ही प्रथा १९७८ पासून सुरू आहे. हे अहवाल त्या त्या काळातील वर्तमानाचे उत्तम संदर्भ असतात आणि त्याचे शास्त्रशुद्ध दस्तावेजीकरण त्यात असते. जागतिक अर्थकारण, हवामान बदल, वैश्विक राजकीय मतभेदांचा विकासावर परिणाम, शस्त्रस्पर्धा इत्यादी अनेक मुद्द्यांवर या अहवालांनी सविस्तर विवेचन केलेले आढळेल. जागतिक बँकेचा कर्मचारी वर्ग, त्यांच्या ताफ्यात असलेले अभ्यासक, विदा-विश्लेषणाची क्षमता, त्यांचा शास्त्रीय दृष्टिकोन आदी अनेक कारणांमुळे हे विकास अहवाल अनेकांसाठी पथदर्शक असतात. यंदाचा अहवालही बँकेच्या याच परंपरेत अभ्यासकांसाठी लक्षवेधी असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटलिजन्स अर्थात एआय आणि या तंत्राच्या विकासाचे होणारे परिणाम यावर या ताज्या अहवालात भर देण्यात आलेला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे गरजेचे.

यात लगेचच लक्षात येईल अशी बाब म्हणजे या अहवालात भारताची फिलिपिन्स या आशियाई देशाशी झालेली बरोबरी. आपल्या अवाढव्यतेच्या तुलनेत फिलिपिन्स अगदीच किरकोळ. लोकसंख्या जेमतेम ११.५ कोटींच्या आसपास. पण आर्थिक निकषांच्या मुद्द्यांवर या अहवालात भारताची बरोबरी फिलिपिन्स या देशाशी करण्यात आलेली आहे. म्हणजे काही विशिष्ट तंत्रज्ञानाच्या परिणामांवर भाष्य करताना ‘‘भारत आणि फिलिपिन्स यांसारख्या देशांस...’’ असा उल्लेख या अहवालात सर्रास आढळतो. याची योग्य ती दखल संबंधितांनी घ्यावी. ही अपेक्षा व्यक्त करताना ‘योग्य ती’ ही अट महत्त्वाची. याचे कारण एका अज्ञ वर्गास लगेच यात आपला अपमान वगैरे जाणवण्याचा धोका संभवतो. विश्वसत्ता होऊ पाहणाऱ्या एका देशाची बरोबरी अमेरिका, चीन आदींशी न करता फिलिपिनोंशी करणे अनेकांस कमीपणाचे वाटू शकते. तथापि देशांच्या तुलनेत त्या त्या प्रदेशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा; एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार अजिबात नव्हे. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था उद्याच्या उद्या वा आजच्या आज जरी पाच लाख कोटी डॉलर्सची झाली तरी आपल्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न हे सर्वसामान्य इंडोनेशियन वा फिलिपिनो याच्याइतकेच असण्याची शक्यता अधिक. त्यामुळे आर्थिक दृष्टिकोनांतून जगाकडे पाहणाऱ्यांस या तुलनेत तितके काही गैर आढळणार नाही. या स्पष्टीकरणानंतर आता या अहवालाविषयी.

ज्या कंपन्या, आस्थापना जागतिक पातळीवर, जागतिक बाजारात कार्यरत आहेत, विविध देशांत त्यांच्या वस्तू वा सेवा पुरवल्या जात आहेत त्यांच्याकडून ‘एआय’चा वापर अधिक व्यापकपणे केला जाईल आणि त्यांच्या तुलनेत केवळ स्थानिक बाजारपेठेपुरत्याच मर्यादित असलेल्या कंपन्या, आस्थापना यांस झळ बसू शकेल, असे हा अहवाल सांगतो. ही झळ म्हणजे अर्थातच अनेक प्रकारच्या कामांसाठी कर्मचारी नेमण्याची गरज कमी कमी होत जाणे. भारतासारख्या देशांतील तरुण प्रचंड प्रमाणावर या जागतिक आस्थापनांच्या ‘बॅक ऑफिस’ व्यवस्थापनात चाकरी करतात. म्हणजे या कंपन्या भले जगाच्या पाठीवर कोठेही असतील. पण त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन/भत्ते देण्याची प्रक्रिया, नोंदी हे आपल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांकडून हाताळले जाते. नव्याने उदयास आलेले आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीस हातभार लावणारे ‘सेवा क्षेत्र’ (सर्व्हिस इंडस्ट्री) म्हणतात ते हेच.

‘एआय’च्या वाढत्या प्रभावाचा फटका याच क्षेत्रास मोठ्या प्रमाणावर बसेल, असे हा अहवाल सांगतो. याबाबतच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार वैश्विक आस्थापनांतील आऊटसोर्सिंग वा बिझनेस प्रोसेसिंग क्षेत्रात मग्न कंपन्यांतील नोकरभरती दक्षिण आशियाई देशांत १.६ टक्क्यांनी घटल्याचे आढळते. ही घट एकट्या ‘चॅट जीपीटी’मुळे नोंदवली गेली. त्यानंतर ‘चॅट जीपीटी’ प्राथमिक इयत्तेतील वाटेल असे अनेक पंडिती ‘एआय’ बाजारात आले. म्हणजे या इतक्या विकसित ‘एआय’मुळे रोजगारनिर्मिती आणखीनच घटली असणार. तूर्त १.६ टक्के घट हे प्रमाण वरवर पाहता क्षुल्लक वाटू शकेल. पण ते देश-समूहाचे आहे. भारतासारख्या देशासाठी ते अधिक असेल. ‘भारत-फिलिपिन्स’ या देशांना या बदलत्या कार्यशैलीचा फटका अधिक बसेल असा इशारा हा अहवाल देतो. त्यानुसार या आशियाई देशांतील प्रत्येकी दहा कर्मचाऱ्यांतील किमान एकाच्या रोजगारावर यामुळे गदा येईल. म्हणजे ‘बीपीओ’ आदी क्षेत्रांवर नोकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहू नका असा त्याचा अर्थ. आपल्याकडे सध्या दोन नवी फॅड्स दिसतात. एक म्हणजे ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटीज सेंटर्स’ आणि दुसरे वेड डेटा सेंटर्स उभारणीचे. या दोन्हींतून मुळात कामे केली जातात ती बहुराष्ट्रीय, वैश्विक कंपन्यांची. या जागतिक आस्थापनांस उत्तमांतील उत्तम ‘एआय’ तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यावर खर्च करण्याची त्यांची ऐपत आहे. केवळ स्थानिक बाजारपेठेत कार्यरत असणाऱ्या कंपन्या तितका खर्च करू शकतीलच असे नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या आधीच प्रगत असलेले ‘एआय’चा वापर अधिक प्रगतीसाठी करू शकतील, असे या अहवालातील म्हणणे योग्यच. तसेच या दोन घटकांमुळे पाणी, वीज यांच्या उपलब्धतेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यानंतर जागतिक बँक ‘भारत, फिलिपिन्ससारख्या’ देशांतील आस्थापनांस एक सल्ला देते.

> **तथापि रोजगारांवर गदा, अनेक क्षेत्रांत मानवी श्रमाची अनावश्यकता इत्यादी आव्हाने आपल्यासमोर उभी राहणार असतील तर या कृत्रिम प्रज्ञेमुळे निर्माण होणारे नैसर्गिक प्रश्न सोडवायचे कसे, याचा विचार आधी करावा लागेल.**

तो म्हणजे स्थानिक तर स्थानिक; पण ‘एआय’चा वापर सुरू करा. प्रत्येक कंपनीस जागतिक पातळीवरील ‘एआय’ तंत्रज्ञान उपलब्ध असेलच असे नाही. तसे अपेक्षितही नाही. पण या कंपन्यांनी जे काही स्थानिक पातळीवर, परवडण्याजोग्या खर्चात उपलब्ध असेल त्याचा वापर सुरू करणे गरजेचे आहे. कारण ‘एआय’ न वापरणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा ‘एआय’चा वापर करणाऱ्या- मग ते स्थानिक का असेना- कंपन्या, आस्थापना स्वतःचा अधिक विकास घडवून आणू शकतील. या संदर्भात जागतिक बँक तेलंगणाचा हवाला देते. या दक्षिणी राज्याने स्थानिक पातळीवरील ‘एआय’ शेतकऱ्यांस आवश्यक हवामान अंदाजासाठी वापरले. त्याचा फायदा होऊन प्रत्येक शेतकऱ्याची किमान ५६० डॉलर्स (साधारण ४७ हजार ६०० रु.) इतकी बचत झाली. या शेतकऱ्यांनी या स्थानिक ‘एआय’च्या मार्गदर्शनानुसार आपले पेरणी, खते, पाणीपुरवठा यांचे नियोजन केले. तेव्हा उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक ‘एआय’चा वापर सुरू करणे महत्त्वाचे. याखेरीज जागतिक बँकेचा हा अहवाल भारतासारख्या देशास एक मोलाचा, पण गमतीशीर, सल्ला देतो.

झपाट्याने विकसित होणारे ‘एआय’ तंत्रज्ञान मानवी प्रज्ञेची जागा घेईल किंवा कसे, तसे होणार असेल तर मानवी बुद्धी निरुपयोगी होईल किंवा काय, तसे होण्यास किती काळ आहे इत्यादी मुद्द्यांच्या चर्चेत विकसनशील देशांनी वेळ दवडू नये. ही चर्चा, त्याबाबतचे आणखी प्रश्न, तंत्रज्ञान विकास वगैरे बाबी बड्या देशांवर सोडाव्यात, असे जागतिक बँकेचे म्हणणे. या चर्चांत वेळ वाया घालवण्याऐवजी प्रत्यक्ष ‘एआय’चा वापर सुरू करण्यात या देशांचे हित आहे; असे या संस्थेस वाटते. तथापि आपल्यासारख्या देशांस हा सल्ला असाच्या असा अमलात आणणे परवडेल का; हा प्रश्न. रोजगारांवर गदा, अनेक क्षेत्रांत मानवी श्रमाची अनावश्यकता इत्यादी आव्हाने उभी राहणार असतील तर या कृत्रिम प्रज्ञेमुळे निर्माण होणारे नैसर्गिक प्रश्न सोडवायचे कसे, याचा विचार आधी आपणास करावा लागेल. याची जाणीव संबंधितांस आहे का आणि तशी कृती त्यांच्याकडून होत आहे का, हा यातील कळीचा मुद्दा.

वैद्यकशास्त्राची सरमिसळ हा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ...

लेख

महेश झगडे
निवृत्त सनदी अधिकारी
zmahesh@hotmail.com

> **शासनाने होमिओपॅथीची पदवी आणि आधुनिक औषधशास्त्रातील (ॲलोपॅथी) एका वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या वैद्यकांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याची मुभा देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.**

महाराष्ट्र शासनाने होमिओपॅथीची पदवी आणि आधुनिक औषधशास्त्रातील (ॲलोपॅथी) एका वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या वैद्यकांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याची मुभा देण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. हा निर्णय वरकरणी डॉक्टरांच्या तुटवड्यावरील व्यवहार्य उपाय म्हणून मांडला जात असला, तरी प्रत्यक्षात तो वैद्यकीय शिक्षण, वैज्ञानिक पात्रता, नियामक शुचिता आणि रुग्णसुरक्षा या सर्वच बाबतींत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे.

राजपत्रातील काही ओळींनी प्रशासकीय श्रेणी बदलता येईल; पण मानवी शरीररचना, रोगनिदानशास्त्र आणि औषधांच्या जैविक परिणामांचे नियम बदलता येणार नाहीत. ही साधी गोष्ट शासनाला समजत नसेल, तर महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षणाचे आरोग्य तपासण्याची वेळ आली आहे. होमिओपॅथी आणि आधुनिक वैज्ञानिक वैद्यक या स्वतंत्र वैद्यकपद्धती आहेत. दोन्हींचे तत्त्वज्ञान वेगळे, अभ्यासक्रम वेगळे, औषधविषयक दृष्टिकोन वेगळा, निदानपद्धती वेगळी आणि नियामक संरचनाही वेगळी आहे. या दोन्ही शिक्षणपद्धतींतील मूलभूत फरक एका प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाने नाहीसा होतो, असा समज वैज्ञानिक नसून प्रशासकीय कल्पनाविलास आहे.

आधुनिक औषधशास्त्र (ॲलोपॅथी) म्हणजे औषधांच्या नावांची यादी नव्हे. कोणत्या आजारासाठी कोणते औषध द्यायचे, एवढे पाठ केले म्हणजे वैद्यकीय क्षमता प्राप्त होत नाही. त्या औषधाची शरीरातील क्रिया काय आहे, ते कोणत्या अवयवावर परिणाम करते, त्याचे दुष्परिणाम कोणते, इतर औषधांशी त्याचा परस्परसंवाद कसा होतो, गर्भवती महिला, बालक, वृद्ध किंवा मूत्रपिंडाचा आजार असलेल्या रुग्णाला ते देता येईल काय, याची समग्र जाण आवश्यक असते.

रुग्णाला नेमका आजार कोणता आहे, हे ओळखण्याची क्षमता हवी. निदान चुकले, तर योग्य औषधसुद्धा घातक ठरू शकते. ताप म्हणजे केवळ ताप नसतो. छातीत दुखणे म्हणजे केवळ आम्लपित्त नसते. पोटदुखी म्हणजे प्रत्येक वेळी अपचन नसते. डोकेदुखीमागे साधा ताणही असू शकतो आणि मेंदूतील रक्तस्रावही. ही चिकित्सक संवेदनशीलता औषधांच्या संक्षिप्त अभ्यासाने नव्हे, तर दीर्घ आणि एकात्मिक वैद्यकीय शिक्षणातून विकसित होते.

मग एका वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेली व्यक्ती आधुनिक वैद्यकाचा व्यवसाय करण्यास पात्र ठरते, हा निष्कर्ष कसा काढण्यात आला? अभ्यासक्रम किती तासांचा होता? त्यात प्रत्यक्ष रुग्णालयीन प्रशिक्षण किती होते? आपत्कालीन विभागातील अनुभव किती? अतिदक्षता विभाग, प्रसूतीकक्ष, बालरोग, शस्त्रक्रिया, संसर्गजन्य रोग आणि औषधांच्या गंभीर दुष्परिणामांचे व्यवस्थापन यांपैकी कोणत्या क्षेत्रांतील पात्रता तपासली गेली? मूल्यमापन कोणी केले? अपयशी होण्याचे प्रमाण किती? स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थेने या प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासली काय, अशा प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देण्याऐवजी नोंदणीचे दरवाजे आधी उघडले जात असतील आणि संबंधित वैद्यकांची नेमकी कार्यकक्षा, आचारसंहिता व निष्काळजीपणावरील कारवाईची पद्धत नंतर ठरविण्यासाठी समित्या स्थापन होत असतील, तर हा प्रकार अधिकच चिंताजनक ठरतो.

वैद्यकीय पात्रता आधी निश्चित झाली पाहिजे; नोंदणी नंतर झाली पाहिजे. व्यावसायिक आचारसंहिता आधी अस्तित्वात असली पाहिजे; व्यवसायाची मुभा नंतर मिळाली पाहिजे. निष्काळजीपणाची चौकशी कोण करणार, हे आधी ठरले पाहिजे; रुग्णांना संभाव्य धोक्याच्या हवाली केल्यानंतर नव्हे. परंतु येथे रुग्णसुरक्षेचा क्रम उलटा करण्यात आला आहे. प्रयोग आधी आणि नियम नंतर. नोंदणी आधी आणि क्षमता नंतर. राजकीय समाधान आधी आणि वैज्ञानिक विचार नंतर.

ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता आहे, हा सरकारचा नेहमीचा बचाव असतो. कमतरता असणे ही गंभीर समस्या आहे; पण ती अर्हतेची व्याख्या पातळ करून सोडविता येत नाही. वैमानिक कमी आहेत म्हणून बसचालकांना विमानशास्त्राचा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम देऊन प्रवासी विमान उडविण्याची मुभा दिली जाणार नाही. अभियंते कमी आहेत म्हणून अनुभवी गवंड्यांची अभियंता परिषदेत नोंदणी केली जाणार नाही. न्यायाधीश कमी आहेत म्हणून कायद्याचा अल्पकालीन अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना न्यायासनावर बसविले जाणार नाही. मग मानवी शरीरावर उपचारांच्या बाबतीतच पात्रतेचे निकष इतके लवचीक का?

कारण गरीब रुग्ण प्रश्न विचारत नाही. ग्रामीण रुग्णाला डॉक्टरची खरी अर्हता सहज तपासता येत नाही. पांढरा कोट, गळ्यात स्टेथोस्कोप आणि औषधांच्या चिठ्ठीवर काही इंग्रजी अक्षरे दिसली की तो समोरच्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवतो. शासनाच्या निर्णयामुळे तो विश्वास आणखी दिशाभूल करणारा ठरण्याची शक्यता आहे.

आधुनिक औषध लिहून देणाऱ्या व्यक्तीची मूलभूत पदवी होमिओपॅथीतील आहे, हे प्रत्येक रुग्णाला स्पष्टपणे सांगितले जाणार काय? दवाखान्याच्या फलकावर ते ठळकपणे लिहिणे बंधनकारक असेल काय? औषधाच्या दुष्परिणामामुळे गंभीर इजा झाली, चुकीच्या निदानामुळे उपचारास विलंब झाला किंवा रुग्णाचा मृत्यू झाला, तर चौकशी कोणती परिषद करणार–होमिओपॅथी परिषद की महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अशा निर्णयामुळे उद्‌भवलेल्या हानीची जबाबदारी शासन स्वीकारणार काय? बहुधा नाही.

धोरण शासनाचे; पण दुर्घटना झाली की गुन्हा वैद्यकाचा. नोंदणीचा मार्ग शासनाने खुला करायचा; मात्र रुग्णाचा मृत्यू झाला की वैयक्तिक निष्काळजीपणाची फाइल उघडायची. आपल्या प्रशासकीय प्रयोगाची नैतिक जबाबदारी न स्वीकारता सर्व दोष शेवटच्या पायरीवरील व्यक्तीवर ढकलण्याची ही परिचित शासकीय कला आहे.

या निर्णयामुळे होमिओपॅथीचाही सन्मान होत नाही. उलट, तिच्या स्वतंत्र ओळखीचे अवमूल्यन होते. होमिओपॅथीला स्वतःचे तत्त्वज्ञान, अभ्यासक्रम, औषधपद्धती आणि वैधानिक परिषद आहे. मग तिच्या पदवीधरांना प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या नोंदणीची गरज का भासावी? होमिओपॅथीची पदवी स्वतःच्या कार्यक्षेत्रासाठी पूर्ण आणि सन्माननीय असेल, तर तिच्या वैद्यकांना दुसऱ्या पद्धतीतील औषधांच्या आधाराची गरज कशासाठी? एकीकडे शासन होमिओपॅथीचे महत्त्व सांगते आणि दुसरीकडे तिच्या वैद्यकांना आधुनिक औषधांकडे वळण्यास प्रोत्साहन देते. हा होमिओपॅथीचा गौरव आहे की तिच्या मर्यादांची शासकीय कबुली?

या धोरणाने आधुनिक वैद्यकाचाही अवमान होतो. अनेक वर्षांचे कठोर शिक्षण, रुग्णालयीन प्रशिक्षण, रात्रपाळ्या, इंटर्नशिप, पदव्युत्तर अभ्यास आणि अखंड चिकित्सक अनुभव यांचे मोल एका प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाइतके आहे, असा संदेश यातून दिला जातो. मग उद्या एमबीबीएस डॉक्टरांना होमिओपॅथिक औषधशास्त्राचा अल्पकालीन अभ्यासक्रम देऊन होमिओपॅथी परिषदेत नोंदणी दिली जाईल काय? आधुनिक वैद्यकाच्या डॉक्टरांना आयुर्वेदिक औषधांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आयुर्वेदाचा स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची मुभा मिळेल काय? उत्तर नकारार्थी असेल, तर निकष केवळ एकाच दिशेने का बदलले जात आहेत?

सर्व वैद्यक पद्धतींचे स्वतःचे स्थान आहे. त्यांच्यात संवाद, सहकार्य आणि परस्पर संदर्भव्यवस्था असली पाहिजे. प्रत्येक पद्धतीतील दाव्यांची वैज्ञानिक तपासणीही झाली पाहिजे. पण सहकार्य म्हणजे सरमिसळ नव्हे. समन्वय म्हणजे सीमारेषा पुसणे नव्हे. परस्पर आदर म्हणजे परस्परांच्या नोंदणी परिषदांमध्ये प्रशासकीय घुसखोरी नव्हे. वैद्यकशास्त्राची खिचडी करणे हे सर्वसमावेशक आरोग्यधोरण ठरत नाही.

सरकारला ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था सुधारायची असेल, तर अनेक उपाय उपलब्ध आहेत. सरकारी रुग्णालयांतील रिक्त पदे तातडीने भरता येतील. ग्रामीण सेवेसाठी चांगले वेतन, निवास, सुरक्षितता आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या सुविधा देता येतील. दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना पदव्युत्तर प्रवेशात वा करिअरमध्ये प्रोत्साहन देता येईल. रुग्णवाहिका आणि संदर्भसेवा सक्षम करता येईल. दूरवैद्यकाचा सुयोग्य वापर करता येईल. वैद्यकीय महाविद्यालयांची गुणवत्ता न घालवता क्षमता वाढविता येईल.

पण या उपायांसाठी नियोजन, पैसा, सातत्य आणि प्रशासन आवश्यक असते. नोंदणीचा दरवाजा उघडण्यासाठी मात्र एक शासन निर्णय पुरतो. त्यामुळेच कदाचित शासनाने कठीण पण योग्य मार्गाऐवजी सोपा पण धोकादायक मार्ग निवडला आहे. मात्र हा प्रयोग मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि संपन्न नागरिकांवर केला जाणार नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांची प्रकृती गंभीर झाली, तर ते सर्वाधिक पात्र तज्ज्ञ, नामांकित रुग्णालय आणि अत्याधुनिक उपचार निवडतील. एका प्रमाणपत्रावर आधारित वैद्यकीय समकक्षता ते स्वतःसाठी स्वीकारतील, अशी शक्यता नाही. मग जी व्यवस्था सत्ताधाऱ्यांना स्वतःसाठी पुरेशी सुरक्षित वाटत नाही, ती गरीब जनतेसाठी कशी योग्य ठरते? ही केवळ वैज्ञानिक चूक नाही; ही सामाजिक विषमतेची आरोग्यविषयक आवृत्ती आहे.

मानवी शरीर राजकीय घोषणा ऐकत नाही. ते शासन निर्णय वाचत नाही. औषध चुकीचे असेल, निदान चुकले असेल किंवा उपचारास विलंब झाला असेल, तर शरीर कोणती पदवी, कोणता प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम किंवा कोणती मतपेढी या निर्णयामागे होती, याचा विचार करीत नाही. त्याची किंमत रुग्णालाच चुकवावी लागते. शासन नोंदणीच्या पुस्तकात नाव घालू शकते; पण त्यातून डॉक्टर निर्माण होत नाही. शासन परिषदांची रचना बदलू शकते; पण विज्ञानाचे नियम बदलत नाहीत. शासन प्रशासकीय कल्पित वास्तव निर्माण करू शकते; पण मानवी शरीर त्या कल्पित वास्तवाला मान्यता देत नाही.

म्हणून हा प्रश्न होमिओपॅथी विरुद्ध आधुनिक (ॲलोपॅथी) वैद्यक असा नाही. हा प्रश्न रुग्णसुरक्षा विरुद्ध राजकीय सोय असा आहे. हा प्रश्न वैद्यकीय पात्रता विरुद्ध प्रशासकीय शॉर्टकट असा आहे. हा प्रश्न विज्ञान विरुद्ध शासननिर्मित भ्रम असा आहे.

महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय पुनर्विचारासाठी तात्काळ रोखला पाहिजे. प्रत्येक वैद्यक पद्धतीची स्वतंत्र ओळख, स्वतंत्र परिषद, स्वतंत्र कार्यकक्षा आणि स्वतंत्र उत्तरदायित्व अबाधित ठेवले पाहिजे. डॉक्टरांच्या तुटवड्याचे उत्तर पात्रतेची व्याख्या बदलण्यात नव्हे, तर आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढविण्यात शोधले पाहिजे.

अन्यथा आज कागदावर सोयीस्कर वाटणारा निर्णय उद्या एखाद्या कुटुंबासाठी अपरिवर्तनीय शोकांतिका ठरेल. आणि तेव्हा शासनाकडे आणखी एक समिती असेल; पण त्या कुटुंबाकडे त्यांचा माणूस नसेल.

अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर सात वर्षांत काय बदलले?

विश्लेषण

निमा पाटील
nima.patil@expressindia.com

> **मोदी सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द केला. त्यानंतर सात वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारला अपेक्षित बदल झाले का आणि पुढील आव्हाने कोणती, याचा ऊहापोह.**

जम्मू- काश्मीरचा विशेष राज्य ते केंद्रशासित प्रदेश हा प्रवास कसा झाला?

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींचा आदेश, संसदेतील ठराव आणि कायद्यांचा एकत्रित वापर करून जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द केला. त्याच वेळी जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचा दर्जा एका दिवसात विशेष राज्य ते केंद्रशासित प्रदेश असा झाला. आदल्या वर्षी मेहबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिलेला असल्यामुळे अनुच्छेद ३७० रद्द झाले तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्यानंतर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत जम्मू-काश्मीरचा कारभार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होता. यादरम्यान २०२२ मध्ये मतदारसंघांची फेररचना होऊन विधानसभेत जम्मूचे प्रतिनिधित्व वाढले. विधानसभा निवडणुकीत गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक मतदान झाले आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होऊन राजकीय प्रक्रिया सुरळीत झाल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात राज्यातील राजकीय रचना बदलल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

विधानसभेत उपस्थित होणारे मुद्दे कसे बदलले?

पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे आमदार वाहिद-उर-रहमान पारा यांनी एका वृत्त पोर्टलशी बोलताना सांगितले की, यापूर्वी विधानसभेत मानवाधिकार, बार असोसिएशन, प्रेस क्लब, मानवाधिकार आयोग आणि दहशतवादविरोधी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या स्थानबद्धता अशा विषयांसाठी बराच वेळ दिला जायचा. आता मात्र चर्चेचे विषय प्रामुख्याने प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित मुद्द्यांवरच मर्यादित झाले आहेत. मानवाधिकारासारखे मुद्दे आता दुर्लक्षित राहत असल्याचे पारा सांगतात.

फुटीरतावादी नेते कुठे आहेत?

केंद्र सरकारच्या दृष्टीने नेहमीच डोकेदुखीचा विषय असलेल्या आणि काश्मीरच्या राजकारणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य असलेल्या हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या फुटीरवादी संघटनांचे राजकारण आता सार्वजनिक पटलावरून जवळपास नाहीसे झाले आहे. फुटीरवादी चळवळींशी संबंधित संघटना एक तर निष्क्रिय झाल्या आहेत किंवा त्यांनी सार्वजनिक कामात सहभागी होणे थांबवले आहे. स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी अजूनही त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असली तरी त्यांचा बीमोड हे केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हे मोठे यश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला?

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण आर गवई आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या घटनापीठाने डिसेंबर २०२३मध्ये निकाल देताना केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला. केंद्राचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिला. अनुच्छेद ३७०ची तरतूद तात्पुरती होती आणि भारतामध्ये विलीन झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे अंतर्गत सार्वभौमत्व उरले नव्हते, असे घटनापीठाने नमूद केले.

सुरक्षा आणि अर्थकारणावर काय फरक पडला?

अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याचे काही सकारात्मक परिणामही झाले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाच्या घटना, तसेच मोठ्या प्रमाणात सुरक्षेचे उल्लंघन होण्याच्या घटना कमी झाल्याचे केंद्र सरकारचे आणि भाजपचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी पर्यटनात वाढ होऊन अर्थकारणाला चालना मिळाली. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प सुरू केले. रेल्वेचे जाळे विस्तारले, जम्मू-श्रीनगरदरम्यान वंदे भारतसारखी रेल्वे सुरू झाली. त्याला स्थानिकांचा आणि पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

अन्वयार्थ

खुंटीवर टांगली राजकीय नैतिकता

एकीकडे महिला सक्षमीकरणाची, महिलांचा सन्मान करण्याची भाषा राजकीय व्यासपीठांवरून करत नेते मंडळीच महिलांचा अपमान कसा करतात, हे चित्र पुन्हा समोर आले आहे. त्या संदर्भातील महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू या तुलनेत सुसंस्कृत, प्रगत मानल्या जाणाऱ्या राज्यांमध्ये नुकत्याच घडलेल्या दोन घटना पाहता ही नेते मंडळी सभ्यपणाचे मुखवटे घालून वावरत असतात की काय, असे वाटावे. पहिली घटना राज्यातील. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या त्यांच्या अधिकृत ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवरील एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा उल्लेख ‘गुंगी गुडिया’ असा केला. बीडमधील कायदा-सुव्यवस्थेवर एका पत्रकाराने सुनेत्रा पवार यांना विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांनी किंवा तिथे उपस्थित नेत्यांनी उत्तर न दिल्याचा संदर्भ या टीकेला होता. हे कमी म्हणून की काय, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या टीकेचे समर्थन केले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर काँग्रेसने केलेल्या टिप्पणीनंतर संतप्त झालेल्या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रदेश काँग्रेस मुख्यालय, ठाणे व पुण्यातील काँग्रेस कार्यालयात गोंधळ घातला.

वास्तविक काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरोधात भाजपची नेते मंडळी गेली अनेक वर्षे अत्यंत वाईट शब्दांमध्ये शेरेबाजी करत आली आहेत. काँग्रेस नेतेही सोनियांच्या अपमानावरून भाजप नेत्यांना नेहमीच लक्ष्य करतात. साहजिकच सुनेत्रा पवारांबाबत असे घडताच सपकाळ यांनी दिलगिरी व्यक्त करीत वाद मिटवणे आवश्यक होते. पण त्यांनी तसे न करता उलट समर्थनच केले. अशा वर्तनाबद्दल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सपकाळ यांचे कान टोचले ते बरेच झाले. आपल्या पक्षाचे काय चालले आहे, त्यावर काम करायचा, पक्ष वाढवायचा प्रयत्न करण्याऐवजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांना उपमुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या स्त्रीवर आपल्याच पक्षाकडून झालेल्या ‘गुंगी गुडिया’ या टिप्पणीचे समर्थन करून नेमके काय साधायचे आहे? १९६६ मध्ये ज्येष्ठ समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या संदर्भात ‘गुंगी गुडिया’ हे शब्द वापरले होते. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या सुरुवातीच्या काळात इंदिरा गांधी फारशा प्रभावी वाटत नव्हत्या, असा संदर्भ त्याला होता. तेव्हा लोहियांवरही टीका झाली होती. पण पुढे जाऊन आपले नेतृत्व किती कणखर आहे, हे इंदिरा गांधींनी सगळ्या जगाला दाखवून दिले. बांगलादेशची निर्मिती, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, काँग्रेसला जनाधार मिळवून देणे यातून इंदिरा गांधी यांनी या टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिले होते. शिवाय फारसे न बोलणारे नेते कर्तृत्ववान असतात आणि बडबड करणारे पोकळ निघतात, हेदेखील देशाने अनेक वेळा पाहिले आहे. भारतासारख्या देशात पुरुषप्रधान संस्कृतीची अनेक दडपणे पेलत एखादी स्त्री सार्वजनिक अवकाशात वावरायला लागते, पदांबर बसते, तेव्हा असे शब्द हे तिला नामोहरम करण्याचेच शस्त्र असते. जो पक्ष त्यातून गेला आहे, त्याने तरी ते न वापरण्याचे भान बाळगणे अपेक्षित होते. पण काँग्रेसचे हे भान सुटले, ही त्या पक्षासाठी निश्चितच नामुष्कीची गोष्ट आहे.

हीच बाब तमिळनाडूमध्येही घडली. तमिळनाडूत माजी उपमुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी चित्रपट अभिनेत्री त्रिशा यांच्यावर अश्लील शेरेबाजी केली. उदयनिधी यांना ताबडतोब त्यांच्या निवासस्थानातून थेट पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. याविरोधात द्रमुकचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. उदयनिधी स्टॅलिन यांनीही आपण काही चुकीचे वक्तव्य केलेले नाही, असाच दावा केला.

पण अभिनेत्री त्रिशा यांची मुख्यमंत्री विजय यांच्याशी जुनी व्यावसायिक मैत्री आहे. त्या मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जातात. त्यांचा राजकारणाशी थेट काहीही संबंध नाही. असे असताना तमिळनाडूतील राजकीय पक्ष सतत अभिनेत्री त्रिशा यांचा टीकेसाठी वापर करण्याचा प्रयत्न करतात. खरे तर सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणाऱ्या व्यक्तीचे वैयक्तिक आयुष्य ही त्याची खासगी बाब असते. त्याबद्दल माहिती आहे, म्हणून एखाद्या शस्त्रासारखा त्या माहितीचा वापर करणे हे नीतिमत्तेला अजिबात धरून नाही. या दोन्ही प्रकरणांमध्येही स्त्रियांचा असा राजकीय वापर करताना राजकीय नैतिकता गुंडाळून खुंटीवर टांगून ठेवण्यात आली.

लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण मिळून स्त्रियांचा राजकीय पटलावरील वावर वाढेल, तो दिवस काही दूर नाही. तेव्हा त्यांना कशाकशाला तोंड द्यावे लागणार आहे, याची ही चुणूकमात्र आहे, एवढे खरे.

संपादकीय

'चिंधीचोरी'चे शहाणपण!

कधी कधी सरकार नावाची यंत्रणा चालवणारे प्रशासकीय अधिकारी असे काही निर्णय घेतात, की त्यामागच्या तर्कटावर संतापावे की, त्याची कीव करावी, हे कळत नाही. त्या निर्णयात ना काही औचित्य असते, ना कसले शहाणपण. अनेकदा अशा बेताल निर्णयांमुळे सरकारची अनावश्यक बदनामी होते. महाराष्ट्र सरकारला नुकताच हा अनुभव आला आणि अध्यादेश काढून जाहीर केलेला निर्णय चोवीस तासांच्या आत मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. विषय?- राज्यातील मंत्र्यांच्या घरी आणि कार्यालयात सकाळी सकाळी वर्तमानपत्रे उपलब्ध करण्याची वर्षानुवर्षे चालत आलेली रीत! ३० जुलै २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश काढला की, १ सप्टेंबर २०२६पासून उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांमध्ये तसेच शासकीय निवासस्थानी मुद्रित वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांचा पुरवठा बंद करण्यात येईल. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आणि शासकीय निवासस्थानाला या निर्णयातून वगळण्यात आले. तेथे पूर्वीप्रमाणेच सरकारी खर्चातून मुद्रित वर्तमानपत्रे उपलब्ध राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. इतर मंत्र्यांनी मात्र ऑनलाइन सदस्यत्वावरच समाधान मानावे, असे सांगण्यात आले. हे सारे कशासाठी? - तर सरकारी खर्चात काटकसर करावी म्हणून! म्हणजे अगदीच ग्राम्य म्हण वापरायची तर 'दार सताड उघडे असताना मोरीला बोळा लावायची घाई.' हे असे काही सरकारातील बाबूशाहीने ठरवले आहे, हे दुसऱ्या दिवशी (मुद्रित) वर्तमानपत्रांनीच सर्वांना सांगितले आणि टीकेची झोड उठली. या निर्णयाला विरोध होणार हे स्वाभाविकच होते. भल्या सकाळी मंत्र्यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयात येणारी वर्तमानपत्रे हे काही सकाळी येऊन दुपारी कचऱ्यात जाणारे पुष्पगुच्छ नव्हेत. वर्तमानपत्रे जगभराच्या वर्तमानाचा आरसा घेऊन येतात. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातली बातमी टिपणारे वार्ताहर हे खरे तर प्रशासनाचे कान आणि डोळे असतात. डिजिटल माध्यमांनी सुरू केलेले ब्रेकिंग न्यूजचे दळण हे तातडीचे खरे असते, तरी मुळाशी जाऊन सत्य शोधण्याची आस आणि त्यासाठीचा अवधी हे मुद्रित पत्रकारितेचे बलस्थान शाबूत असल्याने सबसे तेज शर्यतीत धावून धाप लागलेल्या जगासाठी मुद्रित माध्यमेच सर्वाधिक विश्वासार्ह असल्याचे पुन: पुन्हा सिद्ध झालेले आहे. आजही (उरलेसुरले) अभ्यासू मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचा कार्यालयीन दिवस त्यांच्या टेबलावर येणाऱ्या 'कात्रणां'च्या वाचनातून सुरू होतो. पण, केवळ डिजिटल तेच उपयोगाचे, असा भ्रम झालेल्या कुणा अधिकाऱ्याला वर्तमानपत्रांच्या (कागदी) पसाऱ्यापेक्षा चटपटीत डिजिटल लिस्टिकल्स अधिक स्मार्ट वाटली असावीत! - आणि हा सारा उपद्व्याप कशासाठी? - वर्षाकाठी सरकारचे (अवघे) २२ लाख रुपये वाचवण्यासाठी! लाखो रुपयांची वस्त्रप्रावरणे खरेदी करताना उधळपट्टीचे भान न बाळगणाऱ्या गृहिणीने घरखर्च आवाक्यात यावा म्हणून डाळ-तांदळाच्या खरेदीवर बंदी घालण्यासारखेच हे! - अखेरीस कुणा सुबुद्धाच्या सत्वर मध्यस्थीने ही 'बचत-बला' टळली आणि विरोधाची तीव्रता लक्षात येताच सरकारने यू-टर्न घेतला. मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी आणि शासकीय निवासस्थानांसाठी मुद्रित वर्तमानपत्रे, ऑनलाइन सदस्यत्व किंवा दोन्हीपैकी कोणताही पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली. तरीही या संपूर्ण प्रकरणाने काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वांत पहिला प्रश्न म्हणजे, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते का? तसे झाले असावे, असे वाटत नाही. कारण देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः उत्तम वाचक आहेत आणि वर्तमानपत्रांचे समाजजीवनातील महत्त्व चांगले जाणतात. जगभरातील अनेक प्रगत देश स्क्रीनमध्ये अडकलेल्या मुलांना पुन्हा पुस्तके आणि वही- पेन्सिलीशी जोडू लागले आहेत. दूर कशाला, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये दररोज वर्तमानपत्रांचे वाचन अनिवार्य केले आहे. सरकारी खर्चातून हिंदी आणि इंग्रजीतील दर्जेदार वर्तमानपत्रे शाळांना उपलब्ध करून दिली जात आहेत. आणि इथे? -वर्षाला २२ लाख रुपये वाचवून सरकार श्रीमंत होणार नव्हते आणि तेवढी कमाई बुडाल्याने वर्तमानपत्रे उद्योगही गरीब होणार नव्हता. तेव्हा सरकारने निर्णय वेळीच मागे घेतला हे उत्तम झाले. खरा प्रश्न पैशाचा नव्हताच... एरवी सांस्कृतिक समारंभांवर कोट्यवधींची अनुदाने उधळणारे सरकार प्रत्यक्ष वाचनसंस्कृतीची पाठराखण करणार, की चिंधीचोरी करून स्वतःचे सांस्कृतिक दारिद्र्य चव्हाट्यावर मांडणार, हा खरा प्रश्न होता!- त्याचे आत्तापुरते उत्तर तरी दिलासादायक आहे.

विजेच्या बाजारात आता एकाहून अधिक वितरक

वीज वितरण बाजारातील पर्याय ग्राहकांवर अनेक अर्थांने परिणाम करतील; पण आपल्या अधिकारांबाबत ग्राहकांनीही जागरुक राहणे गरजेचे आहे.

जयंत देव
वीज अभ्यासक व सल्लागार

नवीन वीजदुरुस्ती विधेयकात वीज वितरणासाठी स्वतंत्र जाळे उभारण्याची अट काढून टाकण्यात येणार असल्याने एकाच भागात एकापेक्षा जास्त कंपन्यांना वीज वितरण परवाने मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ग्राहकांवर त्याचा अनेक अर्थाने परिणाम होणार आहे.

वीज कायदा २००३ चा मुख्य उद्देश वीज क्षेत्रात स्पर्धा आणणे हा आहे. गेल्या २३ वर्षांत वीज वितरण क्षेत्रात स्पर्धा येऊ शकली नाही. मुख्य अडचण दुसऱ्या वितरण कंपनीने वितरणासाठी स्वतःचे तारांचे जाळे उभे करणे अशी अव्यवहार्य अट होती. वितरण कंपनीची मक्तेदारी चालू राहिली. त्याचे परिणाम ग्राहकांना भोगावे लागले. ग्राहकराजा होण्याऐवजी 'भिकारी' झाला.

स्वतःचे तारांचे जाळे उभे करण्याची अट काढून, असलेले तारांचे जाळे वहन शुल्क देऊन वापरून इतर पुरवठादार ग्राहकांना स्पर्धात्मक पद्धतीने वीज देऊ शकतील, अशी दुरुस्ती आता करण्यात येणार आहे. तसेच इतर वितरण परवानेधारकांना स्वतःचे वीज जाळे उभे करूनसुद्धा वितरण करता येईल. अशा प्रकारची व्यवस्था आज मुंबईत आहे व त्यामुळे ग्राहकांना समाधानकारक सेवा मिळत आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?

१. अधिक स्पर्धा, किमतीत घट - अनेक वितरण परवाने असलेल्या भागात स्पर्धात्मक वीजपुरवठादार निर्माण होतील, ज्यामुळे कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी किमती कमी करू शकतात. मोबाइल फोन सेवेप्रमाणे ग्राहकांना विविध किमतींच्या योजना, दर आणि सेवांचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या वीज वापराच्या पद्धतींनुसार आणि बजेटनुसार सर्वोत्तम पर्याय निवडता येतील.

२. सेवेची विश्वसनीयता - स्पर्धेचा दबाव निर्माण झाल्याने कंपन्या ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करताना सेवा विश्वसनीयता आणि ग्राहकसेवांवर अधिक लक्ष देऊ शकतात, ज्यामुळे तक्रारी आणि प्रतिसादाचा वेळ कमी होऊ शकतो. कंपन्यांना आधारभूत सुधारणांत गुंतवणूक करण्यास स्पर्धा प्रोत्साहित करू शकते.

३. ऊर्जेच्या विविध स्रोतांचा वापर - अनेक वितरकांमुळे ग्राहकांना हरित ऊर्जा पर्याय- वारा किंवा सौर ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकते. ग्राहकाला निवडीचा अधिकार मिळेल. अधिक पर्याय नवीन उत्पादने आणू शकतात, जसे की सामुदायिक सौर कार्यक्रम किंवा वापराच्या वेळेनुसार किमती, ज्यामुळे ग्राहक ऊर्जा खरेदीत आवश्यकतेनुसार फेरबदल करू शकतील.

४. सेवेची गुणवत्ता - स्पर्धा गुणवत्ता सुधारू शकते. विविध स्तरांच्या ग्राहक सेवेसोबत त्यामुळे विश्वसनीयता येऊ शकते. मात्र, ग्राहकांना काही दक्षताही घ्यावी लागेल. विश्वासार्ह आणि उच्च-गुणवत्तेच्या सेवा पुरवठादाराची निवड करण्यासाठी त्यांना अधिक वेळ गुंतवावा लागू शकतो.

५. नियामक देखरेख - नवीन परवाने देताना त्यात नियमनाची आवश्यकता आहे. अनेक वितरण परवाने अस्तित्वात असताना सुरक्षित, समान आणि विश्वसनीय वीजसेवा सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस नियामक चौकटींची आवश्यकता असते. सुरक्षितता आणि सेवा मानकांचे पालन करण्यासाठी तपासणी करणे आवश्यक आहे. वाढीव देखरेखीमुळे ग्राहकांना संभाव्य गैरव्यवहार- अन्यायकारक किमतींच्या पद्धती किंवा कमी दर्जाच्या सेवांपासून संरक्षण करण्यात मदत करू शकते.

६. बाजाराची गती - स्पर्धात्मक वातावरणामुळे मागणीच्या आधारे किमतीत मोठी चढउतार होऊ शकते, ज्यामुळे काही ग्राहकांना 'पिक' कालावधीत किमतीची वाढ अनुभवायला मिळू शकते, विशेषतः जर ते बदलत्या दरांच्या योजना वापरत असतील तर. अनेक पुरवठादार असलेल्या ग्राहकांसाठी पर्यायांची गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे किमती, सेवा गुणवत्ता आणि अटींची तुलना करणे कठीण होऊ शकते, त्यासाठी अधिक अभ्यास करावा लागेल.

७. ग्राहक राजा - बाजारातले अधिक विकल्प ग्राहकशक्ती वाढवू शकतात, ज्यामुळे त्यांना अधिक चांगली सेवा आणि किमती कमी करण्यास मदत होईल. विश्वसनीयता व ग्राहक सेवा मूल्यमापनावर आधारित पुरवठादार ते निवडू शकतात. आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी ग्राहक शिक्षणही महत्त्वाचे आहे. प्रभावी निवड करण्यासाठी ग्राहकांना या गुंतागुंतीच्या बाजारात त्यांच्या अधिकारांची समज विकसित करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण गट किंवा शैक्षणिक साधनांची आवश्यकता असू शकते.

वीज बाजारात अनेक वितरण परवाने असणे ग्राहकांसाठी अनेक परिणाम साधू शकतात, ज्यामध्ये वाढीव स्पर्धा, अधिक पर्याय, संभाव्य खर्चकपात आणि सेवांमध्ये नवकल्पना समाविष्ट आहेत. तथापि, सेवांची असमानता आणि नियामक गुंतागुंतीसारख्या आव्हानांनाही सामोरे जावे लागेल तरच ग्राहक या बदलांचा पूर्ण फायदा घेऊ शकतील. स्पष्ट आणि पारदर्शक बाजार सुनिश्चित करणे आणि ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे असेल. त्यासाठी ग्राहक मंच महत्त्वाचा ठरेल. ग्राहकांना आपल्या अधिकारांबाबत जागरूक राहावे लागेल.

अन्वयार्थ

कावेरीच्या 'अस्मिते'चे पाणी ऐन पावसाळ्यात का पेटले?

कावेरीचा पेटलेला वाद असो किंवा कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील गुंता; पाणीप्रश्न केवळ न्यायाधिकरणाचे आकडे किंवा न्यायालयीन निकालांनी सुटणारा नाही.

नंदकिशोर पाटील
संपादक, लोकमत
छत्रपती संभाजीनगर

निसर्गाची कृपा असूनही दक्षिण भारताची जीवनवाहिनी असलेल्या कावेरीच्या पाण्याचा प्रश्न ऐन पावसाळ्यात पुन्हा एकदा तापला आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील ऐतिहासिक जलसंघर्ष आता नव्या राजकीय वळणावर येऊन ठेपला आहे. केंद्रविरोधी आघाडीत एकत्र येणाऱ्या भाजपेतर पक्षांची सरकारे असलेल्या या दोन राज्यांत, आंतरराज्यीय न्यायापेक्षा प्रादेशिक अस्मिता वरचढ ठरतेय की, पाण्याच्या आडून या दोन दक्षिणपंथी राज्यांमधील जुना जलविवाद मुद्दाम पेटविला जातोय, हा खरा प्रश्न आहे.

भारतात नद्यांना लोकमाता मानून पूजण्याची परंपरा असली, तरी याच नद्यांचे पाणी स्वतःच्या राज्याच्या सीमेत अडकवण्यासाठी चाललेली ओढाताण हा आपल्या संघराज्यात्मक रचनेपुढील एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचे बिघडलेले गणित आणि दुसरीकडे वाढत्या लोकसंख्येची तहान, या कात्रीत सापडलेले जलस्रोत आता प्रादेशिक अस्मिता आणि राजकीय संघर्षाचे मुख्य केंद्र बनत आहेत. दक्षिण भारतातील कावेरी जलविवाद हे या आंतरराज्यीय संघर्षाचे सर्वांत जुने आणि ज्वलंत उदाहरण आहे, तर महाराष्ट्रातील कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील पाणीप्रश्न या जलपेचाचीच स्थानिक आवृत्ती आहे.

कावेरीच्या वादाची मुळे ब्रिटिशकालीन वसाहतवादी धोरणांमध्ये रुजलेली आहेत. १८९२ आणि १९२४ मध्ये तत्कालीन म्हैसूर संस्थान (आजचा कर्नाटक) आणि मद्रास प्रेसिडेन्सी (आजचा तामिळनाडू) यांच्यात झालेले करार हे या संघर्षाचे मूळ कारण मानले जातात. १९२४ च्या ५० वर्षांच्या करारात कावेरीच्या एकूण लभ्य पाण्याचा सुमारे ७५ टक्के वाटा एकट्या मद्रास प्रेसिडेन्सीला मिळाला होता. १९७४ मध्ये या कराराची मुदत संपल्यानंतर कर्नाटकने हे करार म्हैसूरवर लादलेले आणि अन्यायकारक असल्याचे सांगत स्वतःचे सिंचन प्रकल्प वेगाने पुढे नेले, तर तामिळनाडूने आपल्या ऐतिहासिक हक्कांवर ठाम राहत कायदेशीर लढाई सुरू केली.

कर्नाटकची भूमिका अशी आहे की, नदीचा उगम त्यांच्या राज्यात होतो आणि खोऱ्यातील ६३ टक्के दुष्काळग्रस्त भाग त्यांच्याकडे असल्याने पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी पाण्याचा प्राथमिक अधिकार त्यांचा आहे. याउलट, शतकानुशतके कावेरीच्या डेल्टा भागातील शेतकरी या प्रवाहावर अवलंबून आहेत; त्यामुळे कर्नाटकातील नवीन बांधकामांमुळे त्यांची अन्न सुरक्षा आणि उपजीविका धोक्यात आली आहे, असा सखल भागात वसलेल्या तामिळनाडूचा युक्तिवाद आहे.

या वादावर पडदा टाकण्यासाठी १९९० मध्ये केंद्र सरकारने कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरण स्थापन केले. लवादाने २००७ मध्ये दिलेला निर्णय आणि त्यानंतर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निकाल, यामुळे या प्रवाहाला नवी दिशा दिली. न्यायालयाने 'नदीचे पाणी ही कोणत्याही एका राज्याची नव्हे, तर संपूर्ण राष्ट्राची संपत्ती आहे' असा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त मांडला. परंतु, न्यायाधिकरणाचे कायदेशीर आकडे कागदावर आले तरी, ज्या वर्षी पाऊस कमी पडतो, त्या प्रत्येक वर्षात दोन्ही राज्यांतील रस्त्यांवर आणि न्यायालयात पुन्हा संघर्ष पेटतोच.

आंतरराज्यीय जलविवादाची हीच छाया महाराष्ट्रावरही स्पष्टपणे दिसते. कृष्णा नदी पाणी तंटा लवादाने महाराष्ट्रासाठी ६६६ टीएमसी पाणी मंजूर केले असले, तरी कर्नाटकातील आलमट्टी धरणाचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या उराशी टांगती तलवार बनून राहिला आहे. आलमट्टी धरणाची उंची ५२४.२६ मीटरवर नेण्याच्या कर्नाटकच्या हट्टामुळे पावसाळ्यात बॅकवॉटरचा फटका बसून पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत महापूर येतो. अब्जावधी रुपयांचे नुकसान आणि मानवी विस्थापन होऊनही आंतरराज्यीय समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रश्न दरवर्षी पेटतो.

दुसरीकडे, गोदावरी खोऱ्यात महाराष्ट्राला १९६९ च्या बच्छावत लवादाने आंतरराज्यीय पातळीवर संरक्षण दिले असले, तरी राज्याच्या अंतर्गत पाणीवाटपात भयानक विषमता निर्माण झाली आहे. नाशिक आणि अहिल्यानगर या वरच्या खोऱ्यातील सिंचन आणि मराठवाड्यातील (जायकवाडी धरण) पाण्याचा हक्क यावरून महाराष्ट्रातच 'गृहयुद्ध'सदृश परिस्थिती निर्माण होते. समन्यायी पाणीवाटप कायद्याची अंमलबजावणी करताना स्थानिक राजकीय दबाव आणि विभागीय अस्मिता आड येतात.

थोडक्यात सांगायचे तर, कावेरीचा पेटलेला वाद असो किंवा कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील गुंता; पाण्याचा प्रश्न केवळ न्यायाधिकरणाचे आकडे किंवा न्यायालयाचे निकाल देऊन सुटणारा नाही. 'माझ्या राज्याची नदी' ही संकुचित वृत्ती सोडून संपूर्ण नदी खोऱ्याचा एक घटक म्हणून विचार करणारी 'बेसिन-वाइझ वॉटर मॅनेजमेंट' यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. हवामान बदलाच्या या युगात जलपुनर्भरण, पीक पद्धतीत आमूलाग्र बदल आणि राजकीय परिपक्वता दाखवली नाही, तर भविष्यातील महाभारत जमिनीसाठी नव्हे, तर पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी लढले जातील, हाच या घडामोडींचा स्पष्ट इशारा आहे.

nandu.patil@lokmat.com

जगभर

हुकूमशहा किम जोंग उन यांचे अश्रू खरे की खोटे?

उत्तर कोरियात नेमकं काय चालतं आणि तिथले हुकूमशहा किम जोंग उन यांच्या डोक्यात नेमकं काय चालू आहे, याबाबत केवळ अंदाजांनीच उत्तर दिलं जाऊ शकतं. कारण, उत्तर कोरियानं आपली सर्वच माहिती पोलादी तटबंदीच्या आत जखडून ठेवली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर कोरियात सुमारे ४५ टक्के लोक कुपोषणाचे बळी आहेत. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामुळे नागरिकांवर अत्याचार होतो आहे.

मात्र आता परिस्थिती काही प्रमाणात बदलताना दिसते आहे. अनेक दशकांत पहिल्यांदाच तिथल्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणेची चिन्हं दिसू लागली आहेत.

अर्थातच, उत्तर कोरियात नेमकं काय सुरू आहे हे जाणून घेणं अत्यंत कठीण आहे. तिथून पळून जाण्यात यशस्वी ठरलेले नागरिक, परदेशी गुप्तचर संस्थांचे अहवाल आणि उत्तर कोरियात गेलेल्या मोजक्या पाश्चिमात्य नागरिकांचे अनुभव यांचाच त्यासाठी आधार घ्यावा लागतो.

दक्षिण कोरियाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या अंदाजानुसार, २०२४ मध्ये उत्तर कोरियाचा जीडीपी ३.७ टक्के होता. गेल्या आठ वर्षांतील ही त्यांची सर्वात वेगवान आर्थिक वाढ मानली गेली. तज्ज्ञांच्या मते, किम जोंग उन सत्तेवर आल्यानंतर उत्तर कोरियन अर्थव्यवस्था सध्या तिच्या सर्वोत्तम टप्प्यात आहे.

किम जोंग उन तिरसट, हेकेखोर हुकूमशहा आहेतच; पण जनतेप्रति आपण किती उदार आहोत, हे दाखविण्याचाही अलीकडच्या काळात ते बराच प्रयत्न करीत आहेत. जनतेशी संवाद साधताना त्यांच्या डोळ्यांतील खरे-खोटे अश्रू तर लोकांनी पाहिलेच; पण आपल्या देशाची तिजोरी भरण्यासाठीचे त्यांचे प्रयत्नही जगाला दिसले.

युक्रेन युद्धासाठी रशियाला शस्त्रास्त्रांची निर्यात, चीनसोबतचा व्यापार, अनौपचारिक बाजारांवर वाढलेलं सरकारी नियंत्रण आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्या अंमलबजावणीत आलेली शिथिलता या गोष्टींनी उत्तर कोरियाची तिजोरी भरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे, सामान्य लोकांचं जीवन अजूनही अडचणींनी भरलेलं आहे, तरीही राजधानी प्योंगयांगमध्ये विकासाची पावलं आता दिसू लागली आहेत. तिथले रस्ते चांगले झाले आहेत. पूर्वी वीजटंचाईमुळे उंच इमारतींमधील लिफ्ट बंद असायच्या, त्या आता सुरू असतात. मोबाइलचा वापर वाढतो आहे, रस्त्यांवर विदेशी इलेक्ट्रिक कार दिसताहेत. खाद्यपदार्थ किंवा टॅक्सी बुक करण्यासाठी लोक ॲप्सचा वापर करू लागले आहेत.

ऑस्ट्रेलियन ट्रॅव्हल एजंट रोवन बिअर्ड यांनी वॉल स्ट्रीट जर्नलला सांगितलं, प्योंगयांगच्या अलीकडील भेटीत त्यांच्या दुभाष्यानं मोबाइल ॲपद्वारे टॅक्सी बोलवली आणि काही मिनिटांतच ती आली, हे पाहिल्यावर मला चक्कर यायची तेवढीच बाकी राहिली! येत्या दहा वर्षांत देशात २० नवीन पायाभूत कारखाने उभारण्याचं आश्वासन किम जोंग यांनी नुकतंच दिलं आहे. उत्तर कोरियानं अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र म्हणूनही स्वतःला मोठ्या प्रमाणात स्थापित केलं आहे.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केलं, तेव्हा किम जोंग उन यांनी या युद्धात एक संधी पाहिली. त्यांनी पुतीन यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला. रशियाच्या मदतीसाठी काही हजार सैनिकही पाठवले. पुतीन यांच्याशी झालेल्या करारानंतर उत्तर कोरियात अनेक कारखाने सुरू झाले. किम जोंग आपली प्रतिमा बदलत असल्याचं दिसत असलं तरीही त्यांचे मधूनच भावनावश होणं, डोळ्यांत अश्रू आणणं हे खरं की खोटं, याबाबतची चर्चा अजूनही थांबलेली नाही.

जनमन

पदपथ अतिक्रमणमुक्त करा

'अतिक्रमणमुक्त पदपथ उपलब्ध करा,' असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. 'आता आम्ही निर्धास्त चालू' या विचाराने सामान्य मुंबईकर नक्कीच सुखावला. पण, त्याच्या मनात मागील पानावरून सुरू... या पद्धतीने अनेक प्रश्न निर्माण झाले. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या कडक निर्देश व इशाऱ्याचे स्वागत आहेच. पण, असे कितीतरी कडक निर्देश यापूर्वीही दिले गेले आणि ते इशारे कागदावरच राहिले असतील किंवा हवेत विरून गेले असतील.

'नेमेचि येतो मग पावसाळा' म्हणत 'जैसे थे' स्थितीत आम्ही चालत राहतो. कारण निर्ढावलेली व्यवस्था व त्याची सवय झालेली जनता. बदलाची गरज सर्वांना असताना बदल स्वीकारण्याची मानसिकता तयार होत नाही. कुणास 'दररोज', कुणास 'दर' आठवड्यातून एकदा तर कुणास 'दर' पंधरा दिवसांनी कामाचा अहवाल / आढावा देण्याची दिरंगाई अथवा निष्काळजी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा महापालिका आयुक्तांनी दिला. नागरिकांनी वेळोवेळी ऐकलेला, अनुभवलेला कर्मचारी व अधिकारी यांच्या कामाचा 'दर' वर्षानुवर्षे चढत जातो. वाढत जाणारा हा 'दर' खाली येईल आणि त्यासाठी एक पैसाही मोजावा लागणार नाही, तो सुदिन असेल. केवळ इशारा देऊन 'आम्ही निर्धास्त चालू' यावर विश्वास कसा ठेवावा? यासाठी नागरिकांची व आयुक्तांची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे. सातत्याने पाठपुरावा, जाणीवपूर्वक देखरेख व एकमेकांवरील विश्वास व सहकार्याने हे शक्य होऊ शकते. आयुक्तांना सर्व अहवाल व आढाव्यांवर स्वत: नजर ठेवावी लागेल.

- विठ्ठल बाबूराव घाडी, चारकोप, कांदिवली

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

सज्जनशक्ती

असभ्य भाषा, शिव्यांचे मानसशास्त्र आणि विद्रोहाची दिशा

माणूस राग, अपमान, अन्याय किंवा असहायतेच्या भावनेतून शिवीगाळ करतो तेव्हा ती केवळ शिवी नसते; दाबलेल्या भावनांचा तो विस्फोट असतो.

डॉ. हमीद दाभोलकर
मानसोपचारतज्ज्ञ, कार्यकर्ता,
महाराष्ट्र अंनिस

असभ्य भाषा वापरणे, शिवी देणे या गोष्टी आपल्यामधील बहुतांश माणसे मित्रमंडळींत अनेक वेळा करत असतात. जेव्हा सार्वजनिक वर्तनाचा विषय येतो तेव्हा मात्र अशा स्वरूपाची सज्जनतेच्या विरुद्ध समजली जाते. दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनात काही तरुणांनी वापरलेली भाषा, तीव्र उपहास आणि शिवीगाळ यावर सध्या जोरात चर्चा सुरू आहे. काहींनी या भाषेचे समर्थन केले, तर काहींनी ती लोकशाहीला न शोभणारी असल्याचे म्हटले. या प्रश्नाकडे नैतिकतेसोबतच मानसशास्त्र, समाजशास्त्र आणि राजकीय ताणेबाणे यादृष्टीनेदेखील पाहण्याची गरज आहे.

मानसशास्त्र सांगते की- माणूस राग, अपमान, अन्याय किंवा असहायतेच्या भावनेतून शिवीगाळ करतो. अशावेळी शिवी ही केवळ शब्द नसते; दाबलेल्या भावनांचा तो विस्फोट असतो. विशेषतः तरुण वयात भावना तीव्र असतात. अनेकवेळा आपल्या आजूबाजूला केवळ राग व्यक्त करण्यासाठी शिवी हासडणारी अनेक माणसे आपल्याला माहीत असतात. त्यामागे फारसा अर्थ अभिप्रेत असतोच असे नाही. प्रेशर कुकरच्या शिट्टीसारखी इथे शिवी कार्य करत असते.

दुसऱ्या बाजूला याला एक समाजशास्त्रीय संबंध देखील आहे. गेल्या दशकात सामाजिक माध्यमांवर आपल्या विरोधी व्यक्तीच्या विषयी अतिशय हिणकस आणि विद्वेषी भाषा वापरण्याची संस्कृती आपल्या देशात तयार केली गेली आहे. लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक ठिकाणी सहजपणे ही भाषा वापरताना दिसतात. त्यामुळे या वागण्याचे सामान्यीकरण झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये देखील जगभरातील तरुणाई जी भाषा सहजपणाने वापरते ती इथल्या जेन-झीने वापरायला लागणे हे देखील समजून घेता येण्यासारखे आहे.

यालाच धरून आपण हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, प्रत्येक समाजात भाषा ही सत्ता राबवण्याचे तसेच प्रतिकाराचे देखील साधन असते. जेव्हा तरुणांना वाटते की, त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही, तेव्हा ते अधिक धक्कादायक भाषा वापरून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतात. जेन-झीच्या आंदोलनात या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन एक राजकीय हत्यार म्हणूनदेखील याचा वापर केला गेला आहे, असे वाटते. सर्व बाजूने दमनकारी असलेल्या सत्तेच्या विरोधात, ज्यांच्याकडे प्रतिरोधाच्या इच्छाशक्ती पलीकडे फारशी हत्यारे नाहीत त्यांच्या सामूहिक नेणिवेतून शोधले गेलेले एक राजकीय हत्यार म्हणून देखील याकडे बघता येऊ शकते.

कठोर विचार मांडण्यासाठी कठोर शब्दांची गरज नसते. जेन-झीने ज्यांचे फोटो हातात घेऊन ही लढाई लढली त्या महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अन्यायाला ठाम विरोध केला; परंतु वैयक्तिक अपमान किंवा अश्लील भाषेचा आधार घेतला नाही. त्यांच्या विचारांची ताकद त्यांच्या भाषेच्या संयमातूनच अधिक प्रभावी ठरली.

आजच्या जेन-झी पिढीमध्ये ऊर्जा, धाडस आणि बदल घडवण्याची तीव्र इच्छा आहे. ही ऊर्जा लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र संतापाला विवेकाची जोड महत्त्वाची वाटते. असभ्य भाषा आणि शिवीगाळ काही क्षणांसाठी टाळ्या मिळवू शकते; पण सुसंस्कृत, तर्कशुद्ध आणि ठाम भाषा दीर्घकाळ समाजाचे मन जिंकते, असा इतिहास आहे.

hamid.dabholkar@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

दैनिक जागरण
प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचने वाली हृदय की पुकार है

गतिरोध से त्रस्त संसद

संसद में जारी गतिरोध को तोड़ने और विदेशी चंदे एवं परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर सहमति कायम करने के लिए संसदीय कार्यमंत्री किरेण रिजीजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत जिस तरह किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती नहीं दिखी, उससे मानसून सत्र के हंगामे के बीच ही खत्म होने के आसार बढ़ गए हैं। राहुल गांधी की शर्त है कि जब तक काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह बयान नहीं देते और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में सदन में चर्चा नहीं होती, तब तक संसद की कार्यवाही नहीं चल सकती। पता नहीं इन दोनों विषयों पर ऐसा हो पाता है या नहीं, लेकिन हैरानी नहीं कि इसकी नौबत आने पर विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा कर सदन से चलता बने और सरकार का पक्ष भी न सुने। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पेपर लीक विरोधी कानून में संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष और विशेष रूप से राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन इस बिल पर एक शब्द भी नहीं कहा था। कुछ ऐसा ही रवैया अन्य विपक्षी नेताओं का रहा था। यह पहली बार नहीं, जब विपक्ष उन मुद्दों को तूल देने पर अड़ गया हो, जो संसद सत्र के पहले किसी न किसी कारण सतह पर आए। एक लंबे अर्से से यह देखने को मिल रहा है कि संसद सत्र शुरू होने के पहले कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं या फिर सुनियोजित रूप से लाए जाते हैं कि विपक्ष को संसद में हंगामा करने का अवसर मिल सके। यह स्थिति यही बताती है कि विपक्ष अपनी ओर से न तो कोई तैयारी करता है और न ही उसके पास प्रस्तावित विधेयकों अथवा राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर कोई ठोस सुझाव होते हैं। यह एक तथ्य है कि संसद के इस सत्र में पेपर लीक विरोधी कानून में संशोधन वाले विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई। कई विधेयक विपक्ष की नारेबाजी के बीच बिना किसी विचार-विमर्श के पारित हो गए। समस्या यह है कि जिन विधेयकों पर कभी कोई चर्चा होती भी है, तो वह अत्यंत सतही और निरर्थक होती है।

यह किसी से छिपा नहीं कि विपक्ष की ओर से सरकार के हर विधेयक और हर फैसले का आंख मूदकर विरोध ही किया जाता है। वास्तव में अब विरोध और अंधविरोध का अंतर मिटता जा रहा है। विपक्ष की ओर से रचनात्मक अथवा सकारात्मक सहयोग अब बीते जमाने की बात बन गया है। इसकी जगह नकारात्मकता और विरोध के नाम पर विरोध की राजनीति ने ले लिया है। इससे संसद की महत्ता और गरिमा ही कम हो रही है। यदि संसदीय कामकाज की यही दशा रही तो वह दिन दूर नहीं, जब आम जनता में संसद के प्रति आस्था डिगती दिखे। अच्छा हो कि पक्ष और विपक्ष, दोनों यह देखें कि संसद की महत्ता फिर से कैसे स्थापित हो।

बिजली का हाईटेंशन

यह आंकड़ा बेहद गंभीर और चौंकाने वाला है कि उत्तर प्रदेश के करीब चार हजार स्कूलों के ऊपर से हाईटेंशन बिजली लाइनें गुजर रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे बच्चों की जान के लिए गंभीर खतरा माना है। कई जगह ये लाइनें टूटकर गिर चुकी हैं। यह महज संयोग नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की गहरी लापरवाही का परिणाम है। यही कारण है कि कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पक्षकार बनाते हुए विस्तृत जवाब मांगा है। पावर कारपोरेशन की यह लापरवाही सिर्फ विद्यालयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कहीं खेतों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन झूलती गुजर रही है तो कहीं बीच आबादी से गुजर रही है। सड़कों पर भी यही हाल है। अभी सोमवार को ही इन झूलती हाईटेंशन लाइनों की चपेट में आकर कांवड़ियों और शिवभक्तों को जान गंवानी पड़ी। जब बात विद्यालय के ऊपर से गुजरती ऐसी हाईटेंशन लाइनों की हो तो उसे हटाने और वैकल्पिक व्यवस्था में कोताही नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित बनाना किसी भी विभाग या संस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह कार्य कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, लिहाजा इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। यहां देश का भविष्य आकार लेता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बुनियादी ढांचे के लिहाज से विद्यालय आज सर्वाधिक उपेक्षित हैं। हाई कोर्ट ने स्कूली वाहनों को भी सुरक्षित बनाने के सुझाव दिए हैं। आशा की जानी चाहिए कि संबंधित विभाग इस पर कान देंगे।

> दुर्भाग्य है कि बुनियादी ढांचे के लिहाज से विद्यालय आज सर्वाधिक उपेक्षित हैं

अराजकता का पर्याय न बने असहमति

ए. सूर्यप्रकाश

जहां संवैधानिक विकल्प उपलब्ध हों, वहां असंवैधानिक तौर-तरीकों का कोई औचित्य नहीं। ऐसे तरीके अराजकता का ही तानाबाना होते हैं

बीते दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने और 20 जुलाई को संसद का घेराव करने वाली काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने अपने आंदोलन पर फिलहाल भले ही विराम लगा दिया हो, लेकिन उसने ऐसी किसी मुहिम को फिर से शुरू करने की धमकी भी दी है। सीजेपी को विपक्ष के कई दल दबे या खुले रूप से समर्थन दे रहे हैं। सीजेपी का यह धरना-प्रदर्शन शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू हुआ था। बाद में उनकी मांगों की सूची लंबी होती गई और सरकार पर दबाव भी बढ़ा। स्वाभाविक है कि अपनी मुहिम में शुरुआती सफलता से उनके हौसले इतने बुलंद हुए कि वे इस माहौल को बनाए रखना चाहते हैं। इस संगठन को उन राजनीतिक दलों की पूरी शह मिली, जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को परास्त करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। इसमें सबसे अग्रणी भूमिका उन वामपंथी दलों की रही, जो भले ही अपना अस्तित्व बचाने के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन धरना-प्रदर्शन को ऊर्जा देने का ईंधन अभी भी इनमें कुछ बचा हुआ है। चूंकि ये दल लोकतांत्रिक रूप से मोदी और भाजपा को हराने में नाकाम साबित हो रहे हैं, इसलिए अलोकतांत्रिक विकल्पों का सहारा लेने पर आमादा हैं। यह इनकी बेचैनी और कुंठा को ही जाहिर करता है। वामपंथी दलों को इसमें आम आदमी पार्टी यानी आप से लेकर सपा जैसे दलों का भी सहयोग मिला।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी इसमें कहां पीछे रहने वाली थी। लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष इसी आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका यह रवैया बहुत हैरान करने वाला था। अपनी दादी और पिता के समय स्वयं प्रधानमंत्री आवास में निवास का अनुभव रखने वाले राहुल इससे जुड़ी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को भलीभांति समझते होंगे। इसके बावजूद राहुल ने अराजकता की राह अख्तियार करने से परहेज नहीं किया। यह उनकी और कांग्रेस पार्टी की कमजोर मनोदशा को ही जाहिर करता है। यह कांग्रेसी नेताओं की मानसिकता में घर कर चुकी अराजकता ही रही, जिसने सीजेपी को संसद पर धावा बोलने के लिए उकसाने का काम किया।

पूरे विरोध-प्रदर्शन के दौरान डा. भीमराव आंबेडकर के प्रतीकों की तो खूब चर्चा हुई, लेकिन प्रतीत होता है कि आंदोलनकारी उनके आदर्शों को ही नहीं समझते। डा. आंबेडकर की दृष्टि में लोकतांत्रिक समाज में अराजक तौर-तरीकों की कोई जगह नहीं थी और इस संदर्भ में कम्युनिस्टों की मानसिकता को उन्होंने बहुत पहले ही भांप लिया था। करीब 77 साल पहले ही उन्होंने कहा था, 'कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी जैसे धड़ों की ओर से ही संविधान की आलोचना और विरोध हुआ है। वे संविधान की निंदा क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि यह वाकई एक बुरा संविधान है? मेरा स्पष्ट मानना है-'नहीं'। असल में, कम्युनिस्टों को ऐसा संविधान चाहिए जो सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत पर चले और चूंकि यह संविधान संसदीय लोकतंत्र पर टिका है, इसलिए वे इसकी आलोचना कर रहे हैं। दूसरी ओर, सोशलिस्टों की दो मांगें है। पहली, सत्ता में आने पर उन्हें सभी निजी संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण का अधिकार मिले और इसके एवज में कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा भी उन्हें न देना पड़े। दूसरा, संविधान में दर्ज मौलिक अधिकार पूरी तरह निरपेक्ष हों, ताकि सत्ता से बाहर रहने पर उन्हें केवल सरकार की आलोचना का ही नहीं, बल्कि राज्य को उखाड़ फेंकने का भी अनियंत्रित अधिकार प्राप्त हो।' आंबेडकर का यही आकलन था कि इन दोनों दलों से जुड़े लोग संसदीय लोकतंत्र के विरोधी थे और राज्य-व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए हर वक्त तत्पर रहते थे।

अवधेश राजपूत

संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डा. आंबेडकर ने कहा, 'यदि हम लोकतंत्र को न केवल औपचारिक रूप में, बल्कि वास्तविक स्वरूप में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरी समझ से सबसे पहली बात जो हमें करनी चाहिए वह यह है कि अपने सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं से ही जुड़े रहें। इसका अर्थ है कि हमें क्रांति के हिंसक रास्तों का त्याग करना होगा। इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह को छोड़ना होगा। जब सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक विकल्प उपलब्ध नहीं थे, तब असंवैधानिक तरीकों का औचित्य काफी हद तक उचित था, लेकिन जहां संवैधानिक विकल्प उपलब्ध हों, वहां इन असंवैधानिक तौर-तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके कुछ और नहीं बल्कि अराजकता का ही तानाबाना हैं और हम जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दें, तो हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा।'

संसद का घेराव करने के प्रयास में सीजेपी की शारीरिक एवं भाषाई अराजकता को देखते हुए डा. आंबेडकर का यह संबोधन बहुत सटीक, दूरदर्शी एवं भविष्यसूचक साबित हुआ। इस धरना-प्रदर्शन में तमाम युवतियों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें से कुछ ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इतने भद्दे एवं अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, जिनका सार्वजनिक रूप से उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने न केवल उन सभी को क्षमा कर दिया, बल्कि पुलिस को भी कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज न करें। सीजेपी के कई सदस्यों और समर्थकों ने नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पर हिंसक और अराजक तरीके से तख्तापलट करने की अपनी मंशा खुलकर जताई। यदि वे इस राह पर बढ़ते हैं और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बेदखल करने की कोशिश करते हैं तो देश में लोकतंत्र के पटरी से उतरने का जोखिम बढ़ता जाएगा। वे जिस संविधान की दुहाई देते रहते हैं, इससे उसी पर आघात होगा। उसके बाद अनिश्चितता का ऐसा दौर शुरू होगा, जिसकी कल्पना न तो खुद सीजेपी ने की होगी और न ही मोदी के अन्य विरोधियों ने। वर्तमान में यही आशा की जा सकती है कि सभी को सद्बुद्धि मिले और वे लोकतांत्रिक सीमाओं के दायरे में रहकर ही अपना विरोध करें। अन्यथा इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे।

(लेखक लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

हर मोर्चे पर नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति

रामिश सिद्दीकी

शांति का मसीहा बनने और कई युद्ध रोकने का श्रेय लेने वाले ट्रंप अपना शुरू किया ईरान युद्ध पांच महीने में भी नहीं रोक सके

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान पर हमले की पूरी तैयारी है। उसी संदेश में उन्होंने हमला टालने की भी बात कही। इसका कारण यह बताया गया कि ईरान और कई खाड़ी देशों ने इसके लिए आग्रह किया है, क्योंकि समझौते की रूपरेखा बन चुकी है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ईरानी सैन्य सूत्रों के हवाले से खबर आई कि होर्मुज जलमार्ग को खोलने पर कोई सहमति बनी ही नहीं है। इससे कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस ने हमास के निरस्त्रीकरण का भी पंद्रह सूत्रीय ढांचा घोषित किया था, जबकि उसी दिन अमेरिकी सेंट्रल कमान ने ईरान पर भारी बमबारी कर दी। कुछ ही दिनों के अंतराल में अमेरिकी सरकार की ये चार घोषणाएं एक गंभीर नीतिगत संकट का संकेत देती हैं। व्यापार हो, गठबंधन हो, महाशक्तियों से संवाद हो या युद्ध-लगभग हर मोर्चे पर अमेरिकी सरकार द्वारा पहले घोषणा की गई और उसे लागू करने वाली व्यवस्था बाद में सामने आई। कई मामलों में तो ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं सकी। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही दुनिया को यह संदेश दिया था कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध को शीघ्र समाप्त करवा देंगे, लेकिन उस घोषणा को भी कई महीने बीत चुके हैं और आज वह युद्ध पहले से अधिक तीव्र हो गया है। जिस युद्ध को समाप्त करने का वादा किया गया था, वह नहीं रुका और जिसकी चर्चा भी नहीं थी, वह ईरान युद्ध शुरू हो गया।

ट्रंप के मनमाने फैसलों की कीमत वे देश चुका रहे हैं, जिनसे उन्होंने पूछा तक नहीं। दरअसल वाशिंगटन तक पहुंचने में असमर्थ ईरान अब उन्हीं देशों को निशाना बना रहा है, जो उसकी पहुंच में हैं। खाड़ी के छह देश ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। ऊर्जा प्रतिष्ठान और खारे जल के शोधन संयंत्र तक निशाने पर आ चुके हैं। होर्मुज जलमार्ग बंद हो चुका है। इसके कारण ईरान का युद्ध अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह गया है। पहले होर्मुज जलमार्ग से प्रतिदिन लगभग 88 जहाज गुजरते थे, जबकि जुलाई में यह संख्या घटकर मात्र 10 रह गई। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड अब जहाजों की आवाजाही पर शुल्क वसूलने पर आमादा है-प्रति जहाज 20 लाख डालर तक, वह भी युआन, बिटकाइन या अन्य मुद्राओं में। इससे कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हीं जहाजों को सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन माल के मूल्य का 20 प्रतिशत शुल्क लेकर। इस प्रकार एक ही जलमार्ग पर दो 'चुंगी नाके' बन गए हैं और दोनों उन्हीं सरकारों के हैं, जिन्होंने उसे बंद कराया है। दुनिया का लगभग एक-चौथाई समुद्री तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए इसका बोझ केवल खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। इसका प्रभाव यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका-हर महाद्वीप में बीमा, माल-भाड़े और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के रूप में दिखाई दिया है। सबसे अधिक बोझ उन्हीं खाड़ी देशों पर पड़ा है, जो इस जलमार्ग के दोनों किनारों पर बसे हैं। यह स्थिति किसी देश की जनता ने नहीं चुनी, लेकिन इसकी कीमत हर देश की जनता चुका रही है। होर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोलने के सभी प्रयास अब तक विफल होते दिखाई दे रहे हैं।

सवालों के घेरे में डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने फैसले। फाइल

अब फलस्तीन शांति बोर्ड को इसी पृष्ठभूमि में देखिए। वह सफल होगा या नहीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि पांच महीनों में उससे केवल एक बैठक, कुछ वादे और ऐसा ढांचा सामने आया है, जिसकी लगभग प्रत्येक शर्त अधूरी प्रतीत होती है। फरवरी में जिस स्थिरीकरण बल (स्टेबिलाइजेशन फोर्स) की तैनाती का वचन दिया गया था, वह आज तक तैनात नहीं हो सका। गाजा का प्रशासन संभालने के लिए गठित फलस्तीनी समिति भी अब तक वहां प्रवेश नहीं कर सकी है। शांति बोर्ड का ढांचा उसी सबसे बड़ी गुत्थी को छोड़ देता है। इजरायल का कहना है कि वास्तविक निरस्त्रीकरण से पहले उसकी वापसी संभव नहीं है, जबकि हमास का तर्क है कि इजरायली वापसी से पहले निरस्त्रीकरण नहीं हो सकता। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए 14 दिन निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार खाड़ी क्षेत्र के देशों के आग्रह पर उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकी है। पिछले पांच महीनों में यह दूसरी बार है, जब खाड़ी के प्रमुख देशों ने ईरान-अमेरिका संघर्ष को बड़े युद्ध का रूप लेने से रोका है। इसके बावजूद किसी स्थायी समझौते की संभावना अभी दूर दिखाई देती है। ट्रंप का कहना है कि प्रस्तावित सहमति होर्मुज जलमार्ग को स्थायी रूप से खुला रखेगी, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी व्यवस्था में इस जलमार्ग पर उसकी संप्रभुता बनी रहेगी। ये किसी एक समझौते की दो अलग-अलग व्याख्याएं नहीं, बल्कि दो भिन्न समझौते प्रतीत होते हैं। जून में शांति को लेकर दोनों देशों के बीच बनी सहमति भी इसी व्याख्यात्मक मतभेद के कारण टूट गई थी। ट्रंप सरकार की अब तक की घोषणाओं ने दुनिया को होर्मुज जलमार्ग पर गतिरोध, यूरोप में जारी युद्ध और गाजा में अधूरी शांति दी है। सवाल यह नहीं है कि वाशिंगटन एक और घोषणा कर सकता है या नहीं, बल्कि वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या वह अपनी किसी भी घोषणा को उसके तार्किक और व्यावहारिक परिणाम तक पहुंचा पाएगा या नहीं।

(लेखक पश्चिम एशिया मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्मृति संयम

आज के सूचना-विस्फोट वाले युग में समाचारों, संदेशों और विचारों का ऐसा अनवरत प्रवाह है कि मनुष्य का मस्तिष्क एक विशाल भंडार तो बनता जा रहा है, परंतु उतना ही बोझिल एवं अशांत भी होता जा रहा है। ऐसे समय में केवल ज्ञान अर्जित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह विवेक भी आवश्यक है कि क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है और किसे स्मृति के द्वार से बाहर ही रहने देना है। यही स्मृति संयम का वास्तविक अर्थ है।

आध्यात्मिक दृष्टि से स्मृति मन की वह भूमि है, जहां हम अपने अनुभवों, भावनाओं और संस्कारों के बीज बोते हैं। यदि इस भूमि में कटु अनुभव, अपमान, ईर्ष्या, भय और नकारात्मक घटनाओं के बीज ही बोए जाएंगे तो जीवन में तनाव, अशांति और दुख के कांटे ही उगेंगे। इसके विपरीत यदि स्मृति में सद्-विचार, प्रेरणादायक प्रसंग, गुरु का मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और प्रेम के पुष्प संजोए जाएं तो जीवन सुगंधित और आनंदमय बन जाएगा। जीवन की हर घटना को स्मृति में संजोकर रखना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ घटनाएं हमें सीख देने के लिए आती हैं, उन्हें बोझ बनाकर ढोने के लिए नहीं। क्षमा करना, कटु स्मृतियों को विदा करना और अनावश्यक विचारों का विसर्जन करना भी मानसिक स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। जिस प्रकार घर की नियमित सफाई आवश्यक होती है, उसी प्रकार मन और स्मृति की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। अन्यथा मस्तिष्क विचारों का कूड़ाघर बन जाता है।

स्मृति संयम का अर्थ भूलने की कमजोरी नहीं, बल्कि चुनकर याद रखने की शक्ति है। जब स्मृति में केवल वही सुरक्षित रहता है, जो जीवन को ऊंचाई, प्रकाश और प्रेरणा देता है, तब मन निर्मल होता है, विचार पवित्र होते हैं और जीवन आनंद की सतत यात्रा बन जाता है।

ललित गर्ग

ग्रामीण सड़क संपर्क का व्यापक विकास

अंकि कुमारी

> **देश में कई गांव ऐसे हैं जहां अंतिम छोर तक सड़क नहीं पहुंची हैं जिससे कई बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती हैं**

गांव तक सड़क पहुंचना केवल विकास की एक परियोजना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षित आवागमन तक पहुंच का रास्ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य भी ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है। बिहार में इस दिशा में लंबे समय से काम हुआ है और बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी हुआ है। राज्य में ग्रामीण सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में व्यापक काम हुआ है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सड़क आखिरी घर तक पहुंची है और क्या वह पूरे साल लोगों के उपयोग के लायक है।

दरअसल बिहार के कुछ गांव ऐसे हैं, जहां आज भी पक्की सड़क गांव के भीतर तक नहीं पहुंच सकी है। इसके पीछे हर बार प्रशासनिक उदासीनता या बजट की कमी ही जिम्मेदार हो, यह जरूरी नहीं। कई बार विकास और निजी जमीन के अधिकार के बीच पैदा हुआ विवाद भी सड़क को रोक देता है। पक्की सड़क न होने का सबसे बड़ा असर बारिश के दिनों में दिखाई देता है। कच्चे रास्ते पर पानी और कीचड़ जमा होने के बाद पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। ऐसे समय में एंबुलेंस या दूसरी गाड़ियों का गांव के अंदर पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

सड़क की समस्या का असर किशोरियों की शिक्षा पर भी पड़ता है। गांव की किशोरियों के लिए स्कूल तक पहुंचना केवल दूरी का मामला नहीं है। रास्ते की स्थिति, मौसम, परिवहन की उपलब्धता और परिवार की सुरक्षा संबंधी चिंता भी उनकी नियमित पढ़ाई को प्रभावित करती है। जब रास्ता खराब होता है तो स्कूल जाने और लौटने में अधिक समय लगता है। बारिश में कीचड़ और जलभराव के कारण अकेले निकलना कठिन हो जाता है। परिवार कई बार किशोरी को ऐसे रास्ते से भेजने में हिचकिचाता है, खासकर तब जब स्कूल गांव से बाहर हो। नतीजा यह हो सकता है कि कुछ दिनों की अनुपस्थिति धीरे-धीरे पढ़ाई से दूरी में बदल जाए। वास्तव में, जमीन किसी ग्रामीण परिवार के लिए सिर्फ संपत्ति ही नहीं होती है, बल्कि वह उसकी आजीविका, भविष्य की सुरक्षा और कई बार पीढ़ियों से जुड़ी पूंजी होती है। इसलिए उचित मुआवजे की मांग को नजरअंदाज करके सड़क निर्माण का समाधान संभव नहीं है।

लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि कुछ परिवारों की जमीन से जुड़ा विवाद पूरे गांव की बड़ी आबादी को बुनियादी सुविधा से वंचित न कर दे। इसलिए समाधान बातचीत और भरोसे से निकल सकता है, टकराव से नहीं। प्रशासन को जमीन मालिकों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारियों की संयुक्त बैठक कराकर विवाद का समाधान तलाशना चाहिए। **(लेखिका सामाजिक मामलों की जानकार हैं)**

मेलबाक्स

सभी स्तरों पर उठें आवश्यक कदम

'कैसे सुधरे शहरों की सूरत' विषय पर अपने विचारों में तरुण गुप्त ने भारतीय शहरों के समक्ष जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों और शहरी नियोजन की कमियों की ओर महत्वपूर्ण संकेत किया है। तथ्य यह है कि अनियोजित शहरीकरण, प्राकृतिक जल निकासी तंत्र पर अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, जलभराव तथा अत्यधिक गर्मी जैसी समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। समाधान केवल नई परियोजनाओं की घोषणा से संभव नहीं होगा। तथ्य यह है कि वर्षा जल संचयन, आर्द्रभूमियों का संरक्षण, हरित क्षेत्रों का विस्तार, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था और वैज्ञानिक नगर नियोजन को विकास की मूल नीति बनाना होगा। साथ ही प्रत्येक शहर की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय जल स्रोतों और नागरिक सहभागिता को योजनाओं का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तमाम नगरों में तालाबों और अन्य जलराशियों के पुनर्जीवन से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिनसे अन्य शहर भी सीख ले सकते हैं। समय की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन को अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि शहरी शासन और विकास की केंद्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। पारदर्शी प्रशासन, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और नागरिक उत्तरदायित्व के समन्वय से ही ऐसे शहर विकसित किए जा सकते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम हों। विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना ही भविष्य के सुरक्षित, टिकाऊ और रहने योग्य शहरों की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। इसके लिए हमें सभी स्तरों पर आवश्यक कदम उठाने होंगे।

awanishg30@gmail.com

सही नीयत से ही बदलाव संभव

बुधवार को प्रकाशित "नियम बना जहां निर्माण, वहां भ्रष्टाचार" शीर्षक से लिखे गए लेख में राजीव सचान ने निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या को सामने रखा है। सड़क, पुल, सरकारी भवन और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि निर्माण पूरा होने से पहले ही उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगते हैं जिस पर सरकार कार्रवाई की खानापूर्ति कर मुद्दे को दबा ले जाती है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की चर्चा अक्सर केवल ठेकेदार तक सीमित रह जाती है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। यदि किसी परियोजना में शुरुआत से ही पारदर्शिता न हो, निगरानी कमजोर हो और जवाबदेही तय न हो तो गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी केवल परियोजनाओं का उद्घाटन करना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि जनता का पैसा सही ढंग से खर्च हो। अक्सर यह आरोप सुनने को मिलते हैं कि कुछ स्थानों पर टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात, मिलीभगत, मनचाही कंपनियों को लाभ पहुंचाने और कमीशनखोरी जैसी अनियमितताएं होती हैं। इसके बावजूद न तो सरकार और न ही अफसरशाही इन मुद्दों को लेकर गंभीर मालूम पड़ती है। जनता के पैसों का बंदरबाट कर ऊपर ही हड़प लिया जाता है और जमीनी स्तर तक आते-आते योजनाएं दम तोड़ जाती हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए केवल नए कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले निर्माण कार्यों की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहिए। जनता को भी शिकायत दर्ज कराने और उसकी प्रगति देखने का अधिकार मिले। जब तक सार्वजनिक परियोजनाओं में नैतिक जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक केवल नियमों की संख्या बढ़ाने से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। जनता का पैसा जनता की अमानत है इसलिए उसके एक-एक रुपये का ईमानदारी से उपयोग होना चाहिए। जब परियोजनाएं समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और बिना भ्रष्टाचार के जन-जन तक पहुंचने लगेंगी तभी लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सार्थक होगा।

शिवम सिंह, बबेरू, बांदा, यूपी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

1.2 करोड़ से अधिक युवा भारतीय श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। ऐसे में भारत की वास्तविक चुनौती केवल रोजगार सृजित करना नहीं, बल्कि ऐसा कार्यबल तैयार करना है जो देश ही नहीं, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हो।

आजकल

कौशल विकास से मानव पूंजी निर्माण

डा. शिवेश प्रताप
संयोजक, विजन विकसित भारत पालिसी एंड रिसर्च

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.65 करोड़ से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह आंकड़ा भारत की मानव पूंजी में हो रहे अभूतपूर्व निवेश का भी प्रमाण है। यह भी कहा जा सकता है कि नीति-निर्माण का केंद्र आर्थिक वृद्धि से आगे बढ़कर अब मानव पूंजी निर्माण पर केंद्रित हुआ है। कहा जा सकता है कि 21वीं सदी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्राकृतिक संसाधनों या सस्ते श्रम से नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल, नवाचार और प्रौद्योगिकी-सक्षम मानव संसाधन से तय होगी

प्रतीकात्मक

भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है। लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और हर वर्ष 1.2 करोड़ से अधिक युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत विनिर्माण जैसी तकनीकें वैश्विक रोजगार संरचना को तेजी से बदल रही हैं। ऐसे समय में भारत की वास्तविक चुनौती केवल रोजगार सृजित करना नहीं, बल्कि ऐसा भविष्य-उन्मुख कार्यबल तैयार करना है जो भारत ही नहीं, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके।

भारत की उभरती जनसांख्यिकीय चुनौतियों और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की तथा 15 जुलाई, 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया। यह भारत के कौशल विकास तंत्र को एकीकृत, मानकीकृत और उद्योगोन्मुख बनाने वाला व्यापक नीतिगत सुधार था। स्किल इंडिया से पहले कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग संचालित किए जाते थे, जिससे समन्वय और गुणवत्ता में असमानता थी। इस मिशन ने पहली बार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, सेक्टर स्किल काउंसिल्स, राज्य कौशल विकास मिशन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा डिजिटल स्किलिंग प्लेटफार्म को एक साझा राष्ट्रीय ढांचे में जोड़ा।

मिशन का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि युवाओं की रोजगार-योग्यता, उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्योग 4.0 के दौर में स्किल इंडिया अप-स्किलिंग, री-स्किलिंग और आजीवन अधिगम को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, यह मिशन पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से आगे बढ़कर मानव पूंजी विकास की राष्ट्रीय रणनीति बन चुका है, जिसका लक्ष्य "विकसित भारत 2047" के लिए विश्वस्तरीय, नवाचार-सक्षम और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है।

कौशल विकास की नई दिशा : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत की कौशल विकास नीति में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है। जहां प्रारंभिक चरणों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण पहुंचाना था, वहीं इसके नवीनतम चरण का फोकस अब प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास और रोजगारोन्मुख परिणामों पर है। इसका मूल उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र प्रदान करना नहीं, बल्कि युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, उद्यमिता और बेहतर आय के अवसरों से जोड़ना है। इस प्रकार यह योजना संख्या-आधारित माडल से गुणवत्ता एवं मूल्य-आधारित मानव पूंजी विकास की ओर संक्रमण को दर्शाती है।

इसकी प्रमुख विशेषताओं में मांग-आधारित कौशल विकास, उद्योग-प्रमाणित पाठ्यक्रम, रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप से जुड़े परिणाम, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग, डिजिटल एवं हाइब्रिड शिक्षण, तथा कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रशिक्षण सामग्री का विकास उद्योग विशेषज्ञों और सेक्टर स्किल काउंसिल्स के सहयोग से किया जाता है, जिससे कौशल प्रशिक्षण वास्तविक औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

उद्योग की भागीदारी : भारत के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक उद्योगों की संस्थागत भागीदारी है। पहले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल मानक मुख्यतः सरकार या शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित किए जाते थे, जबकि पीएमकेवीवाइ 4.0 और स्किल इंडिया मिशन के तहत उद्योगों को पाठ्यक्रम निर्माण, व्यावसायिक मानकों और प्रशिक्षण गुणवत्ता निर्धारण में सक्रिय भूमिका दी गई है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण को उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना और कौशल-असंगति को कम करना है। इस उद्योग-नेतृत्व वाले माडल ने कक्षा आधारित प्रशिक्षण और वास्तविक कार्यस्थल की आवश्यकताओं के बीच की दूरी कम की है। परिणामस्वरूप प्रशिक्षण की गुणवत्ता, रोजगार-योग्यता और उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

अप्रेंटिसशिप क्रांति : जर्मनी, स्विट्जरलैंड और आस्ट्रिया जैसे देशों ने सिद्ध किया है कि अप्रेंटिसशिप आधारित व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को रोजगार दिलाने का सबसे प्रभावी माडल है। इसी अनुभव से प्रेरित होकर भारत सरकार ने राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के माध्यम से शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने तथा उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। प्रशिक्षण का प्रमुख भाग वास्तविक उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव पर आधारित है, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा से रोजगार तक सहज संक्रमण का अवसर मिलता है। इससे उद्योगों की भर्ती एवं प्रशिक्षण लागत घटती है और युवाओं की रोजगार-योग्यता तथा तकनीकी दक्षता में वृद्धि होती है। इस प्रकार, अप्रेंटिसशिप का विस्तार केवल एक प्रशिक्षण पहल नहीं, बल्कि भारत के कार्यबल विकास को उद्योग-केंद्रित, व्यावहारिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने वाला एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार है।

भारत अब कौशल विकास को केवल घरेलू रोजगार तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक श्रम गतिशीलता और अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन आपूर्ति की रणनीति के रूप में देख रहा है। यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया तथा खाड़ी देशों में बढ़ती वृद्ध आबादी और कुशल श्रमिकों की कमी ने भारत के लिए वैश्विक कौशल शक्ति बनने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया है। इसी दृष्टि से भारत सरकार ने 14 देशों के साथ व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में समझौते किए हैं। इनका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन, योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, विदेशी रोजगार, संकाय आदान-प्रदान, पाठ्यक्रमों का वैश्विक मानकीकरण तथा कुशल पेशेवरों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देना है। यदि भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण विकसित करता है, तो स्किल एक्सपोर्ट भविष्य में आर्थिक विकास और विदेशी मुद्रा अर्जन का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है।

इसके साथ ही, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) स्किल इंडिया मिशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में उभरकर सामने आई है। आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने कई वैश्विक तकनीकी भागीदारों से सहयोग स्थापित किया है। वहीं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने तमाम संस्थाओं के साथ साझेदारी विकसित की है। इन सहयोगों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र, क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशालाएं, डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म और उद्योग-आधारित आधुनिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हो रहे हैं। यह माडल भारत को प्रत्येक तकनीक स्वयं विकसित करने के बजाय वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर तेजी से भविष्य-उन्मुख कार्यबल तैयार करने में सक्षम बनाता है।

भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कार्यबल

भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी भागीदारी माडल के तहत अहमदाबाद और मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों की परिकल्पना पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्रों के बजाय विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर्स आफ एक्सीलेंस) के रूप में की गई है। यहां इंडस्ट्री 4.0, उन्नत विनिर्माण, आटोमेशन, परिशुद्ध अभियांत्रिकी, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, स्मार्ट लाजिस्टिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित औद्योगिक प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। दीर्घकाल में इन्हें जर्मनी के फ्राउनहोफर माडल और सिंगापुर के इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल एजुकेशन के समकक्ष विकसित करने का लक्ष्य है, ताकि भारत वैश्विक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च कौशलयुक्त मानव संसाधन तैयार कर सके। इसके साथ ही, हरित कौशल भारत की कौशल विकास नीति का नया और महत्वपूर्ण आयाम बनकर उभरा है। वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्किल इंडिया मिशन ने सोलर पीवी इंस्टालेशन, इलेक्ट्रिक वाहन रखरखाव, बैटरी प्रबंधन प्रणाली, हरित हाइड्रोजन, अपशिष्ट प्रबंधन, परिपत्र अर्थव्यवस्था, ऊर्जा दक्षता और सतत निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया है।

इस प्रकार की पहलों का महत्व वैश्विक स्तर पर भी बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से वर्ष 2030 तक विश्वभर में लगभग 2.4 करोड़ नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक रोजगार 1.6 करोड़ से अधिक था। यदि भारत समय रहते अपने युवाओं को इन उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित करता है, तो वह न केवल घरेलू हरित अर्थव्यवस्था की मांग पूरी करेगा, बल्कि वैश्विक ग्रीन जाब्स और उच्च-प्रौद्योगिकी रोजगार बाजार में भी अग्रणी मानव संसाधन प्रदाता बन सकता है। (डा. शिवेश प्रताप)

खरी-खरी

जिंदा आदमी के लक्षण

मनमोहन सिंह यादव

एक संध्या जब मेरा मित्र मंगतूराम जमीन खोदने लगा तो मैंने उससे पूछा- मित्र मंगतूराम, बेकार का श्रम मत करो। जैसे समुद्र मंथन करके सुरों-असुरों ने समुद्र का सारा खजाना निकाल लिया था, ठीक वैसे ही पृथ्वी के समझदार आदमी ने तुम्हारे से पहले आधुनिक उपकरणों और मशीनों के द्वारा जमीन का सारा खजाना निकाल लिया है। रेत, बजरी, जिप्सम, खनिज, तेल, यहां तक कि गड़ा हुआ धन भी निकाल लिया है। अब अंधेरे में तीर मारने से कोई अर्थ नहीं रह गया है।

मेरी बात सुन वह बोला- तुम्हें गलतफहमी है। अभी भी कुछ तो शेष है।

मैंने कहा- मेरे हिसाब से गड़े हुए मुर्दों के अलावा जमीन के भीतर कुछ भी नहीं बचा है।

वह बोला- चलो, अच्छा है, कुछ तो मिलेगा।

मैंने कहा- गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना ठीक नहीं है। सभी ने अपने-अपने मुर्दों को गाड़ रखा है।

वह बोला- पुरातत्वविदों ने जब एक मुर्दे के टीले को खोदा था, तो वहां उन्हें एक महान सभ्यता का दर्शन हुआ। उस टीले की खोदाई से उनका नाम हुआ, उन्हें शोहरत मिली, साथ ही देश-दुनिया को भांति-भांति का ज्ञान भी मिला।

मैंने कहा- तो फिर तुम्हें भी गूढ़ ज्ञान अवश्य मिलेगा।

आखिर एक दिन जमीन को खोदते हुए मंगतूराम को एक गड़ा हुआ मुर्दा मिला। जब वह मिट्टी से बाहर निकला तो बोला- बड़े उपद्रवी आदमी हो, यहां भी चैन से नहीं रहने देते। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?

मंगतूराम बोला- मुर्दे और जिंदा में भेद करने के लिए ही मैंने इतना पसीना बहाया है। इस भेद को जानने के लिए न जाने कहां-कहां मैंने ठोकरें खाईं। फिर किसी ने बताया कि- जिसके बारे में जो जानना चाहते हो, उसी से पूछना होगा, तभी तुम्हें सत्य मिलेगा। उस सत्य को जानने के लिए ही मैंने तुम्हें उखाड़ा है।

वह बोला- यदि तुम जीवित हो, तो सुनो- मुर्दे कभी चढ़ावा चोरी नहीं करते और न ही कभी पेपर लीक की वारदात करते हैं। ये सब जिंदा आदमी के लक्षण हैं।

X पोस्ट

कायदे से तो मेटा पर प्रतिबंध लगे, पर यह मुश्किल है। इससे अमेरिका से संबंधों पर असर पड़ेगा, लेकिन इसकी चूड़ी तो कसनी ही चाहिए। समरेंद्र@_Samarendra_

पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के अंत ने राष्ट्रीय एकता को मजबूती दी और जम्मू-कश्मीर में विकास, समान अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया। यह तारीख इतिहास का निर्णायक अध्याय बन गई है।
डा. अवनींद्र राय@avanindra43

राजनीति में जो सड़क की लड़ाई लड़ेगा, वही जीतेगा और वही लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। जो लोग जेन-जी आंदोलन को प्रशांत किशोर की जीत का कारण बता रहे हैं, वे समझ लें कि उनकी जीत में इस आंदोलन का उतना ही योगदान है, जितना तमिलनाडु में विजय की जीत में झारखंड मुक्ति मोर्चा का।
यशवंत देशमुख @YRDeshmukh

जल्दबाजी में परिसीमन बिल पारित कराने से अधिक महत्वपूर्ण है कि पहले संसद में गंभीर विचार-विमर्श का माहौल बनाया जाए। विपक्ष को भी अपनी बात रखने के पूरे मौके दिए जाएं, अन्यथा सांसदों की संख्या बढ़ाने से खर्चा ही बढ़ेगा। हां, ध्वनिमत से बिल पारित होने में समवेत स्वर जरूर ऊंचा होगा।
राजेश शुक्ला @astroraj

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या संसद के मानसून सत्र को समय से पहले खत्म कर दिया जाना चाहिए?

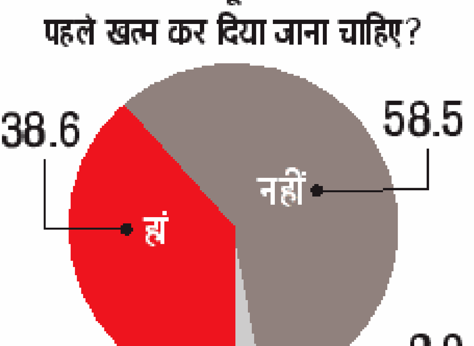

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या प्रधानमंत्री का वीडियो हटाने के मामले में मेटा संस्थापक की माफी पर्याप्त है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

किस बिल में हैं घुस गए अब सारे काक्रोच,
झारखंड के छात्र सब उन्हें रहे हैं खोज।
उन्हें रहे हैं खोज दिये बैठे जो धरना,
जंतर-मंतर छोड़ नहीं है क्या कुछ करना!
'प्रेशर ग्रुप' का नाम मगर है 'इंडी' दिल में,
असल 'टूल किट बाज' छुपे बैठे किस बिल में!!
-ओम प्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

दतिया की हार से बढ़ीं 2028 की चुनौतियां

धनंजय प्रताप सिंह
डिप्टी पालिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश

दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा की हार चौंकाने वाली नहीं है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रबल संभावित दावेदारी के बावजूद प्रत्याशी चयन करने से लेकर बेहद कम समय में रणनीति तय करते हुए भाजपा ने उसे जमीन पर लागू कर अपनी जीत पर खुद ही आशंका के बादल घेर लिए थे। दतिया के अपनों पर अनुमान लगाने में भी पार्टी पूरी तरह विफल साबित हुई है। चुनाव परिणाम को निर्णायक स्तर पर प्रभावित करने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव पर भी अनुमान लगाने में भाजपा मात खा गई। अनुमान था कि दामोदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने भाजपा को भी खासा नुकसान पहुंचाया। अहम सवाल यह भी है कि क्या किसी कार्यकर्ता के कद्दावर नेता बनने के लंबे सफर को पार्टी एक झटके में नकारने का खामियाजा भुगतने से सबक लेगी? फिलहाल परिणाम की परिणति में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन इससे कितना अनुशासन स्थापित होगा, यह भी देखना होगा।

उपचुनाव में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की सभाओं और रोड शो के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सरकार और संगठन के तमाम दिग्गजों ने माहौल बनाने की कोशिश की, फिर भी हार गए, तो यह चिंतन करना जरूरी है कि गलतियां कहां-कहां हुईं और इसे न दोहराने के लिए कौन से इंतजाम करने होंगे, जिससे वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में सहायता मिल सके। प्रत्याशी चयन पहले से ज्यादा संवेदनशील प्रक्रिया हो गई है, वहीं संगठन में भरोसे की कसौटी और लीकेज पर पैनी नजर की जरूरत है। चुनावी रणनीति तय करने में स्थानीय असंतोष और भितरघात पर अधिक फोकस करना होगा।

दतिया रोड शो में डा. मोहन यादव और आशुतोष तिवारी (दाएं) और नरोत्तम मिश्रा (बाएं)। फाइल

आंकड़ों में देखें तो भाजपा को मिली हार प्रदेश की सरकार से लेकर संगठन तक के समीकरणों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, लेकिन परिणाम के मायने और इससे उत्साह में आई कांग्रेस जरूर भाजपा की चुनौती बढ़ाएंगे। इसे समझने के लिए वर्ष 2017 के अटेर विधानसभा के उपचुनाव को याद कीजिए, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यदेव कटारे के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनके बेटे हेमंत कटारे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया तब कांग्रेस में थे और उन्होंने इस सीट पर जमकर मेहनत की थी। नतीजा रहा कि हेमंत कटारे यह उपचुनाव जीत गए।

वर्ष 2026 में भाजपा जब दतिया का उपचुनाव हार चुकी है और सामने 2028 के विधानसभा के चुनाव हैं, तो भाजपा को सतर्क होना चाहिए। फौरी तौर पर उपचुनाव की हार के लिए दोषी की तलाश करना, भितरघात की तह तक जाना और कार्रवाई करके संगठन में अनुशासन का संदेश देना, यह सबकुछ सामान्य और अपेक्षित प्रतिक्रिया ही है, लेकिन इससे आगे बढ़कर यह समझना जरूरी है कि 2028 की चुनावी रणनीति बनाने से लेकर प्रत्याशी चयन तक और चुनाव के संचालन तक ऐसी व्यवस्था हो, जिसमें कहीं कोई लीकेज न हो।

उपचुनाव का स्कोर कार्ड फिलहाल दो-दो से बराबरी पर है। प्रदेश में मोहन सरकार के कार्यकाल में अब तक हुए चार उपचुनाव में से छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा और बुधनी में भाजपा को जीत मिली, जबकि विजयपुर और दतिया में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बुधनी की सीट शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के चलते खाली हुई, जहां पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव जीते। अमरवाड़ा में उपचुनाव कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह के इस्तीफे के चलते हुआ। शाह भाजपा से उपचुनाव में उतरे और जीत दर्ज की। विजयपुर में प्रदेश के तत्कालीन वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए और दतिया में आशुतोष तिवारी को मौका दिया गया, लेकिन वह भी हार गए।

महज चार उपचुनाव की जीत-हार साफ संकेत कर रहे हैं कि लड़ाई केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि पार्टियों के अंदर भी चल रही है। भाजपा सत्ता में है, तो उसे ऐसे अंतर्द्वंद्व को रोकने के लिए ज्यादा और प्रभावी उपाय करने होंगे। सरकार में मंत्री रहते हुए रावत का हार जाना और दतिया में नरोत्तम मिश्रा के मैदान में डटे होने के बावजूद भितरघात के स्वर उठाना अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते हैं। वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव के बाद 2029 में लोकसभा चुनाव का भी सामना करना है। इन उपचुनावों ने स्पष्ट संकेत कर दिए हैं कि अब रणनीतिक बदलाव को बारीकी और सतर्कता के साथ बनाने का वक्त आ चुका है।

मंथन

महिला सुरक्षा और समृद्धि

रीना एन. सिंह
अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

महिलाओं की सुरक्षा और समृद्धि के लिए व्यापक तत्परता दिखाई जा रही। हालांकि इस राह में चुनौतियां कम नहीं हैं, फिर भी यूपी सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो बदलाव लाते दिखे हैं

किसी भी राज्य का समग्र विकास तब तक संभव नहीं माना जा सकता, जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हों। इस परिदृश्य में देश के कई राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में अनेक योजनाएं और पहलें शुरू की गई हैं। इन प्रयासों ने महिला कल्याण को शासन की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिलाया है।

वस्तुतः महिला सुरक्षा किसी भी सशक्त समाज की आधारशिला है। ऐसे में मिशन शक्ति अभियान, एंटी रोमियो स्क्वाड, 1090 महिला पावर लाइन, 112 आपातकालीन सेवा, महिला हेल्प डेस्क और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह प्रयास महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि, किसी भी व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लाभ महिलाओं तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंचता है और कानून का पालन कितनी सख्ती से होता है।

ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा देने का निर्णय लेकर सामाजिक सुरक्षा और महिला सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। यह प्रविधान महिला सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। हमारे देश में बड़ी संख्या में वरिष्ठ महिलाएं आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर रहती हैं। कई महिलाएं धार्मिक यात्राओं, इलाज, सामाजिक आयोजनों या पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए यात्रा करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऐसा कर पाना आसान नहीं होता। ऐसे में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उनके लिए वास्तविक राहत साबित हो सकती है।

इस निर्णय का एक सामाजिक पक्ष भी है। अक्सर वृद्ध महिलाओं की आवाजाही आर्थिक कारणों से सीमित हो जाती है, जिससे उनका सामाजिक दायरा सिमटने लगता है। यदि वे बिना किराये की चिंता किए यात्रा कर सकेंगी, तो सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी, परिवार और समाज से उनका जुड़ाव मजबूत होगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी आसान बनेगी। दरअसल हमारे समाज में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बहुआयामी हैं। भारत में शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं आज भी आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं।

अधिकांश महिलाएं कृषि, घरेलू कार्य, निर्माण और छोटे व्यवसाय जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जहां सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा और मातृत्व लाभ सीमित होते हैं। बैंकिंग, निवेश, बीमा, डिजिटल भुगतान और कर व्यवस्था की सीमित जानकारी के कारण महिलाएं वित्तीय निर्णयों में पीछे रह जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा का सीमित दायरा विधवा, एकल, दिव्यांग और वृद्ध महिलाओं तक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से नहीं पहुंच पाता। अनेक परिवारों में आय, निवेश और संपत्ति से जुड़े निर्णय पुरुष सदस्य लेते हैं, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता सीमित रहती है। सरकार की योजनाएं उनकी समस्याओं के एक बड़े समाधान के रूप में सामने आती हैं।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर ही समाज पूर्ण रूप से समृद्ध होगा। फाइल

हालांकि, यह भी समझना होगा कि किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता केवल बजट आवंटन से तय नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती उसका प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन है। यह सुनिश्चित करना होगा कि निशुल्क यात्रा का लाभ वास्तव में पात्र महिलाओं तक बिना किसी जटिल प्रक्रिया के पहुंचे। साथ ही रोडवेज बसों की पर्याप्त उपलब्धता, बेहतर सेवाएं और यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में परिवहन सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश के कई राज्यों में महिलाओं के लिए रियायती या निशुल्क यात्रा योजनाओं के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की यह पहल भी उसी दिशा में एक नया प्रयास है, जो वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के जीवन को अधिक सहज और सम्मानजनक बना सकती है।

उतार-चढ़ाव भरे सत्र में सेंसेक्स 152 अंक चढ़ा

मुंबई: आरबीआइ द्वारा लगातार चौथी बार रेपो रेट को यथावत रखने के बीच बुधवार को उतार-चढ़ाव भरे सत्र में बीएसई सेंसेक्स 152.05 अंक या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। इंट्रा डे ट्रेडिंग के दौरान यह 79,055.38 के उच्चतम और 78,285.74 के निचले स्तर तक गया। वहीं एनएसई निफ्टी 9.75 अंक या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 24,624.65 पर बंद हुआ। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान यह 24,677.60 के उच्चतम और 24,497.95 के निचले स्तर पर पहुंचा। (प्रेट्र)

बदलती वैश्विक परिस्थितियों, हवाई क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और सप्लाई चेन की बाधाओं के बीच एयरलाइन को चुस्त, अनुशासित और मजबूत बने रहना होगा।
– विली वाल्श, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडिगो

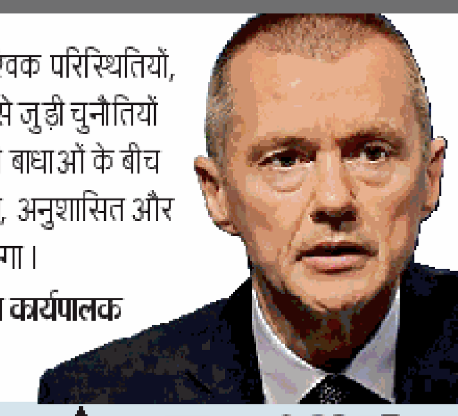

सेंसेक्स	78,581	▲ 152.05
निफ्टी	24,624.65	▲ 9.75
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,50,000	▲ ₹ 2,500
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,32,700	▲ ₹ 6,200
डालर	₹ 95.08	▼ ₹ 0.20
क्रूड प्रति बैरल	$ 80.75	

लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर स्थिर

आरबीआइ गवर्नर ने कहा- पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने-पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने की वस्तुएं और ईंधन महंगा हो सकता है। हालांकि, अन्य क्षेत्रों में महंगाई की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। यह संदेश आरबीआइ के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद दिया। यही वजह है कि छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक में कर्ज की दरों को प्रभावित करने वाली रेपो रेट (वह दर जिस पर बैंक आरबीआइ से कर्ज लेते हैं) को लगातार चौथी बार 5.25 प्रतिशत पर ही स्थिर रखा है। केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर के अनुमान (वर्ष 2026-27 के लिए) को पहले के 5.1 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। जबकि भारतीय इकोनमी के आधारभूत तत्वों की मजबूती को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास दर अनुमान को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है।

बताते चलें कि जब महंगाई बढ़ती है तो उसे काबू में करने के लिए आरबीआइ रेपो रेट बढ़ा देता है जिससे मांग कम होने लगती और महंगाई की दर में भी नरमी आती है। हालांकि, इसका असर यह होता है कि बैंकों से कर्ज वितरण की रफ्तार धीमी होती है, जिससे उद्योग धंधों पर भी उल्टा असर होता है। जब रेपो रेट कम होती है तो बैंक होम लोन, आटो लोन आदि की दरें सस्ती रखते हैं। फरवरी, 2025 में रेपो रेट 6.25 प्रतिशत थी, जिसे धीरे-धीरे घटाकर 5.25 प्रतिशत पर लाया गया। इससे बैंकों से बांटे जाने वाले कर्ज की रफ्तार काफी तेज बनी हुई है। ऐसे में आरबीआइ को काफी सोच-समझ कर सामंजस्य बैठाना पड़ता है। आरबीआइ का ताजा संकेत है कि वह ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर रखने की नीति पर अभी कायम रहेगा। आरबीआइ गवर्नर मल्होत्रा ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि, महंगाई बढ़ने के साफ संकेत है लेकिन यह मुख्य तौर पर खाने-पीने की चीजों और ईंधन के मामले में होगा। सभी क्षेत्रों में महंगाई के बढ़ने के संकेत नहीं है। अन्य क्षेत्रों (कपड़े, जूते, मकान भाड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि) में महंगाई बढ़ेगी लेकिन तीसरी तिमाही के बाद इसमें भी नरमी आएगी।

- **महंगाई दर के अनुमान को पहले के 5.1 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया**
- **आर्थिक विकास दर अनुमान को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया**

हम अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने वाली नीतियां लागू करते रहेंगे। विकास दर को लगातार तेज बनाए रखने के साथ ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था और रुपये की स्थिरता को लेकर हम हर जरूरी कदम उठाएंगे।
-संजय मल्होत्रा, आरबीआइ गवर्नर

घरेलू मांग और मजबूत निर्यात से इकोनमी को मिल रहा समर्थन

आरबीआइ गवर्नर ने देश की अर्थव्यवस्था की भी संतोषजनक तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि मजबूत घरेलू मांग, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा गतिविधियों में निरंतर विस्तार और मजबूत निर्यात से विकास को निरंतर समर्थन मिल रहा है। यह भारत की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की स्थिति की पुष्टि करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमजोर मानूसन से घरेलू मांग में कमी आने की आशंका अन्य सहायक संबद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव से कम हो सकती है। सेवा क्षेत्र में तेजी और स्थिर रोजगार की स्थिति शहरी खपत को सहारा देगी। मजबूत क्षमता उपयोग, अच्छा ऋण वितरण व सरकारी योजनाओं से बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश बढ़ता रहेगा। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और बाजारों के विविधीकरण से भी स्थिति बेहतर होगी। हालांकि, पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और मौसम संबंधी झटके विकास के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत अनुमानित है। पहली तिमाही में सात प्रतिशत, दूसरी में 6.4 प्रतिशत, तीसरी में 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहेगी।

आरबीआइ की मौद्रिक नीति की मुख्य बातें

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सभी सदस्यों ने नीतिगत दर यथावत रखने के पक्ष में मतदान किया।
- मानसून, अल नीनो और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण मुद्रास्फीति का परिदृश्य अनिश्चित।
- वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
- जून से प्रणाली में औसत दैनिक नकदी अधिशेष एक लाख करोड़ रुपये रहा।
- अप्रैल-मई के दौरान चालू खाते में 2.8 अरब डालर का सरप्लस दर्ज किया गया।
- पहली तिमाही में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) प्रवाह 30.7 अरब डालर के मजबूत स्तर पर रहा।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों का जून-जुलाई शुद्ध निवेश 7.1 अरब डालर रहा।
- विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त स्तर पर बना हुआ है।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक पांच से सात अक्टूबर तक होगी।

डिजिटल भुगतान प्रणाली की लागत किसी को तो देनी होगी

नई दिल्ली, आइएएनएस: आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि यूपीआइ जैसी डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए खर्च होने वाली लागत का भुगतान किसी न किसी को करना होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं है कि इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर ही डाला जाए। दरअसल, उनसे यूपीआइ ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) या कमीशन लगाए जाने की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आरबीआइ गवर्नर ने पिछले महीने यह भी कहा था कि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत को उठानी ही होगी, लेकिन आम उपभोक्ताओं से शुल्क लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मीडिया से बात करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि हमारे सामने आसान विकल्प हैं। या तो आम जनता टैक्स के जरिये इसके लिए भुगतान करे या फिर 'यूजर पेज' (उपयोगकर्ता भुगतान) माडल के तहत एमडीआर लगाया जाए। वित्त मंत्रालय ने 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट' में कानूनी बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इससे सरकार को भविष्य में यह तय करने की छूट मिलेगी कि किन डिजिटल पेमेंट मोड को शुल्क से छूट दी जाए और किन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित कानून में बदलाव के बाद दो हजार से ज्यादा के यूपीआइ भुगतान पर भविष्य में मर्चेंट शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आम ग्राहकों के यूपीआइ पेमेंट मुफ्त ही रहेंगे। जानकारों का मानना है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा ट्रांजेक्शन (जिसमें दूध, सब्जी और किराने का रोज़ाना का सामान खरीदना शामिल है) पर एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा। फिलहाल क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीदारी एमडीआर के दायरे में आती है, लेकिन ज्यादातर मर्चेंट इस लागत का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालते हैं।

मंगलवार को ही वित्त मंत्रालय ने 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट' में कानूनी बदलाव का दिया है प्रस्ताव

और पारदर्शी होंगी कर्ज की ब्याज दरें

जाब्यू, नई दिल्ली : आरबीआइ ने बुधवार को मौद्रिक नीति की घोषणा के साथ बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। आरबीआइ ने सभी वित्तीय संस्थाओं (बैंक, एनबीएफसी आदि) के लिए लोन पर ब्याज दर तय करने के नियमों को सरल, एक जैसा और ज्यादा पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका सीधा मतलब है कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लेने वाले आम ग्राहकों को अब ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिलेगी और रेपो रेट में बदलाव का असर उनकी मासिक किस्त पर जल्द पहुंचेगा। आरबीआइ ने कहा है कि सभी तरह की संस्थाओं के लिए नियम एक जैसे होंगे। अभी बैंक और एनबीएफसी के लिए नियम थोड़े अलग-अलग हैं। कर्ज की दर तय करने की पुरानी प्रणाली (एमसीएलआर) और नई व्यवस्था (रेपो रेट से जुड़ी) प्रणाली में जो व्यावहारिक दिक्कतें हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा। ब्याज कैसे गिना जाए (दिन की गिनती) और बेंचमार्क कब रीसेट हो, ये बातें अब सभी जगह एक समान होंगी। लोन की कीमत कैसे तय हो रही है, ये अब ज्यादा साफ नजर आएगा। ग्राहकों के लिए विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों का तुलना करना आसान होगा। साथ ही मनमाने तरीके से ब्याज वसूलने की गुंजाइश कम होगी।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

एअर इंडिया के नए सीईओ और एमडी होंगे टेवोल्डे गेब्रेमारियम

टेवोल्डे गेब्रेमारियम

नई दिल्ली, प्रेट्र: टेवोल्डे गेब्रेमारियम एअर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) होंगे। वह कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे। विल्सन ने इस साल अप्रैल में इस्तीफे का एलान किया था। विल्सन ने जुलाई, 2022 में एअर इंडिया के सीईओ का पद संभाला था। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब घाटे में चल रही कंपनी कई चुनौतियों के बीच विस्तार पर काम कर रही है। गेब्रेमारियम को विमानन उद्योग के सबसे सफल अधिकारियों में गिना जाता है। इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के सीईओ के रूप में उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक काम किया। उन्होंने एक क्षेत्रीय एयरलाइन को अफ्रीका की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली एयरलाइन में बदल दिया। अपनी नियुक्ति पर गेब्रेमारियम ने कहा, 'एअर इंडिया के इतिहास के महत्वपूर्ण दौर में इसका नेतृत्व करने का अवसर मिलना सम्मान की बात है। कंपनी की शानदार विरासत है और इसे भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाने वाली ग्लोबल एयरलाइन बनाना बेहद रोमांचक अवसर है।' देश की दो प्रमुख एयरलाइन एअर इंडिया और इंडिगो के सीईओ अब विदेशी हैं। तीन अगस्त को आयरिश नागरिक और वैश्विक विमानन कंपनियों के समूह आइएटीए के पूर्व प्रमुख विली वाल्श ने इंडिगो सीईओ का पद संभाला।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि साढ़े चार साल के निचले स्तर पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि जुलाई में घटकर करीब साढ़े चार साल के निचले स्तर पर आ गई। घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों में नए कारोबार के आर्डर धीमे पड़ने, कड़ी प्रतिस्पर्धा और मांग कमजोर होने से कारोबारी गतिविधियों की रफ्तार सुस्त रही।

एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआइ के अनुसार, कारोबारी गतिविधियां पिछले 53 महीनों में सबसे धीमी गति से बढ़ीं। पीएमआइ सूचकांक जून के 57.4 से घटकर जुलाई में 53.3 पर आ गया। नए कारोबार में वृद्धि फरवरी, 2022 के बाद सबसे धीमी रही। सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई में ईंधन, श्रम, कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और परिवहन लागत बढ़ने से सेवा क्षेत्र में लागत का दबाव बना रहा। हालांकि, निर्यात से मिलने वाले नए कारोबार ने सकारात्मक रुख बनाए रखा।

अगले वित्त वर्ष में आएंगे प्लास्टिक के नोट

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पालिमर यानी प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी पुष्टि स्वयं आरबीआइ गवर्नर ने की। पालिमर नोट एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक पदार्थ से बनाया जाता है। इसमें एक मजबूत और लचीली प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल होता है, जिस पर नोट की छपाई की जाती है। ये नोट कागजी नोट की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे और जल्दी खराब नहीं होंगे।

मल्होत्रा ने कहा कि कुछ देशों में पालिमर नोट का 30 वर्षों से अधिक समय तक चलने का रिकार्ड हैं। ये नोट खासतौर पर कम मूल्य वर्ग के नोटों के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि इनका उपयोग और चलन अधिक होता है। अगर सभी योजनाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती हैं तो हमारा लक्ष्य है कि ये नोट अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में चलन में आ जाएंगे।

आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा-कुछ देशों में इस तरह के नोट का 30 वर्षों से अधिक समय तक चलने का है रिकार्ड

वैश्विक तनाव कम हुआ तो भारतीय मुद्रा और मजबूत होगी

रुपये की मजबूती को लेकर उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजी प्रवाह अधिक होने के बावजूद रुपये में अपेक्षित तेजी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि यदि वैश्विक तनाव कम होते हैं तो रुपये में और मजबूती संभव है। मल्होत्रा ने कहा, 'आरबीआइ का यह प्रयास होगा कि रुपये की गति व्यवस्थित और स्थिर बनी रहे।'

समय से पहले बंद नहीं होगी विदेशी मुद्रा जमा योजना

विदेशी मुद्रा प्रवासी (बैंक) योजना पर मल्होत्रा ने कहा कि इसके तहत विदेशी मुद्रा प्रवाह मजबूत रहा है और सीमित अवधि वाली इस योजना के समाप्त होने तक पूंजी प्रवाह के बेहतर बने रहने की उम्मीद है। यह पूछे जाने पर कि चूंकि विदेशी पूंजी आकर्षित करने की लागत केंद्रीय बैंक वहन कर रहा है, ऐसे में क्या आरबीआइ इस योजना को समय से पहले बंद करने पर विचार कर रहा है। इस पर मल्होत्रा ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

यूसीबी के लाइसेंस से जुड़ी गाइडलाइन का मसौदा जल्द आएगा

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ जल्द ही शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'किसी भी समय' लाइसेंस प्रणाली के तहत आवेदन संबंधी दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करेगा। आरबीआइ गवर्नर ने बताया कि इस बारे में जनवरी, 2026 में परिचर्चा-पत्र जारी किया गया था और अब हितधारकों से सुझाव लेने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जल्द जारी किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने दो दशक से अधिक समय से नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक हटाने और सार्वभौमिक बैंकों की तर्ज पर 'आन-टैप लाइसेंसिंग' (किसी भी समय) प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अतीत में कुछ शहरी सहकारी बैंकों में कमजोर कामकाज के संचालन के के चलते नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।

एपल इंडिया का राजस्व 20% बढ़ एक लाख करोड़ के करीब

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एपल का भारत में राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़कर करीब एक लाख करोड़ रुपये हो गया जबकि आइफोन की आपूर्ति सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़ गई। उद्योग सूत्रों के मुताबिक, एपल के भारतीय कारोबार की आय 10 अरब डालर के स्तर को पार कर गई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब एक लाख करोड़ रुपये के बराबर है। 2024-25 में एपल इंडिया की आय 79,000 करोड़ रुपये रही थी।

बाजार अनुसंधान फर्म काउंटरपाइंट रिसर्च के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में एपल के आइफोन की आपूर्ति सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.4 करोड़ इकाई हो गई। भारत में एपल को सर्वाधिक राजस्व आइफोन से ही मिलता है। काउंटरपाइंट के सह-संस्थापक और शोध उपाध्यक्ष नील शाह ने कहा कि भारत एपल के लिए एक प्रमुख वृद्धि बाजार बनकर उभरा है, जहां उपभोक्ता तेजी से प्रीमियम स्मार्टफोन की तरफ रुख कर रहे हैं।

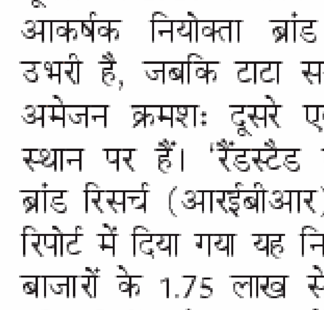

- **आइफोन की आपूर्ति सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.40 करोड़ इकाई हुई**
- **आपूर्ति से जुड़ी बाधाएं और वैश्विक मेमोरी लागत में वृद्धि से कीमतों पर पड़ सकता है असर**

'ओनिडा रीवायर्ड' के साथ नए दौर में प्रवेश करेगी ओनिडा

राज्य ब्यूरो, मुंबई: कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स ब्रांड ओनिडा इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने अपनी नई कारोबारी रणनीति 'ओनिडा रीवायर्ड' की घोषणा करते हुए प्रीमियम उत्पादों, अत्याधुनिक तकनीक और बेहतर ग्राहक अनुभव पर आधारित विकास के अगले चरण की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ कंपनी अपना फ्लैगशिप 100 इंच क्यूडी मिनी एलईडी टेलीविजन एवं 18 किलोग्राम क्षमता वाली वाशिंग मशीन भी पेश कर रही है। ओनिडा इलेक्ट्रानिक्स के सीईओ एवं एमडी गुंजन श्रीवास्तव ने कहा कि 'ओनिडा रीवायर्ड' कंपनी को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में अहम पहल है। प्रीमियम इनोवेशन और सर्विस नेटवर्क के विस्तार से कंपनी ग्राहकों अन्य हितधारकों के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है।

गूगल भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल वर्ष 2026 में भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बनकर उभरी है, जबकि टाटा समूह और अमेजन क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। 'रैंडस्टैड एम्प्लायर ब्रांड रिसर्च (आरईबीआर) 2026' रिपोर्ट में दिया गया यह निष्कर्ष 34 बाजारों के 1.75 लाख से अधिक प्रतिभागियों और भारत में 3,500 उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।

सर्वे रिपोर्ट कहती है कि भारत में 46 प्रतिशत कर्मचारी अगले छह महीनों में नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, जबकि 32 प्रतिशत कर्मचारियों ने पिछले छह महीनों में नौकरी बदली है। आरईबीआर 2026 की सबसे पसंदीदा नियोक्ता कंपनियों की सूची में सैमसंग इंडिया चौथे स्थान पर, इन्फोसिस पांचवें, रिलायंस इंडस्ट्रीज छठे, आइटीसी समूह सातवें, हिंदुस्तान यूनिलीवर आठवें, महिंद्रा एंड महिंद्रा नौवें और डेल टेक्नोलाजीज लिमिटेड दसवें स्थान पर हैं। सर्वे के मुताबिक, काम एवं निजी जिंदगी के बीच संतुलन, समान अवसर, करियर में प्रगति, वेतन एवं लाभ और अच्छी प्रतिष्ठा भारतीय कर्मचारियों के लिए प्रमुख कारक हैं, जो नियोक्ता के चयन को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का कार्यबल अब 'संतुलित नियोक्ता' के दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां कंपनियों को सार्थक कार्य, करियर वृद्धि, समावेशन, कल्याण, लचीलापन और प्रतिस्पर्धी वेतन एक साथ प्रदान करने की जरूरत है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रदर्शन की मान्यता, करियर में निरंतरता, विश्वसनीय वेतन और लाभ भारत में नौकरी सुरक्षा के प्रमुख आधार हैं। डिजिटल क्षेत्र के पेशेवर प्रतिस्पर्धी वेतन को अधिक महत्व देते हैं और करियर वृद्धि के अवसर नहीं होने पर उनके नौकरी छोड़ने की संभावना भी अधिक होती है।

- **रैंडस्टैड एम्प्लायर ब्रांड रिसर्च के मुताबिक टाटा समूह दूसरे और अमेजन तीसरे स्थान पर**
- **डिजिटल क्षेत्र के पेशेवर वेतन को देते हैं अधिक महत्व, नौकरी छोड़ने की दर भी सबसे अधिक**

करीब आधे कर्मचारी अगले छह महीनों में नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए केवल सतही लाभ से आगे बढ़कर व्यापक रणनीति को अपनाना जरूरी है। **-नारायण अय्यर,** एमडी, रैंडस्टैड इंडिया

भंडारण आधारित ई-कामर्स निर्यात कंपनी के लिए अधिसूचना जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बुधवार को विदेशी निवेश वाली भंडारण (इन्वेंटरी) आधारित ई-कामर्स निर्यातक कंपनियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले महीने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने एफडीआइ नियम से संबंधित प्रेस नोट-3 में बदलाव करते हुए इन्वेंटरी रखने वाली ई-कामर्स कंपनी को सिर्फ निर्यात करने पर 100 प्रतिशत एफडीआइ की इजाजत दे दी थी। अब डीजीएफटी ने इन्वेंटरी रखने वाली ई-कामर्स निर्यातक कंपनी के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत इन ई-कामर्स कंपनियों को एक्सपोर्टर आन रिकार्ड के रूप में पंजीकृत होना होगा। फिर वे पुष्ट निर्यात आर्डर के आधार पर भारतीय उत्पादक से वस्तुओं की खरीदारी कर पाएंगे और निर्यात कर सकेंगे।

राष्ट्रीय फलक

उपभोक्ताओं को 'जानने का अधिकार' को लेकर राज्यों से छह हफ्ते में मांगा जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ताओं के जानने के अधिकार से संबंधित याचिका पर राज्यों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर राज्यों व अन्य को जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता व प्रमाणन के साथ साथ वितरक और विक्रेता के बारे में 'जानने का अधिकार' है।

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि ग्राहकों के लिए सही जानकारी के साथ फैसले लेने और खुद को अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापारिक तौर-तरीकों और बेइमानी भरे शोषण से बचाने के लिए जानने का अधिकार बहुत जरूरी है। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी और केंद्र, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य से जवाब मांगा था। बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने पीठ को बताया कि अभी सिर्फ कुछ राज्यों के ही जवाब मिले हैं। जिनमें, हरियाणा, पंजाब, बिहार, असम और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस पर पीठ ने कहा कि हम उन प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय देते हैं, जिन्होंने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने मामले को तीन महीने बाद फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है।

- **सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब न देने वाले राज्यों को दिया है यह समय**
- **याचिका में उपभोक्ताओं को 'जानने का अधिकार' दिए जाने की है मांग**

याचिका केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर और दुकानदार अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर और कर्मचारियों की संख्या एंट्री गेट पर एक ऐसे डिस्प्ले बोर्ड पर साफ व बड़े अक्षरों में दिखाएं जो लोगों को आसानी से दिखे। जानने का अधिकार उपभोक्ताओं को धोखेबाज डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, ट्रेडर, विक्रेता व दुकानदार के चुंगल में फंसने से बचाता है।

भारत के कानून के तहत मेटा न्यूट्रल इंटरमीडियरी के दर्जा का दावा नहीं कर सकती

प्रथम पृष्ठ से आगे

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मेटा से कहा कि वह भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक न्यूट्रल इंटरमीडियरी के दर्जा का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी के एल्गोरिदम सिर्फ थर्ड-पार्टी कंटेंट को होस्ट करने के बजाय यह तय करती है कि किस यूजर को कौन सा कंटेंट दिखेगा और उसे रिकमेंड भी करती है।

सरकार ने तर्क दिया कि इसी आधार पर मेटा को इंटरमीडियरीज के लिए उपलब्ध 'सेफ हार्बर' सुरक्षा नहीं मिलेगी। यह सुरक्षा प्लेटफार्म को यूजर द्वारा बनाए गए कंटेंट के लिए जिम्मेदारी से बचाती है, बशर्ते वे कानून का पालन करें। मेटा को साफ किया कि अगर वह प्लेटफार्म संचालित करना चाहते हैं तो भारतीय कानून का पालन करना होगा।

यूएसएफडीए ने नियमों के उल्लंघन पर डाबर को पत्र लिखकर चेताया

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) ने डाबर इंडिया को चेतावनी पत्र जारी किया है। इसमें सिलवासा में कंपनी की दवा निर्माण संयंत्र में मौजूदा अच्छी निर्माण पद्धतियों या करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (सीजीएमपी) के नियमों का गंभीर उल्लंघन का जिक्र किया गया है। यूएसएफडीए द्वारा सिलवासा (दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव) में कंपनी की संयंत्र में जांच के बाद जारी किया गया है। पत्र मिलने के बाद 15 कार्यदिवसों के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है। पूछा गया है कि कंपनी नियमों के उल्लंघन को ठीक करने और उन्हें दोबारा होने से रोकने के लिए क्या किया है।

डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा को लिखे पत्र में यूएसएफडीए ने डाटा में गड़बड़ी, अपर्याप्त निगरानी और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में खामियों की ओर इशारा किया है।

यूएसएफडीए के जांचकर्ता को पता चला कि कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए जो इक्विपमेंट यूसेज लागबुक उपलब्ध कराई, उसमें हेरफेर की गई थी। इक्विपमेंट यूसेज लागबुक का उपयोग किसी मशीन, उपकरण के इस्तेमाल की तारीख, समय, कार्य का विवरण, और उसे चलाने वाले व्यक्ति की जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है। लैब कंट्रोल में कमियों का भी जिक्र किया।

- **15 कार्यदिवसों के भीतर लिखित जवाब मांगा, पूछा- कमियों को सुधारने के लिए क्या किया**

शराब बनाने वाली कंपनियों ने एफएसएसएआइ के निर्देश को हाई कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : शराब बनाने वाली कंपनियों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के निर्देश को संबंधित उच्च न्यायालयों में चुनौती दी है। एफएसएसएआइ ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रुअरीज समेत शराब कंपनियों को ऐसे 'फ्लेवर' (स्वाद एवं सुगंध देने वाले पदार्थों) को मिलाने को लेकर नोटिस जारी किया है।

नोटिस के खिलाफ ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी डियाजियो पीएलसी की सहयोगी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रुअरीज ने एफएसएसएआइ नोटिस के खिलाफ मप्र हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

संवाद से समाधान

सर्वोच्च न्यायालय ने युवाओं की बात संवेदना से सुनने की जैसी पैरोकारी की है, वह स्वागत के योग्य है। न्यायालय ने उचित ही कहा है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा रोकने के लिए समाज व कानून लागू करने वाले अधिकारियों के पास उपलब्ध सबसे बड़ी ताकत यह है कि युवाओं की बात सुनी जाए और उन्हें सही सलाह दी जाए। लगे हाथ, न्यायालय ने चेतावनी भी दी है कि शक्तिशाली सरकार के नाम पर कोई भी आक्रामक कार्रवाई हालात को बिगाड़कर अशांति को जन्म दे सकती है। देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ ने बहुत उपयोगी व्यवस्था दी है। इससे प्रदर्शनकारियों और सरकार, दोनों को निर्णय लेने में सहूलियत होगी। वाकई देश में युवा प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए संयमित दृष्टिकोण की जरूरत है। हमें टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय संयमित होना चाहिए। संयमित आचरण के तहत पहली जरूरत है संवाद करना। कोई सरकार अगर ऐसा करती है, तो आंदोलन में उग्रता की आशंका घट जाती है। युवाओं को लड़ने के लिए मजबूर करने के बजाय समाधान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

बीती 20 जुलाई को सीजेपी के आंदोलन के समय जो हिंसा हुई, उस पर देश में अलग-अलग राय हैं। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो युवाओं को माफ करना चाहते हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं, जो हिंसा करने वाले युवाओं पर यथोचित कार्रवाई के पक्ष में हैं। सीजेपी के आंदोलन के समय यह कहना ठीक नहीं होगा कि पुलिस सीधे हिंसा पर उतर आई। पुलिस ने भी जंतर-मंतर पर काफी संयम से काम लिया है। इस तथ्य को कतई नजरंदाज नहीं करना चाहिए कि उस प्रदर्शन या संसद मार्च में कुछ ही लोग थे, जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया। हालांकि, यह बहस या अदालती सुनवाई का मुद्दा रहेगा कि हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार था? सर्वोच्च न्यायालय में तमाम शिकायतों की सम्मिलित सुनवाई होनी चाहिए और सभी न्यायमूर्ति भी यही चाहते हैं। छात्रों की शिकायतों को सुनने की जरूरत है, तो पुलिस के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, ताजा याचिका में भारतीय वायु सेना के एक पूर्व अधिकारी ने 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल आयोजकों और कथित दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने व जवाबदेही तय करने की मांग की है। अनेक लोगों का आग्रह है कि हिंसा करने वालों या दिल्ली में बदजुबानी से माहौल खराब करने वालों को केवल राजनीतिक आधार पर माफ न किया जाए।

20 जुलाई को नई दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ताकि फिर वैसी नौबत न आने पाए।

वैसे, प्रधानमंत्री और सरकार का रुख कुल मिलाकर, सीजेपी के आंदोलन के प्रति लचीला है। आम तौर पर सरकार माफी देने की मुद्रा में है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज है कि क्या आंदोलन को हिंसक बनाने वालों को आसानी से छोड़ देना चाहिए? इस पूरे प्रकरण में संतुलन की जरूरत है, जिसने भी गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस आंदोलन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। अगर इस आंदोलन में जघन्य आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हुए हैं, तो उन पर शिकंजा कसना ही होगा। आंदोलनों को न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपराधियों पर लगाम जरूरी है। छात्रों को भी हर हाल में हिंसक प्रदर्शनों से बचना-बचाना चाहिए। हिंसक प्रदर्शन की नौबत को टालने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में सबसे जरूरी है, ऐसे आंदोलनों के सही पटाक्षेप के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित दिशा-निर्देश जारी करे।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 06 अगस्त, 1951

आगा खां का नुस्खा

आगा खां के नाम से भारतीय भली भांति परिचित हैं। वह इस्माइली जाति के धर्मगुरु हैं, और जब तक दुनिया के लोगों के दिलों में धर्मगुरुओं के प्रति अन्धश्रद्धा की भावना मौजूद है, उन्हें संसार का कोई अभाव नहीं सता सकता। आगा खां को भी उनके अन्धानुयायियों ने इतने साधन उपलब्ध कर दिये हैं कि वह भोग-विलास के सागर में सतत गोते लगाते रह सकते हैं। अंग्रेजों ने, जब भारत पर राज्य करते थे, आगा खां को भारतीय मुसलमानों का नेता माना हुआ था। उन्हें खिताब से विभूषित किया था। आगा खां अंग्रेजी साम्राज्य के पोषक थे और अपने-आप को उसका वफादार साबित किया था। इसलिए विदेशी शासकों के कृपापात्र बन सके थे। आगा खां को यूरोप के ऐसे स्थानों में रहना ज्यादा पसंद है जहां घुड़दौड़ होती है और जुआ खेला जाता है। सैर-सपाटे के तौर पर यदा-कदा वह भारत व पाकिस्तान भी आ जाते हैं और अपने अनुयायियों को दर्शन देकर और उनकी भेंट पूजा ग्रहण करके वापस लौट जाते हैं।

आगा खां की भारत और पाकिस्तान की समस्याओं में दिलचस्पी अब भी बनी हुई है। वह दोनों देशों के तने हुए संबंधों की खबर पाकर उग्र और आकुल हो उठे हैं। उन्होंने लंदन के 'टाइम्स' अखबार में, जिसके कॉलम उनके लिए ब्रिटिश साम्राज्य के एक पुराने सेवक होने के नाते सदा खुले रहते हैं, भारत और पाकिस्तान के तनाव को हमेशा के लिए खत्म करने का एक नुस्खा पेश किया है। वह लिखते हैं : ... 'पड़ोसी देशों में भय और संदेह पैदा हो जाने का यूरोप में कितना घातक परिणाम निकला, यह हम सब जानते हैं। हममें से हर एक ने आशा की होगी कि ये दोनों एशियाई देश, जिन्होंने हाल में स्वाधीनता प्राप्त की है, यह अनुभव करेंगे कि उनका सर्वोत्तम हित मित्रता और मिलकर काम करने में है। दुर्भाग्यवश दोनों में भय है। भय से सन्देह उत्पन्न होता है और सन्देह से संबंध तन जाते हैं और उसका नतीजा, कभी-कभी जिम्मेदार शासकों की इच्छा के विरुद्ध, तबाही और युद्ध होता है। सभी विवरणों के अनुसार एशिया के इस भाग में इस समय भय का बोलबाला है।

मेरे विचार से ब्रिटेन, राष्ट्रमंडलीय अन्य देशों और अमरीका के हाथ में है कि वे अपने, एशिया के इन दोनों देशों और शेष दुनिया के हित की दृष्टि से साहसपूर्ण और निर्णायक कदम उठाकर इस भय को दूर कर सकते हैं।

ताकि नशे की गिरफ्त में न आएं युवा

भारत में करीब 75 प्रतिशत युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके होते हैं। परिवार व शिक्षक संजीदगी से संवाद करें, तो इन्हें नशे से बचाया जा सकता है।

यहां स्कैन करें

बद्री नारायण | कुलपति, टीआईएसएस, मुंबई

इन दिनों उच्च शिक्षा संस्थानों, खासकर विश्वविद्यालयों में स्नातक (ग्रेजुएशन) और परास्नातक (एमए) पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। छात्र अब उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार से दूर कैंपस में रहकर पढ़ने आने लगे हैं। अगर आप किसी कैंपस से जुड़े हैं, तो आपको छात्रों और अभिभावकों में चिंता और कई तरह के तनाव साफ-साफ दिख जाएंगे।

कई अभिभावक आपसे कहते मिलेंगे कि मेरा बेटा या बेटी कुछ कमजोर है, इसका ध्यान रखिएगा। कई माता-पिता उनके मानसिक स्वास्थ्य या अन्य सेहत संबंधी समस्याएं इसलिए जाहिर नहीं करते कि कहीं इससे बेटे या बेटी के नामांकन पर असर न पड़ जाए। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन स्वास्थ्य जांच से जुड़ी रिपोर्ट भी देखता है, लेकिन मानसिक सेहत को आसानी से समझना कठिन होता है।

विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध रहता है। कई विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य केंद्रों में बाकायदा काउंसलर की व्यवस्था होती है, जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। घर से दूरी, करियर की चिंताएं, अनेक तरह के मानसिक तनाव कई छात्रों में अवसाद (डिप्रेशन) को जन्म देते हैं या अगर उनमें इसका कोई लक्षण है, तो उसे बढ़ा देते हैं। यही वह मोड़ है, जहां ऐसे युवाओं को नशीले पदार्थ आकर्षित करते हैं। इस तथ्य की पड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की एक पहल की है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय अध्यापकों से यह आग्रह किया था कि शिक्षण के अतिरिक्त वे अपने छात्रों से लगातार संवाद में रहें। परिवार और शिक्षक से संवेदनशील संवाद मानसिक रूप से कमजोर युवाओं को नशीली चीजों के आकर्षण से बचा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 75 प्रतिशत युवा 21 साल की उम्र तक आते-आते किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके होते हैं। बड़े शहरों में नशीले पदार्थों का माफिया तंत्र भी इन युवाओं को अपने मोहपाश में लेने के लिए तरह-तरह का संजाल बिछा रहा होता है। कैंपस के आस-पास इनका संजाल फैला होता है, जो मादक पदार्थों की उपलब्धता आसान कर देता है।

किसी भी युवा में खालीपन का एहसास उसे नशे की तरफ ले जा सकता है। साथ पढ़ने वाले दोस्तों का दबाव, दूसरों की देखा-देखी छात्र व युवा इस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। ये छात्र और युवा हमारे मानव संसाधन हैं। ऐसे में, केंद्र सरकार के नशा मुक्ति अभियान से तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों को जुड़ना चाहिए। अपने कैंपस और उसके आस-पास की जगह को अगर वे स्वस्थ बनाने में सफल हो गए, तो अपने विश्वविद्यालय और समाज, दोनों को श्रेष्ठ बनाने में सहभागी हो पाएंगे।

कैंपस में आने वाले कमजोर मानसिक स्वास्थ्य वाले युवाओं में से कुछ हताशा के किसी चरण में आत्महत्या कर लेते हैं। हालिया दिनों में मृत्यु के सबसे अग्रणी कारणों में एक 15 से 19 साल के किशोर-किशोरियों की आत्महत्या पाया गया है। आईआईटी, आईआईएम और अनेक शिक्षा संस्थाओं से खुदकुशी की खबरें आए दिन आती रहती हैं। छात्र-छात्राओं और युवाओं को अनेक दबावों के बीच अपने को संतुलित करना होता है। ऐसे में, अगर उन्हें यह एहसास हो कि उनके साथ उनका परिवार, शिक्षक और दोस्त खड़े हैं, तो ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सकती है। कोविड महामारी के दिनों में अकेलेपन के कारण काफी सारे लोग अवसाद के शिकार हो गए थे। तब देश में युवाओं की आत्महत्या की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी।

'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' के 'स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी' ने अपने हालिया अध्ययन में पाया है कि कोविड के बाद भारत में आत्महत्या की दर में कमी आई है। साल 2022 में देश में खुदकुशी की जो दर प्रति दस हजार में 12.4 प्रतिशत थी, वह साल 2023 में घटकर 12.3 प्रतिशत और 2024 में 12.2 फीसदी पाई गई थी। बताने की जरूरत नहीं कि आत्महत्या की ज्यादातर घटनाएं युवाओं और वयस्कों में पाई गई। यह भी कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पारिवारिक अपेक्षाओं के दबाव और साथी छात्रों से पिछड़ जाने के तनाव में वे यह अतिवादी कदम उठा लेते हैं। ऐसे में, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों समेत तमाम शिक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें अपने परिसरों को लगातार तैयार रखना होगा, ताकि हम छात्रों को एक अनुकूल और सहयोगी वातावरण मुहैया करा सकें।

निस्संदेह, बाहरी दबावों और दिनोंदिन बढ़ती अपेक्षाओं के बीच विश्वविद्यालय परिसरों में एक खुशनुमा वातावरण तैयार करना आसान काम नहीं है, किंतु इनके प्रशासन से यह अपेक्षा की ही जानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश में मानवीय मूल्यों से युक्त परिसर विकसित करें। यूनिवर्सिटी कैंपस में मनोविज्ञानियों और शिक्षकों द्वारा छात्रों की निरंतर काउंसलिंग चलती रहनी चाहिए। साथ ही, शिक्षक समुदाय को छात्रों के सुख-दुख में शामिल होकर उनसे सहज आत्मीय संवाद करने की जरूरत है।

हमें अपनी समृद्ध विरासत से अच्छी चीजें लेने की जरूरत है। पठन-पाठन के काम सिर्फ कक्षा तक सीमित न रहें, हमारे परिसर प्राचीन गुरुकुलों की तरह संवेदनशील बनें। हमारे पाठ्यक्रमों में संवेदना, भावना, दूसरों की पीड़ा के एहसास, मानवीय मूल्य जैसी चीजों को जगह देनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके लिए व्यापक सुझाव दिए गए हैं। चूंकि छात्रों-युवाओं में असीम ऊर्जा होती है, उसे रचनात्मक मोड़ देने के लिए पूरे वर्ष अकादमिक कैलेंडर के साथ-साथ दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों के कैलेंडर भी जारी करने चाहिए, ताकि व्यापक छात्र समूह अपनी रुचि की गतिविधि में शामिल हो सकें।

संवाद, यानी बातचीत भारतीय समाज की शक्ति रही है। हमें अपने परिसरों में इसे विस्तार देना होगा। छात्र-शिक्षक संवाद और अभिभावक-शिक्षक संवाद उच्च शिक्षण संस्थानों में कम होते गए हैं। इससे विद्यार्थियों में उदासीनता बढ़ती है, विलगाव का भाव बढ़ता है। हमें संवाद की निरंतरता बनाए रखनी होगी। इससे तनाव, अवसाद के जाल में फंस रहे युवाओं की आसानी से परख हो सकती है और उन पर अलग से काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर, हमें एक संवेदनशील, मानवीय परिसर तैयार करने होंगे, ताकि हम अपने बच्चों को भटकाव से बचा सकें, उन्हें नशे की गिरफ्त में आने से रोक सकें और विकसित भारत के लिए दृढ़ निश्चयी युवा शक्ति सहेज सकें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पहाड़ी शहरों पर भारी पड़ेगा जल भराव का संकट

यहां स्कैन करें

चंद्रशेखर तिवारी | हिमालयी क्षेत्र के जानकार

हिमालयी क्षेत्र में बसे नगर कभी अपनी स्वच्छ जलधाराओं, प्राकृतिक ढाल व जल निकासी व्यवस्था के कारण जाने जाते थे। आज स्थिति इसके उलट दिखाई देती है। उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर (गढ़वाल); हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला, मंडी व कुल्लू और जम्मू-कश्मीर के जम्मू जैसे अनेक नगरों में जलमग्न की स्थिति पैदा हो जा रही है। यह स्थिति शहर नियोजन, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से जुड़े विषयों के लिए गंभीर चुनौती भी है। समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया, तो पर्वतीय नगरों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

यह विडंबना ही है कि जिन पर्वतीय नगरों का विकास प्राकृतिक जलधाराओं के समीप हुआ, उन्हीं नगरों द्वारा उन जलधाराओं की उपेक्षा की जाने लगी। सदियों से वर्षा जल को सुरक्षित मार्ग देने वाले गधेरे, नाले और छोटी जलधाराएं कंक्रीट संरचनाओं और अवैज्ञानिक निर्माण की भेंट चढ़ रही हैं। इससे जलमार्ग बाधित होने से वर्षा जल अपना दूसरा रास्ता खोज लेता है और अंततः सड़कें जलभराव तथा शहरी बाढ़ का कारण बन जाती हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह शहर कभी रिस्पना, बिंदाल, सुसवा, टौंस, आसन और अन्य छोटी जलधाराओं से घिरा था, पर आज हालात ऐसे हैं कि सामान्य से अधिक वर्षा होते ही शहर के कई आवासीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। वहीं, गौला नदी के किनारे बसे शहर हल्द्वानी में भी तीव्र शहरीकरण ने अनेक बरसाती नालों को प्रभावित किया है। यही हाल काशीपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर, उत्तरकाशी व बागेश्वर का है, जहां तीव्र ढालों से आने वाला पानी और मलबा कुछ ही मिनटों में नालियों में अवरोध पैदा कर देता है। जम्मू में तवी नदी के आस-पास के निचले क्षेत्रों में भारी वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, मंडी और कुल्लू जैसे नगरों में भी अनियोजित निर्माण ने इस तरह की चुनौतियां बढ़ा दी हैं।

जिन पर्वतीय नगरों का विकास प्राकृतिक जलधाराओं के समीप हुआ, उन्हीं नगरों द्वारा उन जलधाराओं की उपेक्षा की जाने लगी।

जलभराव की यह समस्या केवल अत्यधिक वर्षा का परिणाम नहीं है। इसके मूल में कई मानव जनित व्यवधान हैं। पहला कारण प्राकृतिक जलमार्गों की अनदेखी है। दूसरा, समुचित भू-आकृतिक अध्ययन के बगैर निर्माण है। तीसरा, वर्षा जल संचयन की उपेक्षा है। चौथा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था का कमजोर होना है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से कम समय में अत्यधिक वर्षा भी एक कारण है। इसके मद्देनजर, अब पर्वतीय नगरों के विकास को नए सिरे से देखना होगा। पहाड़ों के लिए मैदानी शहरों जैसी विकास नीति उपयुक्त नहीं हो सकती।

प्रत्येक पर्वतीय नगर की अपनी भौगोलिक संरचना, ढाल, जलग्रहण क्षेत्र और प्राकृतिक जलधाराएं हैं। इसलिए, नगर नियोजन भी उसी आधार पर किया जाना चाहिए। ड्रेनेज मास्टर प्लान, प्राकृतिक नालों, गधेरों, जलधाराओं और आर्द्रभूमियों का जीआईएस आधारित डिजिटल मानचित्र बनाना, जलमार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराना, परंपरागत तालाबों और जलस्रोतों का पुनर्जीवन आदि अहम उपाय हो सकते हैं। इसी तरह, भवन निर्माण नियमों में भी मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है। नए भवन, होटल, अस्पताल, विद्यालय व व्यावसायिक परिसर में वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था का निर्धारण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

इस संपूर्ण प्रक्रिया में शहरी नागरिकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। लोग यदि स्वयं नालियों में कचरा डालते रहेंगे, जलधाराओं का अतिक्रमण करते रहेंगे, तो सरकारी योजनाएं धरातल पर साकार नहीं हो पाएंगी। जलधाराओं के संरक्षण कार्य को सामाजिक अभियान बनाने की दिशा में विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

कुल मिलाकर, इतना तो साफ है कि पर्वतीय नगरों का भविष्य भव्य इमारतों, चौड़ी सड़कों व फ्लाईओवर के जाल से सुरक्षित नहीं रह सकता। उनकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि शहरी समाज वहां की जलधाराओं का किस स्तर पर सम्मान व प्रबंधन करता है। सही मायने में प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, उसके अनुरूप सतत विकास होना अधिक आवश्यक है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आनंद जन्मसिद्ध अधिकार

आदमी आनंद की तलाश करता है, ऐसा कहते हैं। आदमी को देखकर भरोसा नहीं होता। ऐसा सुना है कि आदमी आनंद का खोजी है। उसे देखकर बात उल्टी मालूम पड़ती है। लगता यह है कि आदमी दुख का खोजी है। वह दुख को छोड़ता ही नहीं। दुख को पकड़ता है, उसे बचाता है, संवारता है, तिजोरी में सम्हालकर रखता है। दुख का बीज हाथ पड़ जाए, तो हीरे की तरह सम्हालता है। वह लाख दुख पाए, पर फेंकने की तैयारी नहीं दिखाता।

जो लोग कहते हैं कि आदमी आनंद का खोजी है, लगता है, वे आदमी की तरफ देखते ही नहीं। आदमी दुखवादी है, अन्यथा संसार इतना दुख में क्यों हो? अगर सभी लोग आनंद खोज रहे हैं, तो संसार में आनंद की थोड़ी झलक होती। कुछ को तो मिलता, और कुछ को मिल जाता, तो वे बांटते औरों को भी; उसकी कुछ झलक उनकी आंखों और उनके प्राण में भी आती।

अगर सभी आनंद की तलाश कर रहे हैं, तो लोग एक-दूसरे को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पराये ही दुख देते हैं, अपने भी देते हैं। अपने ही ज्यादा दुख देते हैं। कभी हिसाब रखा है, मित्र कितना दुख देते हैं? जिन्हें तुमसे घृणा है, वे तो दुख देंगे, स्वाभाविक है, लेकिन जो कहते हैं कि तुमसे प्रेम है, उन्होंने कितना दुख दिया, इसका हिसाब रखा है? अगर हर आदमी दुख दे रहा है, तो यह एक ही बात का सुबूत है कि हर आदमी दुख से भरा है। हम वही तो देते हैं, जिससे हम भरे हैं। वही तो हमसे बहता है, हमारे भीतर भरा है। नीम के पत्ते अगर कड़वे होते हैं, तो इसी कारण कि जहर उसके भीतर बह रहा है और आम अगर मीठा है, तो इसी कारण कि अमीरस उसके भीतर बह रहा है।

हमारे व्यवहार से दूसरों को दुख मिलता है, क्योंकि भीतर हमारे कड़वाहट है। हम लाख कहें कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर भी हम दूसरों के जीवन में नरक निर्मित करते हैं। पति-पत्नियों को देखो, मां-बाप को देखो, बेटे-बच्चों को देखो, सब एक-दूसरे की फांसी लगाए हुए हैं। और सभी कहते हैं कि हम सुख को खोज रहे हैं। मेरे पास रोज लोग आते हैं, जो कहते हैं कि हम सुख चाहते हैं। अगर तुम सुख चाहते हो, तो कोई भी तो

तुम जिस पल तय कर लोगे कि आनंदित होना है, उसी क्षण आनंदित हो जाओगे। देरी का कोई कारण नहीं है। झुको और पान करो। गंगा सदा सामने बहती है।

बाधा नहीं है, सुख तो लुट रहा है। सुख तो चारों तरफ मौजूद है। तुम ऐसे हो, जैसे सामने गंगा बहती हो और किनारे खड़े छाती पीट रहे हो- मैं प्यासा हूं। झुको और पान करो। गंगा सदा सामने बहती है।

जिन्होंने भी कभी आनंद पाया है, उन्होंने एक बात निरंतर दोहराई है कि आनंद तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम जिस भी पल तय कर लोगे कि आनंदित होना है, उसी क्षण आनंदित हो जाओगे। यह तुम्हारे रोएं-रोएं में समाया हुआ है। देरी का कोई कारण नहीं है।

ओशो

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

विश्वविद्यालयों के ऊपर ऐसे नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी है, जो सत्यनिष्ठा, अनुशासन, संवेदनशीलता और राष्ट्रहित की भावना से ओत-प्रोत हों। युवाओं का ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह मानवता की सेवा और राष्ट्र की उन्नति का माध्यम बने।

युद्ध नहीं, शांति ही मानवता का भविष्य

विश्व भर में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। यही वह दिन है, जब वर्ष 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। इस दिन हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है और शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण व मानवता का संदेश दिया जाता है। आज लगभग आठ दशक बाद भी, यह दिन इतिहास का स्मरण भर नहीं है, बल्कि वर्तमान विश्व को चेतावनी देने वाला एक अवसर है। कहना गलत नहीं होगा कि आज पूरी दुनिया मानो बारूद के ढेर पर खड़ी है। हर ओर युद्ध, संघर्ष और तनाव का वातावरण दिखाई देता है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल तनाव, गाजा संघर्ष और अन्य क्षेत्रीय विवाद वैश्विक शांति के सामने गंभीर चुनौती बन गए हैं।

वास्तव में, युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, बल्कि इससे नई समस्याओं की शुरुआत होती है। शांति ही मानवता का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यही संदेश हमें भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों में भी मिलता है। धम्मपद में कहा भी गया है- *न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचन। अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो।।* अर्थात् संसार में वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता; वैर केवल प्रेम, करुणा और अहिंसा से ही समाप्त होता है। यही सनातन सत्य है। सच तो यही है कि गौतम बुद्ध का यह संदेश आज की युद्धग्रस्त दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक नजर आता है।

संघर्ष चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है। युद्ध में हजारों निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को विवश हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां भय, असुरक्षा व मानसिक आघात के वातावरण में जीवन बिताने को मजबूर हो जाती हैं। यदि युद्ध की आग परमाणु हथियारों तक पहुंच जाए, तो उसका दुष्परिणाम केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी मानव सभ्यता को उसकी कीमत चुकानी पड़ जाती है। इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल सीमाएं बदलते हैं, मनुष्य का भाग्य नहीं। तलवारें, मिसाइलें और बम कभी स्थायी शांति स्थापित नहीं कर सकते; वे केवल भय, घृणा और विनाश को जन्म देते हैं। आज आवश्यकता इसी बात की है कि राष्ट्र हथियारों की होड़ में उतरने के बजाय संवाद, कूटनीति और सहयोग का मार्ग अपनाएं। यदि मानवता ने इतिहास से सबक नहीं लिया, तो हमें भविष्य में फिर किसी ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी भरपाई सदियों तक संभव न हो सकेगी।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

हिरोशिमा दिवस

कभी-कभी अमन के लिए जंग जरूरी

युद्ध सामान्यतः विनाश, मानव पीड़ा व आर्थिक क्षति का प्रतीक माना जाता है, और विवादों का समाधान शांति, संवाद व कूटनीति से करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी शांति स्थापित करने के लिए भी युद्ध लड़े जाते हैं। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब युद्ध को अपरिहार्य माना गया। वैसे भी, जब किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता, सुरक्षा या मानवीय मूल्यों पर गंभीर खतरा पैदा होता है और सभी शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो जाते हैं, तब युद्ध ही एकमात्र समाधान का रास्ता बच जाता है।

युद्ध कभी-कभी आत्मरक्षा के लिए भी अनिवार्य हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर खुद इसकी वकालत करता है। यदि कोई राष्ट्र दूसरे देश पर आक्रमण करता है, तो पीड़ित देश के पास अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, दूसरे महायुद्ध में नाजी जर्मनी के विस्तारवादी अभियान ने अनेक देशों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया था। यदि मित्र राष्ट्र जर्मनी के विरुद्ध जंग में न उतरते, तो यूरोप में लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर गंभीर खतरा आ सकता था। कुछ सशस्त्र संघर्ष दमन और अन्याय के अंत के लिए भी आवश्यक सिद्ध हुए हैं। 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक दमन हो रहा था। लाखों शरणार्थी भारत आए, जिससे मानवीय और सुरक्षा संकट उत्पन्न हुआ। इसने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसीलिए, कई इतिहासकार इस युद्ध को न्याय और आत्म-निर्णय के अधिकार की स्थापना के रूप में देखते हैं।

कभी-कभी युद्ध लंबे समय की शांति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मसलन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, उपनिवेशवाद का तेजी से अंत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नई संस्थाओं का विकास दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हुआ। यह सही है कि आधुनिक हथियारों, विशेषकर परमाणु हथियारों के युग में युद्ध का दुष्परिणाम पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है। विशेषकर इराक युद्ध और अफगानिस्तान संघर्ष ने दिखाया है कि संघर्ष के नाम पर लिए गए सभी फैसले उचित या सफल नहीं होते, लेकिन जब जंग का मकसद रक्षा, न्याय व शांति की स्थापना हो और सभी कूटनीतिक उपाय विफल हो चुके हों, तब इसकी अनिवार्यता बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें जंग के मैदान में उतरना देशों के लिए अनिवार्य बन जाता है।

नवेंदु वत्स, टिप्पणीकार

हरित रोजगारों के लिए हो जाएं तैयार

स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ती दुनिया के साथ भारत में भी ग्रीन टेक तेजी से उभर रहा है। सरकारी नीतियां, एआई और उद्योगों के निवेश से इस क्षेत्र में नए करियर अवसर बन रहे हैं। इसे भविष्य के सबसे ज्यादा मांग वाले स्किल्स में शामिल किया जा रहा है। युवाओं के लिए ग्रीन टेक क्षेत्र में कितने अवसर हैं? इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए क्या पढ़ना-सीखना होगा, बता रहे हैं संजीव चन्द

कल की तैयारी

पिछले 20 वर्षों में देश और दुनिया में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। अब भविष्य को देखते हुए स्टील, रसायन, परिवहन और ईवी बैटरी जैसे क्षेत्रों में ग्रीन तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं, एआई के बढ़ते इस्तेमाल से डाटा सेंटरों की ऊर्जा जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है। साल 2030 तक इनकी बिजली खपत 2200 टेरावाट प्रतिघंटे को पार कर सकती है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी और ऊर्जा बचाने वाली तकनीकों का महत्व और बढ़ गया है।

ग्रीन टेक यानी ऐसी तकनीकी क्षमता, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समस्याओं का समाधान, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके।

कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ी

सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक देशों में शामिल करना है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा और ट्रांसमिशन सेक्टर में 2027 तक करीब 17 लाख प्रशिक्षित लोगों की भारत में कमी का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार ग्रीन इकोनॉमी 2030 तक 2.4 करोड़ से अधिक रोजगार बना सकती है।

इस संदर्भ में **डॉ. नकी अनवर**, प्रोफेसर एंड हेड, सस्टेनिबिलिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, नई दिल्ली बताते हैं, 'ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ऐसे पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो एआई के साथ तालमेल बैठाते हुए ऊर्जा की खपत कम करने, नई तकनीकों के इस्तेमाल और परियोजनाओं के बेहतर संचालन में योगदान दे सकें। इस इंडस्ट्री में इंजीनियर, एनालिस्ट और सस्टेनेबिलिटी मैनेजर की हर कदम पर जरूरत होगी।'

इन पदों पर होगी मांग : सोलर डिजाइन इंजीनियर, विंड एनर्जी इंजीनियर, ईवी डिजाइन इंजीनियर, बैटरी सिस्टम इंजीनियर, ग्रीन हाइड्रोजन इंजीनियर, एनर्जी डाटा एनालिस्ट, ईएसजी कंसल्टेंट, कार्बन अकाउंटेंट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर जैसी भूमिकाओं की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा ग्रीन कंस्ट्रक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन फाइनेंस और कार्बन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर बन रहे हैं।

कैसे सीखें : बैचलर कोर्स के लिए बारहवीं विज्ञान विषय के साथ करना जरूरी है। पीजी कोर्स के लिए बीएससी, बीटेक व बीई की डिग्री अनिवार्य है। रिन्यूएबल एनर्जी, एन्वायरन्मेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में बीटेक, एन्वायरन्मेंटल साइंस/ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बीएससी, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट में बी.वोकेशनल कोर्स, ग्रीन आर्किटेक्ट में बी.डेस जैसे कोर्स विकल्प हैं। बी.वोकेशनल तीन साल की स्किल-आधारित डिग्री है, जिसमें सोलर और ईवी पर हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग मिलती है।

पेशेवरों के लिए अपस्किलिंग

गैर तकनीकी पृष्ठभूमि वाले छात्र या पेशेवरों के लिए सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी, ग्रीन फाइनेंस व क्लाइमेट पॉलिसी से जुड़े सर्टिफिकेशन कोर्स मौजूद हैं।

- कोर्सेरा पर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेफ्टी और सोलर एनर्जी फॉर इंजीनियर्स जैसे कोर्स हैं।
- एडेक्स पर सोलर एनर्जी इंजीनियरिंग, एनर्जी स्टोरेज और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस से जुड़े कोर्स किए जा सकते हैं।
- मंच स्वयं पर एलिमेंट्स ऑफ सोलर एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कोर्स उपलब्ध हैं।

भविष्य के 5 ग्रीन टेक स्किल्स

1. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंजीनियरिंग : इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेषज्ञता।

2. स्मार्ट सोलर एंड रिन्यूएबल सिस्टम्स : सोलर पैनल डिजाइनिंग, स्मार्ट रूफटॉप प्लानिंग और मेंटेनेंस स्किल की मांग बढ़ रही है।

3. एआई-ड्रिवन एनर्जी एनालिटिक्स : एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डाटा एनालिटिक्स की मदद से स्मार्ट ग्रिड को बेहतर तरीके से संचालित करने, ऊर्जा खपत का विश्लेषण करने और ऊर्जा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने वाले कौशल की मांग बढ़ रही है।

4. बैटरी केमिस्ट्री और रीसाइक्लिंग : लिथियम-आयन और अति आधुनिक बैटरियों की क्षमता, सुरक्षा और रीसाइक्लिंग मैनेजमेंट की विशेषज्ञता की मांग।

5. कार्बन अकाउंटिंग और ईको-डिजाइनिंग : कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन और टिकाऊ उत्पाद डिजाइन करने की क्षमता भविष्य का जरूरी कौशल बन रही है।

विशेषज्ञ की राय

एआई आधारित डाटा सेंटरों में पारंपरिक डाटा सेंटरों की तुलना में बिजली और पानी की खपत अधिक होती है। इन्हें ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और स्वच्छ पानी की जरूरत पड़ती है। टेक इंडस्ट्री ऐसी तकनीकों पर काम कर रही है, जो इन संसाधनों की खपत कम कर सकें। सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी के कोर्स इसमें सहायक साबित हो रहे हैं।

- प्रो. ज्योत्सना सिंह, डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, लखनऊ विश्वविद्यालय

ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईपीसी, ऑपरेशंस, फाइनेंस, एचआर, हेल्थ एंड सेफ्टी, फाइनेंस और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भी अवसर बढ़ रहा है। नई तकनीकों की समझ रखने वाले ऐसे पेशेवरों की मांग बढ़ रही है, जो परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। ये पेशेवर देश में भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा सकेंगे।

-निधि गुप्ता, सीएचआरओ, सनकाइंड इंडिया लिमिटेड

ग्रेजुएशन के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। मैटलैब, सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, सिमुलिंक जैसे टूल और हैकाथॉन/इनोवेशन प्रतियोगिताएं करियर में मददगार हैं।

प्रमुख संस्थान एवं कोर्स

बैचलर कोर्स : ग्रीन टेक, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग डिग्री के लिए आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, रूड़की, एनआईआईटी और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान प्रमुख हैं। निजी संस्थानों में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, एमआईटी-डब्ल्यूपीयू पुणे और यूपीईएस देहरादून प्रमुख विकल्प हैं। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी में विशेषज्ञता लेकर अवसर बना सकते हैं। प्रवेश के लिए जेईई मेन्स, एडवांस और अन्य संस्थानों की परीक्षाएं होती हैं।

स्पेशलाइजेशन के रास्ते : आईआईटी दिल्ली में एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट व एनर्जी स्टडीज में एमटेक, दिल्ली विश्वविद्यालय में एनवायर्नमेंटल स्टडीज, लखनऊ विश्वविद्यालय में रिन्यूएबल एनर्जी में एमएससी और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े पीजी व पीजी डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी डिप्लोमा कोर्स कराता है। एंट्री लेवल पर 3-6 लाख रुपये सालाना, मिड लेवल पदों पर 8-18 लाख रुपये का पैकेज मिल सकता है।

जॉब/करियर

- इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) ने देश के विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंक में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है।
कुल पद : 11,403
अंतिम तिथि : 21 अगस्त 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। वेबसाइट है- **ibps.in**

- डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, बुलन्दशहर ने 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रधानाचार्या, पीजीटी, केयर टेकर आदि पदों पर भर्तियां निकाली हैं।
कुल पद : 160
अंतिम तिथि : 10 अगस्त 2026
आवेदन प्रक्रिया : डाक के माध्यम से। जानकारी के लिए देखें **bulandshahar.nic.in**

- नॉर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवे, असम में अप्रेंटिस की रिक्तियां भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन है।
कुल पद : 6777
अंतिम तिथि : 19 अगस्त 2026
आवेदन प्रक्रिया : संबंधित वेबसाइट पर जाएं- **nfr.indianrailways.gov.in**

- जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण परिक्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पद रिक्त हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
कुल पद : 317
अंतिम तिथि : 18 अगस्त 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट **upanganwadibharti.in** पर जाएं।

- हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में डिजाइन ट्रेनी एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के पद भरे जाएंगे।
कुल पद : 120
अंतिम तिथि : 14 अगस्त 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट - **hal-india.co.in**

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में असिस्टेंट, अपर डिविजन क्लर्क समेत अन्य पदों पर अवसर हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
कुल पद : 244
अंतिम तिथि : 16 अगस्त 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है: **isro.gov.in**

- उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा प्रिंसिपल के पद पर आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है।
कुल पद : 111
अंतिम तिथि : 20 अगस्त 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है- **upessc.up.gov.in**

(नोट : आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें)

आप कैसे बनेंगे कामयाब एप डेवलपर?

एक्सपर्ट टिप्स

डॉ. संजीव कुमार आचार्य
सीनियर करियर काउंसलर

■ मैं बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा हूं और ओ-लेवल कोर्स पूरा कर चुकी हूं। एक सफल एप डेवलपर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए, जिसके बाद मैं प्ले स्टोर पर एप डाल सकूं? वर्तमान समय में एप डेवलपमेंट में करियर की संभावनाएं भी बताएं।

- ऋचा साहू

सफल एप डेवलपर बनने के लिए तार्किक सोच, रचनात्मकता और निरंतर अभ्यास जरूरी हैं। शुरुआत के लिए ओ-लेवल कोर्स मजबूत आधार देता है। इसके बाद एंड्रॉयड एप डेवलपमेंट के लिए गूगल की प्रमुख भाषा कोटलिन सीखें। यूआई/यूएक्स डिजाइन (फिग्मा), डाटाबेस के लिए बेसिक एसक्यूएल एंड ऑथेंटिकेशन, क्लाउड स्टोरेज व नोटिफिकेशन के लिए फायरबेस का ज्ञान आवश्यक है। आगे चलकर फ्लटर सीखें, ताकि एक ही कोडबेस से एंड्रॉयड और आईओएस एप बनाए जा सकते हैं। एआई टूल्स की समझ विकसित करें, क्योंकि एआई आधारित एप्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से इसे सीखा जा सकता है। इसके बाद वास्तविक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। शॉपिंग एप, अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम या एजुकेशनल एप बनाकर उन्हें गूगल प्ले स्टोर पर जारी करना उपयोगी होगा।

व्यवसाय, स्टार्टअप, बैंक, हेल्थकेयर, शिक्षा संस्थान, रिटेल कंपनियां और सरकारी संगठन अपनी सेवाओं के लिए मोबाइल एप्स की तलाश कर रहे हैं। कुशल एप डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रीलांसर, स्टार्टअप संस्थापक या वैश्विक कंपनियों के लिए रिमोट प्रोफेशनल के रूप में काम कर सकते हैं। लगातार सीखने और एआई कौशल के साथ यह क्षेत्र बेहतर कमाई और अवसर देता है।

■ मैं एमबीए कर रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहता हूं। एमबीए में कौन सी इंटर्नशिप करनी चाहिए, जिससे गूगल जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिले?

- दीपांशु कश्यप

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट और प्रमुख डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों को महत्व देती हैं, जिनके पास व्यावहारिक अनुभव, विश्लेषण क्षमता और मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट हों। एमबीए के दौरान डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मार्केटिंग एनालिटिक्स, ई-कॉमर्स मार्केटिंग, सीआरएम और ब्रांड मैनेजमेंट में इंटर्नशिप को प्राथमिकता दें। इससे वास्तविक व्यावसायिक चुनौतियों और डिजिटल कैंपेन पर काम करने का अनुभव मिलता है। साथ ही गूगल एनालिटिक्स 4 (जीए4), गूगल ऐड्स, मेटा ऐड्स मैनेजर, गूगल टैग मैनेजर, हबस्पॉट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई और एआई आधारित मार्केटिंग टूल्स की जानकारी विकसित करें।

इंटर्नशिप के दौरान कंपनियों के असली मार्केटिंग कैंपेन पर काम करने का अनुभव लें। उपभोक्ता व्यवहार समझें, संभावित ग्राहकों की जानकारी जुटाएं, विज्ञापनों को बेहतर बनाएं और डाटा से कैंपेन का मूल्यांकन करें। अपने प्रोजेक्ट और उपलब्धियों का पोर्टफोलियो तैयार करें। साथ ही कम्यूनिकेशन, प्रेजेंटेशन जैसे कौशल विकसित करें। एआई मार्केटिंग, ऑटोमेशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और डाटा एनालिटिक्स जैसे नए क्षेत्रों की जानकारी रखें और संबंधित ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स करें।

हर सेमेस्टर ब्रेक का उपयोग इंडस्ट्री अनुभव हासिल करने में करें और अपनी उपलब्धियों को लिंकडइन पर साझा करें। व्यावहारिक अनुभव, मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट और मजबूत प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बड़ी कंपनियों में अवसर बढ़ाते हैं।

(www.sanjibacharya.com)

हिन्दुस्तान क्विज-17

हिन्दुस्तान अर्थात भारत की विकास यात्रा बहुआयामी रही है। इसी महायात्रा से हम पाठकों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। पेश हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा के दस सवाल और उनके जवाब...

1. किस प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी वैज्ञानिक ने 'बंगाल केमिकल्स' नामक कंपनी की स्थापना भी की थी?
2. सचिन तेंदुलकर का नाम किस जानी-मानी हस्ती के नाम पर रखा गया था?
3. 'कलम का सिपाही' किस प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी के जीवन पर आधारित पुस्तक है?
4. हिन्दुस्तानी फौज का टैंक 'विजयंत' किस स्थान पर निर्मित होता था?
5. एकमात्र हिंदी फिल्म अभिनेता का नाम बताइए, जिनको इनके साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
6. स्वाधीनता से पहले असम राज्य की राजधानी कहां थी?
7. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी?
8. भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश पाने वाले पहले हिन्दुस्तानी कौन थे?
9. हिन्दुस्तान के किस राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं?
10. हिन्दुस्तान के एक मात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है?

उत्तर : 1. प्रफुल्ल चंद्र राय 2. मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन 3. प्रेमचंद 4. हैवी व्हीकल फैक्टी, अवादी 5. गिरीश कर्नाड 6. शिलांग 7. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 8. सत्येंद्रनाथ टैगोर 9. गुजरात 10. केइबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील

भेजें अपना सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें **nayiraheincareer@gmail.com**

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। माता का सान्निध्य मिलेगा। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा।

वृष : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : मन परेशान रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। आय में भी वृद्धि होगी।

कर्क : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। कारोबार में भागदौड़ बढ़ेगी।

सिंह : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। आय में कमी और खर्च में अधिकता की स्थिति हो सकती है। यात्रा पर जा सकते हैं।

कन्या : संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। माता तथा परिवार के किसी बुजुर्ग से कारोबार के लिए धन मिल सकता है।

तुला : किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, परंतु परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। पिता का साथ रहेगा। खर्च बढ़ेंगे।

वृश्चिक : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, परंतु मन परेशान हो सकता है। कारोबार में कठिनाई आ सकती है। कारोबार में परिवर्तन की संभावना भी बन रही है।

धनु : संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें।

मकर : मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में परिवर्तन हो सकता है।

कुंभ : नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं, परंतु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। खर्चों में भी वृद्धि होगी।

मीन : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। सम्मान मिल सकता है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

06 अगस्त, गुरुवार, **शक संवत्** : 15, श्रावण, (सौर) 1948 **पंजाब पंचांग** : 22, श्रावण मास प्रविष्टे 2083 **इस्लाम** : 22, सफर, 1448 **विक्रमी संवत्** : श्रावण कृष्ण अष्टमी तिथि सायं 06.53 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि, भरणी नक्षत्र रात्रि 08.14 मिनट तक पश्चात कृतिका नक्षत्र, गण्ड योग अपराह्न 03.01 मिनट तक पश्चात वृद्धि योग, चन्द्रमा मेष राशि में रात्रि 01.54 मिनट तक उपरांत वृष राशि।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

पैसा आ तो रहा हो, किंतु रुक नहीं रहा हो, तो कुछ वास्तु उपाय राहत देंगे-

- घर में रसोई अग्नि कोण में बनवानी चाहिए। रसोई के उचित दिशा में होने के कारण धन तो आता है, परंतु यदि फर्श में दोष है, तो भी रुकता नहीं है। ढलान के कारण यदि रसोई का फर्श नीचा हो गया है, या उसके कारण बाकी फर्शों से अग्नि कोण नीचा हो गया हो, या ढलान दक्षिण की ओर हो, तो ऐसे फर्श को बराबर करवाएं।
- रोजाना हरी साबुत मूंग पक्षियों को डालें।
- अपनी रसोई की पश्चिम दिशा में एक स्टील के डिब्बे में काले तिल रखें।

वर्ग पहेली : 8412

बाएं से दाएं
3. आसान होना; सुगम होना; स्वाभाविक होना (3,2)
6. हंसी दिल्लगी से संबंधित साहित्य का एक रस (4)
7. डर जाना; भयभीत हो जाना; सिमट जाना (3,2)
8. नीलांबुज; नीले रंग का कमल; नीलोत्पल (5)
11. देना; चुकाना; पूरा करना; भुगतान करना; मंचित करना (2,3)
12. शक्तिशाली; बलिष्ठ (5)
14. आपस में; एक दूसरे के साथ (4)
15. अस्तित्व न रहने देना; तबाह करना; नष्ट करना; बरबाद करना (2,3)

ऊपर से नीचे
1. अवलंब; आधार; आश्रय; भरोसा (3)
2. गृहस्थी का निर्वाह होना; घर का खर्च चलना; परिवार का भरण पोषण होना (2,3)
4. भारी जहर; महाविष; अंजना नाम की एक प्रकार की छिपकली; ब्रह्मसर्प; एक बुद्ध (4)
5. किसी की इच्छुसार काम करना; हैरान होना (2,3)
7. अक्लमंद; बुद्धिमान; ज्ञानी (5)
9. डट जाना; वार झेलना; सामना करना (2,3)
10. अलग करना; हटाना; विकर्षित करना; समाप्त करना (2,3)
11. मौका; समय (4)
13. भावपूर्ण; मधुर; मीठा; रसीला (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8411

सुडोकू : 8366

*मध्यम

9				5				1
	4			9			5	
3		5				9		6
			4	8	2			
1	2						8	4
			9	1	7			
2		8				3		7
	5			2			1	
7				4				5

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8365

9	3	1	4	6	2	5	7	8
8	4	7	9	5	3	6	1	2
5	6	2	8	1	7	4	3	9
3	9	6	2	7	8	1	4	5
7	5	8	6	4	1	2	9	3
2	1	4	5	3	9	7	8	6
6	2	3	1	9	4	8	5	7
4	7	5	3	8	6	9	2	1
1	8	9	7	2	5	3	6	4

कल्पमेधा

चीजों को संभालने में अक्सर लोग सफल होते-होते विफल हो जाते हैं। अगर कोई अंत में उतना ही सजग रहे, जितना वह आरंभ में था, तो विफल हो ही नहीं सकता।

– लाओत्से

जोखिम का सफर

देश में हवाई यात्रा की सुविधा का दायरा बढ़ाने के लिए विमान सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों के निर्माण में प्रगति हुई है। इसके साथ ही विमान किराये में भी आए दिन बेलगाम तरीके से बढ़ोतरी होती रहती है। मगर इसी तर्ज पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता कहीं नजर नहीं आती है। कभी तकनीकी खराबी, सतर्कता की कमी, तो कभी मौसम की अप्रत्याशित चुनौतियां विमान हादसों का कारण बनती हैं। ऐसी ही एक घटना बीते मंगलवार को हुई, जब थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रहा एअर इंडिया का एक विमान वायुमंडलीय अस्थिरता यानी टर्बुलेंस के कारण हवा में अपनी निर्धारित ऊंचाई से अचानक लगभग तीन सौ फुट नीचे आ गया, जिससे सत्रह यात्री घायल हो गए। हालांकि बाद में इस विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया। सवाल है कि देश भर में होने वाले विमान हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता है? इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने और विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

यह सच है कि हाल के वर्षों में हवाई सफर की सुविधा को विस्तार देने के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। मगर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तकनीकी और सतर्कता के स्तर पर माकूल प्रबंधों का अभाव साफ नजर आता है। पायलटों और अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत के मुताबिक तैनाती नहीं हो पाने से संचालन तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है और इससे मानवीय चूक की संभावनाएं भी अक्सर बनी रहती हैं। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार, करीब पैंसठ फीसद विमान दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय चूक एक प्रमुख कारण होती है। एअर इंडिया का जो विमान वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण असंतुलित हुआ, उसमें 137 यात्री और चालक दल के आठ सदस्य सवार थे। अगर पायलट के समझने में थोड़ी सी भी चूक होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, फिर क्या वजह है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तकनीकी रूप से मानक संचालन प्रक्रिया में सुधार नहीं हो पाया है।

सवाल यह भी है कि इस घटना के दौरान खराब मौसम की स्थिति में संभावित वायुमंडलीय अस्थिरता के बारे में चालक दल की ओर से यात्रियों को पहले से सचेत करने की सामान्य मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं? अगर यात्रियों को समय रहते सतर्क कर दिया जाए, तो विमान में मौजूद सुरक्षात्मक उपायों के इस्तेमाल से उनके हताहत की संभावना कम होती है। नागर विमानन महानिदेशालय इस घटना की जांच कर रहा है, लेकिन यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या इस जांच के नतीजे से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाएगा या फिर इसे भी संबंधित हादसे तक ही सीमित रखा जाएगा? हालांकि, विमान हादसों की जांच और विश्लेषण की प्रक्रिया में समूचे तंत्र की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल अहमदाबाद में हुई एअर इंडिया की विमान दुर्घटना की अंतिम जांच रिपोर्ट एक साल बाद भी सामने नहीं आई है। इससे साफ है कि अगर किसी विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आने में ही इतना लंबा वक्त लग जाए, तो यात्रियों के सुरक्षित सफर की स्थिति क्या होगी, इसका आकलन करना मुश्किल नहीं है।

आतंक का साया

सरकार का दावा है कि देश में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, मगर हकीकत इससे कहीं अलग नजर आती है। सीमा पार से आतंकवाद भारत की सुरक्षा और शांति के लिए आज भी चुनौती बना हुआ है। विदेशी धरती से संचालित होने वाले आतंकी संगठन घुसपैठ से लेकर हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने की उनकी साजिश कई परतों में दिखाई देती है। पंजाब पुलिस ने बीते मंगलवार को दो आतंकी तंत्र का भंडाफोड़ कर चार नाबालिगों समेत नौ लोगों को पकड़ा है। पुलिस का दावा है कि ये सभी पाकिस्तानी खुफिया एजंसी आइएसआइ के इशारे पर काम कर रहे थे। साथ ही यह खुलासा भी हुआ है कि आरोपी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस भले ही इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही हो, लेकिन इससे सुरक्षा और खुफिया एजंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इन आतंकी तंत्रों की भनक पहले क्यों नहीं लग पाई?

पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि आतंकियों के इस गिरोह ने पंजाब में कई जगह रेल पटरियों के पास निगरानी कैमरे लगाए थे। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन कैमरों से ली गई तस्वीरें सीमा पार बैठे आकाओं को भेजी जाती थी। हाल के दिनों में पंजाब में रेल पटरियों पर धमाके की कई घटनाएं हुई हैं और अब उन्हें भी आतंकियों की इसी तरह की साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। हैरत इस बात की है कि आतंकी गिरोह के सदस्य कैमरे लगाकर रेल पटरियों की नियमित निगरानी कर रहे थे और पुलिस एवं खुफिया एजंसियों को इसकी जरा भी भनक नहीं लग पाई। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आतंकी पिछले दिनों विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल बम बनाने का सामान लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गए थे। इसे सुरक्षा में लापरवाही नहीं, तो और क्या कहा जाएगा? प्रदर्शन के दौरान आतंकी अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते, तो किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती थी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

शिक्षा में बुनियादी सुधार की जरूरत

भारत आधुनिक तकनीक के जरिए दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होना चाहता है। मगर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव और शुचिता के बिना यह संभव हो पाना मुश्किल है।

सुरेश सेठ

भारत शिक्षा के मामले में सदियों से अग्रणी रहा। हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था दुनिया को राह दिखाती थी। बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आते थे। यहां गुरुकुल से कई ऐसे विद्यार्थी निकले, जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई। मगर समय बदलने के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक बदलाव हुए। भारत जो कभी ज्ञान और नवजागरण के क्षेत्र में अग्रणी था, वह पिछड़ता चला गया। हम पश्चिमी शिक्षा की नकल करने लगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने शोध और अन्वेषण को कम कर दिया। कला संकाय का महत्त्व कम होता चला गया। शिक्षा पर बाजार हावी होने लगा। नए रास्ते पर चलने की हमारी ललक खत्म हो गई। दुनिया डिजिटल होती गई और इंटरनेट उसकी आधार भूमि बन गई। आज भारत कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल कर दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होना चाहता है। यह सच है कि ज्ञान के आकाश का कोई अंत नहीं, लेकिन भारत अगर सचमुच उस ऊंचाई को छूना चाहता है, तो उसे शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे।

पिछले डेढ़ दशक में डिजिटल तकनीक को अपनाने और इस दिशा में आगे बढ़ने के कई दावे किए गए हैं। भारत कृत्रिम मेधा का अगुआ बनने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन एक कमी रह गई। यह कमी है संकल्प की। हम बेहतरीन शिक्षक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। विद्वता बढ़ाने पर भी कोई जोर नहीं दिखता। इच्छा और आकांक्षा जरूर थी, लेकिन अध्यापकों की प्रतिबद्धता में बदलाव नहीं आया। विद्यार्थी उपलब्धियां हासिल करने को ही लक्ष्य मान बैठे। नतीजा यह कि मेहनत और अन्वेषण कर आगे जाने का उत्साह कम पड़ता चला गया। यही कारण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे पिछड़ती चली गई। बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक भी इसलिए पिछड़े, क्योंकि उन्होंने खुद को अद्यतन नहीं किया। नतीजा यह कि हमारे विद्यार्थी समय के साथ आगे नहीं बढ़े। डिजिटल में सहज होने के क्रम में हम कागज-कलम से दूर हो गए। इसी के साथ हम अपनी पुस्तक संस्कृति भी भूल गए। मोबाइल फोन पर ही कक्षाएं लगने लगीं। बच्चे भी वहीं पढ़ने लगे। किताबें कोने में धरी रह गईं। डिग्रियां पाने और सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा का असली उद्देश्य पीछे रह गया।

प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है। यह काफी समय से हो रही है। मगर जब बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बाहर आने लगे, तब इस समस्या को गंभीरता से लिया गया और यह मुद्दा बनने लगा। प्रश्नपत्र लीक को कुछ गिरोहों ने अपना धंधा बना लिया और वे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खेलने लगे। वर्ष 2024 और 2026 में बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक हुए। निराशा में डूबे कुछ विद्यार्थियों ने खुदकुशी की। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले दिनों आंदोलन किया। युवा पीढ़ी का असंतोष आक्रोश में बदल गया। नतीजा शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। हालांकि इससे

शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। प्रवेश परीक्षाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार को भागीरथी प्रयास करने होंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर संबोधन कर आक्रोशित विद्यार्थियों को शांत करने और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि सरकार अपनी तरफ

> **देश की साठ फीसद आबादी गांवों में बसती है। मगर वहां पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं, मोबाइल नेटवर्क या तो है ही नहीं या फिर बहुत कमजोर है और यहां चर्चा होती है कि नीट सहित सारी प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर से ली जानी चाहिए। सुधार कैसे हो सकता है, जबकि स्कूलों में पढ़ाई का तरीका वही पुराना है। उच्च स्तर पर शिक्षा में बदलाव का आधार स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। बदलाव करना है, तो प्राथमिक स्तर से हो। शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए, लेकिन यह सब रोजगार की गारंटी के बिना संभव नहीं होगा। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है, वह आश्वस्त हो कि उसकी शिक्षा के मुताबिक उसे रोजगार अवश्य मिलेगा। इससे छात्रों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण अपने आप बदल जाएगा।**

से क्या कर रही है। इसमें उन्होंने प्रश्नपत्र लीक करने वाले अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था की बात भी की। बीती 27 जुलाई को जब संसद का सत्र दोबारा शुरू हुआ, तो परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया। इससे प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोहों पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार इस विधेयक को काफी महत्त्व दे रही है। मगर इसमें गंभीर चिंतन नहीं दिखता है। इस पर संसद में व्यापक बहस भी नहीं हो पाई। कड़े दंड के प्रावधानों वाला यह विधेयक बहुमत के बल पर पारित तो हो गया, लेकिन परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा में सुधार के लिए यह काफी नहीं है। पिछला अनुभव बताता है कि दोषियों को सजा देने के कानून तो पहले भी थे, चाहे उनमें सजा इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन फिर भी पिछले पच्चीस वर्षों में देश भर के अलग-अलग हिस्सों से जो प्रश्नपत्र लीक हुए और माफिया ने जो कारगुजारी की, उस हिसाब से बड़े पैमाने पर धर-पकड़ नहीं हुई।

फिलहाल सरकार ने एक बड़ी पहल की है। उसने त्वरित अदालतें बनाई हैं। तीन महीने में फैसला देकर अपराधियों को कड़ी सजा देने की घोषणा भी की गई है, लेकिन पिछले दिनों एक मामले में वकील के हाजिर न होने से अगली तारीख दे दी गई। दंड प्रक्रिया को चुस्त कर प्रवेश परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तो बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि यह पूरी तरह दोषरहित कैसे होगी? हालांकि, सरकार इसको लेकर गंभीर दिख रही है। उसने छह सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यबल बना दिया है, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी के काम की समीक्षा करेगा और प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए अपनी सिफारिशें देगा। इससे परीक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद है।

देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। नीति निर्माताओं को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया आज कितने आगे बढ़ चुकी है और हम अभी नारे ही गढ़ रहे हैं। हम नारे लगाते हैं डिजिटल भारत के। हम बताते हैं कि भारत में मोबाइल क्रांति हो गई है और जल्द ही कृत्रिम मेधा को भी साध लिया जाएगा। इस दिशा में प्रगति निस्संदेह प्रशंसनीय है, मगर सवाल यह है कि क्या हम युवा पीढ़ी को नए रोजगार के काबिल बना रहे हैं? आज भी न तो अध्यापक और न ही छात्र नई राहों के अन्वेषी हैं। वे कोई नया शोध करना नहीं चाहते। वे बस डिग्रियां चाहते हैं। आज भी पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव नहीं होता। बरसों तक उन्हें वहीं पढ़ाया जाता है।

भारत की साठ फीसद आबादी गांवों में बसती है। मगर वहां पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, मोबाइल नेटवर्क या तो है ही नहीं या फिर बहुत कमजोर है और यहां चर्चा होती है कि नीट सहित सारी प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर से ली जानी चाहिए। सुधार कैसे होगा, जबकि स्कूलों में पढ़ाई का तरीका वही पुराना है। सरकार कहती है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने लगे है, लेकिन सच यह है कि दसवीं तक पहुंचने के बाद उनमें से कई बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। उच्च स्तर पर शिक्षा में बदलाव का आधार स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। बदलाव करना है, तो प्राथमिक स्तर से हो। शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए, लेकिन यह सब रोजगार की गारंटी के बिना संभव नहीं होगा। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है, वह आश्वस्त हो कि उसकी मेहनत और डिग्री के मुताबिक उसे रोजगार अवश्य मिलेगा। इससे छात्रों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण अपने आप बदल जाएगा। अध्यापकों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। नए माहौल के मुताबिक जब तक वे स्वयं को अद्यतन नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी।

डिजिटल साक्षरता

राजेंद्र जोशी

अगर भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। आज विकास का सबसे बड़ा आधार डिजिटल तकनीक बन चुकी है। शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक सहभागिता लगभग हर क्षेत्र डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे समय में यदि महिलाओं का बड़ा वर्ग डिजिटल दुनिया से दूर रह जाता है, तो यह केवल लैंगिक असमानता का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास में गंभीर बाधा भी है।

आज भारत डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने का दावा करता है। यूपीआइ, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, आनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों ने नई संभावनाएं खोली हैं। इसके बावजूद डिजिटल सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच पुरुषों की तुलना में कम है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों, आदिवासी इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं आज भी डिजिटल संसाधनों से पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ सकी हैं। यह स्थिति बताती है कि तकनीकी विकास तभी सार्थक होगा, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचे।

डिजिटल समावेशन का अर्थ केवल मोबाइल या इंटरनेट उपलब्ध करा देना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है महिलाओं को डिजिटल उपकरणों का सुरक्षित, आत्मविश्वासपूर्ण और प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाना। जब कोई महिला आनलाइन शिक्षा प्राप्त करती है, डिजिटल बैंकिंग करती है, सरकारी योजनाओं के लिए स्वयं आवेदन करती है, अपने उत्पादों का आनलाइन विपणन करती है या टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करती है, तभी वास्तविक डिजिटल समावेशन संभव होता है।

दरअसल, देश के बहुत सारे परिवारों में मोबाइल फोन पुरुषों की प्राथमिकता होता है और महिलाओं को उसका सीमित उपयोग ही मिल पाता है। एक और बड़ा कारण डिजिटल साक्षरता का अभाव है। पढ़ी-लिखी महिलाएं भी अनेक बार आनलाइन सेवाओं का सुरक्षित उपयोग नहीं कर पातीं। फिर सामाजिक मानसिकता की वजह से महिलाओं के मोबाइल उपयोग को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा, साइबर अपराधों का भय है। आनलाइन ठगी, फर्जीवाड़ा और साइबर उत्पीड़न के कारण अनेक महिलाएं डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाए रखती हैं।

यहीं आजीवन शिक्षा की अवधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा केवल विद्यालय या महाविद्यालय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बदलती तकनीकों के साथ निरंतर सीखते रहना ही आजीवन शिक्षा है। अगर प्रत्येक गांव, वार्ड और समुदाय में महिलाओं के लिए नियमित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएं, तो लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। स्वयं सहायता समूह, पंचायतें, महिला मंडल, पुस्तकालय, जन शिक्षण संस्थान, सामुदायिक शिक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल इंडिया, कामन सर्विस सेंटर, स्वयं पोर्टल और विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिनसे लाखों महिलाओं को लाभ मिला है, लेकिन यह प्रयास अभी पर्याप्त नहीं हैं। आज आवश्यकता ऐसी रणनीति की है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला डिजिटल शिक्षा केंद्र स्थापित हों। स्कूल और कालेजों के साथ-साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए। स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जाए। साइबर सुरक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि महिलाएं आत्मविश्वास के साथ डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकें। स्वयं सहायता समूहों को ई-कामर्स और डिजिटल विपणन से जोड़ा जाए। वरिष्ठ महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं।

दुनिया मेरे आगे

> **शिक्षा केवल विद्यालय या महाविद्यालय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बदलती तकनीकों के साथ सीखते रहना ही आजीवन शिक्षा है। अगर प्रत्येक गांव, वार्ड और समुदाय में महिलाओं के लिए नियमित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएं, तो लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं।**

डिजिटल समावेशन केवल तकनीकी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान है। जब एक महिला डिजिटल रूप से सशक्त होती है, तो उसका पूरा परिवार लाभान्वित होता है। वह बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं तक पहुंच में अधिक सक्षम बनती है। यही कारण है कि महिलाओं का डिजिटल सशक्तीकरण प्रत्यक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और लैंगिक समानता जैसे अनेक सतत् विकास लक्ष्यों को गति देता है। भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना तभी साकार होगा, जब देश की प्रत्येक महिला डिजिटल दुनिया की सक्रिय सहभागी बने। आजीवन शिक्षा इस परिवर्तन की सबसे प्रभावी कुंजी है। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों और समाज को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जिसमें कोई भी महिला डिजिटल अवसरों से वंचित न रहे।

डिजिटल भारत की वास्तविक सफलता इंटरनेट की गति या तकनीक की उन्नति से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि देश की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला भी डिजिटल संसाधनों का आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर रही है या नहीं। अगर हम महिलाओं के डिजिटल समावेशन को आजीवन शिक्षा के साथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो यह केवल लैंगिक समानता की दिशा में ही नहीं, बल्कि समावेशी, न्यायपूर्ण और सतत् भारत के निर्माण की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा।

विमर्श के समांतर

तीन राज्यों में हुए उपचुनाव में एक सीट पर भाजपा, एक पर कांग्रेस और एक सीट पर जन सुराज पार्टी की जीत हुई। उपचुनाव में जिस सीट की राष्ट्रीय पटल पर चर्चा हुई, वह है- बांकीपुर। यह भाजपा की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस उपचुनाव ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी एक काम सौंप दिया है। अब पारंपरिक सीट जैसे शब्दों का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। इस चुनाव में नेताओं के बड़बोलेपन का जवाब जनता ने दे दिया है। इससे पहले नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा था, जिसका केंद्र दिल्ली का जंतर मंतर था। किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए लोकतंत्र में विमर्श की जगह बनी हुई है, लेकिन इसके बजाय लाठी का इस्तेमाल किया गया। नीट परीक्षा के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पटना में भी लाठियां चलाई गईं। उपचुनाव में इसका असर भी दिखा। सत्तारूढ़ दल के नेताओं को बांकीपुर के नतीजे से सबक लेना चाहिए। लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं को न तो लाठी के दम पर झुकाया जा सकता है और न ही बड़बोलेपन से जनता के मुद्दों को दबाया जा सकता है।

– कुंदन कुमार, वाराणसी

बदलाव के संकेत

'कामयाबी का मैदान' (संपादकीय, 4 अगस्त) पढ़ा। इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 39 पदक जीत कर तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। यह भारतीय खेल जगत की बढ़ती क्षमता और खिलाड़ियों के समर्पण का प्रमाण है। विशेष रूप से जूडो, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी तथा एथलेटिक्स जैसी स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया कि देश अब पारंपरिक खेलों के साथ-साथ नए क्षेत्रों में भी अपने कौशल की पहचान बना रहा है। यह सफलता केवल पदकों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की खेल संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत भी है। इससे युवाओं में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ग्रामीण और छोटे शहरों की प्रतिभाओं को आगे आने की प्रेरणा मिलेगी तथा खेल अवसंरचना और प्रतिभा संवर्धन पर अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेग।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

प्रतिकूल प्रभाव

सरकार का दावा है कि अगर पेट्रोल में एथेनाल का मिश्रण नहीं किया गया होता, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के दौरान खुदरा पेट्रोल की कीमतें लगभग 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती थीं। मगर उपभोक्ताओं को कम दरें चुकानी पड़ीं, क्योंकि ईंधन के एक हिस्से को घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनाल से मिला कर पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रित रखा गया। सरकार का कहना है कि संकट के दौरान भी तेल की कीमत में मामूली वृद्धि की गई है। इस बीच, कई महीनों से देश भर में वाहन चालक और तकनीशियन 'माइलेज' कम होने तथा इंजन की क्षमता से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं। गाड़ियों पर लंबे समय तक पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। यही नहीं, वर्ष 2023 से पहले की गाड़ियों में भी कई गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि कोई भ्रम न रहे।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

संरक्षण को प्रोत्साहन

मध्य प्रदेश में धार जिले के मांडू की खुरासानी इमली को जीआइ टैग मिलने से रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही इसकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। दुर्लभ प्राकृतिक संपदा के रूप में खुरासानी इमली के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास जारी हैं। इसका तना काफी मोटा होता है और इसमें पानी जमा होता रहता है। विलुप्त होती प्रजातियों के पौधों के संरक्षण की दिशा में यह अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में इसे संरक्षित करना आवश्यक है, ताकि खुरासानी इमली हर जगह उपलब्ध हो सके। चौदहवीं शताब्दी में खुरासानी इमली मांडव लाई गई थी। इसके पेड़ कुछ इलाकों में दिखाई देते हैं। इस पौधे को गोद लेने का अभियान शुरू किया जाना चाहिए, ताकि इसे संरक्षित करने के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके।

– संजय वर्मा 'दृष्टि', धार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चिंतन

सरकार युवाओं की आवाज सुने

जब बड़ी संख्या में देश के युवा किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी हर बात से सहमत होना सरकार के लिए जरूरी नहीं, लेकिन उनकी बात सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है, मौजूदा दौर में सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। विरोध को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर बल प्रयोग से दबाने के बजाय उसके पीछे के असंतोष को समझना लोकतांत्रिक शासन की पहली कसौटी होनी चाहिए। अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी जैसे रास्ते पर चले भी जाएं तो उन्हें केवल बल प्रयोग से नहीं, समझाने और काउंसलिंग के जरिए शांत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से संयम बरतने की सलाह देते हुए, कोर्ट ने सरकार को भी आक्रामक रवैये से बचने को कहा है। यह संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विरोध व हिंसा के बीच एक स्पष्ट रेखा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति पर हमला, पत्थरबाजी या कानून तोड़ना स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुनौती यह है कि राज्य इस फर्क को समझते हुए ऐसी नीति बनाएं, जिसमें कानून का राज भी कायम रहे और युवाओं की नाराजगी को संवाद का रास्ता भी मिले। दमन से तत्काल शांति दिख सकती है, लेकिन संवाद ही स्थायी समाधान की नींव रखता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान की भावना के अनुरूप है, लेकिन हिंसा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। 20 जुलाई के संसद मार्च में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के घायल होने की घटना इसी संतुलन की जरूरत को सामने लाती है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्थागत मंच है। उसकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। यदि किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है, सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास होता है या पुलिस पर हमला किया जाता है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कानून सबके लिए समान है और आंदोलन की आड़ में हिंसा को वैध नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि किसी आंदोलन की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। सरकार यदि पहले ही संवाद का रास्ता खोल दे तो कई बार वह स्थिति पैदा ही नहीं होती जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना-सामना हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि संयम और संवाद दोनों को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाना चाहिए। पुलिस की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने की है, लेकिन बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और सुरक्षा व्यवस्था का सम्मान करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार को भी दोहरी नीति से बचना होगा। एक ओर हिंसा करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और दूसरी ओर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रहे। आज जरूरत युवाओं को डराने की नहीं, उन्हें भरोसा देने की है। उनकी बात सुनी जाए, असहमति को लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाए और जहां शिकायत जायज हो, वहां समाधान की पहल हो। सरकार अगर युवाओं की आवाज सुनेगी तो उसे सड़कों पर टकराव कम और लोकतंत्र में भरोसा ज्यादा मिलेगा। यही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।

अभियान
राजकुमार सिंह

सख्ती से ही संभव नशामुक्त भारत

'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन नशे जैसी गहरी सामाजिक और आपराधिक समस्या का इलाज केवल जागरूकता से संभव नहीं। युवाओं को खेल, कला और संस्कृति से जोड़कर नशे से दूर रखने की कोशिश जरूरी है, मगर इसके साथ नशे की आपूर्ति करने वाले संगठित तंत्र पर कठोर प्रहार भी उतना ही अनिवार्य है। सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर देश के महानगरों और छोटे कस्बों तक ड्रग्स की उपलब्धता बताती है कि तस्करी का नेटवर्क अभी भी मजबूत है। इसलिए नशामुक्ति का संकल्प तभी सफल होगा, जब सरकार जागरूकता के साथ तस्करों, भ्रष्ट संरक्षण तंत्र और नशे के कारोबार की पूरी श्रृंखला पर निर्णायक कार्रवाई करे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत' संकल्प अभियान का स्वागत किया जाना चाहिए, पर तेजी से नासूर बनती जा रही इस समस्या का समाधान मात्र संदेश नहीं, सख्ती से ही संभव होगा। इस अभियान के अंतर्गत 100 सप्ताह तक हर रविवार को खेल, कला और संस्कृति आदि गतिविधियों के माध्यम से देश भर में युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सामाजिक संस्थाओं और औद्योगिक संगठनों के अलावा 100 से भी ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के सहयोग से यह अभियान चलाया जायेगा। जागरूकता की दृष्टि से यह निश्चय ही एक बड़ा अभियान होगा। तेजी से युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही नशे की लत के विरुद्ध जागरूकता अभियान की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, पर स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई दुश्मन देशों की आतंकी साजिश का हिस्सा है। ऐसे में 100 रविवार जागरूकता अभियान मात्र चला कर नशामुक्त भारत का सपना आशावाद का ज्यादा नजर आता है। बेशक नशे की समस्या भारत में हाल-फिलहाल पैदा नहीं हुई। कभी पूर्वोत्तर से शुरू यह लत सीमावर्ती पंजाब और पड़ोसी हरियाणा तक पहुंच चुकी है। इससे अछूता रहने का दावा तो शायद ही कोई राज्य कर पाये, क्योंकि गुजरात के बंदरगाहों तक पर बड़ी-बड़ी खेप जब्त हुई हैं।

प्रधानमंत्री का दावा है कि ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई पहले की तुलना में कई गुणा बढ़ी है, लेकिन तरह-तरह के ड्रग्स की देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी सहज उपलब्धता सरकारी कार्रवाई को नाकाफी ही साबित करती है। यह तो खुला रहस्य है कि तमाम तरह का नशा सीमा पार से तस्करी हो कर ही भारत आता है। भारत की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर यह काम दशकों से चल रहा है। सच यह भी है कि ड्रग्स तस्करी अब आतंकवादियों की फंडिंग का भी बड़ा स्रोत बन चुकी है। नापाक पड़ोसी पाकिस्तान हमारे देश में नशा तस्करी का एकमात्र स्रोत तो नहीं है, लेकिन शायद सबसे बड़ा स्रोत वही है। दरअसल विभाजन के जरिये अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध बहुआयामी छद्म युद्ध छेड़ रखा है। कश्मीर से पंजाब तक पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद का पालन-पोषण कर रहा है, बल्कि उसके लिए धन भी नशा तस्करी और जाली करंसी के जरिये भारत से ही जुटा रहा है। कहना नहीं होगा कि नशा तस्करी जहां भारतीय युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना रही है, वहीं जाली करंसी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है। बेशक भारत इस सबसे अनभिज्ञ नहीं है और हरसंभव कदम भी उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी दुष्चक्र को पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सका है। सीमावर्ती पंजाब में युवाओं को नशे ने इस कदर खोखला कर दिया है कि उस पर 'उड़ता पंजाब' फिल्म भी बन चुकी है। पिछले कई चुनाव से पंजाब में नशा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और पुलिस से ले कर राजनेताओं तक पर तस्करी में संलिप्तता के आरोप भी

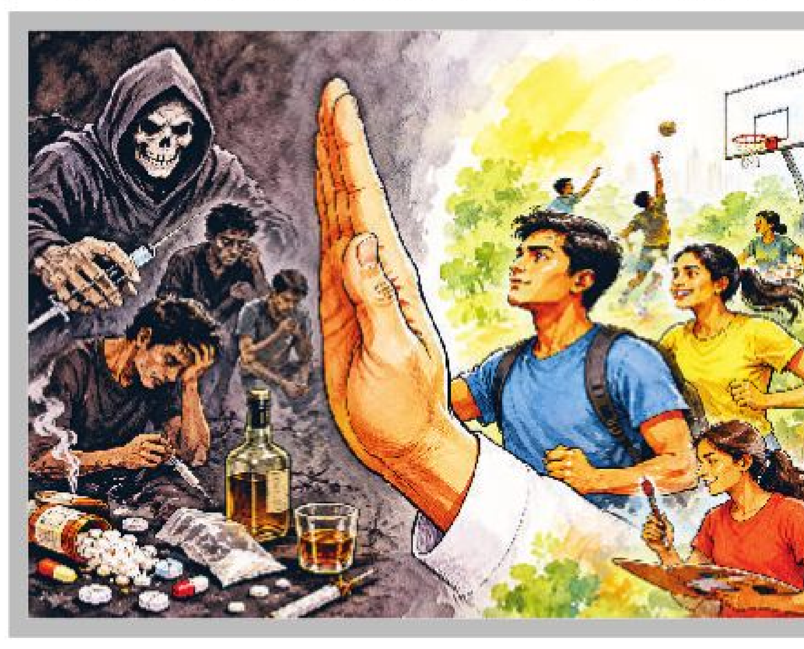

लगते रहे हैं, पर उससे मुक्ति का वायदा अभी तक कोई भी सरकार वफा नहीं कर पाई है। युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। फिर भारत तो है ही युवा आबादी बहुल देश। ऐसे में युवाओं के नशे के दलदल में फंसने का दुष्प्रभाव देश के वर्तमान ही नहीं, भविष्य पर भी दूरगामी होगा। तमाम तरह के नशे जिस तेजी से भारतीय युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं, उसके आंकड़े डरावने हैं, पर उस पर अपेक्षित चिंता सरकारों और उनकी एजेंसियों में नजर आती नहीं। भारत का संविधान 'मद्य निषेध' की सोच रखता है, पर देश में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग शराब पीते हैं, जिसकी जायज बिक्री के एवज में सरकारें मोटा राजस्व वसूलती हैं और शराब की बोतल एवं दुकानों पर चेतावनी लिखवा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती हैं। देश में लगभग तीन करोड़ लोग गांजे का सेवन करते हैं, जबकि दो करोड़ के आसपास हेरोइन आदि ड्रग्स का नशा करते हैं। आंकड़े तब और भी डरावने हो जाते हैं, जब पता चले कि इन नशाखोरों में किशोर और युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हैं।

जाहिर है, नशा तस्करी जहां कानूनी चुनौती है, वहीं नशाखोरी एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गयी है, जिससे परिवार तबाह हो रहे हैं। इस समस्या से लड़ने और उबरने में मदद के लंबे-चौड़े दावे भी किये जाते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि नशे की लत के शिकार 80-90 प्रतिशत लोगों को तो इलाज ही नहीं मिल पाता। ज्यादातर नशा मुक्ति केंद्र भी यातना केंद्र बन गए हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ही लगभग पौने छह करोड़ लोग शराब पीने से होनेवाली समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत 3.1 लीटर थी, जो 2023 में 3.2 लीटर हो गई और 2028 में 3.4 लीटर हो जाने की संभावना है। भारत में 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया शराब का बाजार बताता है कि कारोबारी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और सरकारें भरपूर राजस्व वसूल रही हैं। अन्य ड्रग्स का कारोबार गैर कानूनी है, इसलिए उसकी बाबत ऐसे ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि चोरी छिपे बिकनेवाली चीज मुंह मांगी कीमत पर ही मिलती है और उसके कारोबार से होनेवाला मुनाफा भी अकूत होता है। तभी तो लोग ऐसे जोखिमभरे कारोबार में दांव लगाते हैं और पुलिस-प्रशासन से ले कर खरीददारों तक अपना नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे में नशाखोरी का मर्ज तेजी से नासूर ही बनता जा रहा है। वैसे तो इलाज की कोई ईमानदार कोशिश नजर आती नहीं, फिर भी सरकारी दावों पर भरोसा करें तो कहना पड़ेगाः 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की', पर अब तो मर्ज इलाज की हद से गुजर चुका है। अब इसकी शल्य चिकित्सा ही हो सकती है, जिसके लिए सबसे पहले व्यवस्था की शल्य चिकित्सा करनी होगी, क्योंकि बिना व्यवस्था के संरक्षण के ड्रग्स तस्करी सरीखा संगठित आपराधिक कारोबार भारत में फल-फूल ही नहीं सकता था। पूर्वोत्तर से ले कर पंजाब तक राजनेताओं और पुलिस-प्रशासन की संलिप्तता की चर्चाएं आम रही हैं, लेकिन इन खास लोगों की लगाम कसने का साहस अभी तक तो किसी ने नहीं दिखाया।

अगर प्रधानमंत्री मोदी नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही भ्रष्ट व्यवस्था की शल्य चिकित्सा भी कर पाये, तो अवश्य नशा मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। कोई भी देश अपने नागरिकों से ही विकसित बनता है। जब देश के नागरिक स्वस्थ्य, सभ्य तथा सामाजिक -आर्थिक रूप से खुशहाल होंगे, तभी सही मायने में विकसित भारत का सपना साकार हो पाएगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष
डॉ.रमेश ठाकुर

'हिरोशिमा त्रासदी' की विभीषिका का दर्द

मानव इतिहास में '6 अगस्त 1945' की मनहूस तारीख को शायद ही कोई भूल पाए। 'हिरोशिमा दिवस' के रूप में मनाई जाती है ये तारीख। इस तारीख में सिर्फ तबाही लिखी थी। तारीख में ऐसा मुकर्रर वक्त था, जिसने मात्र 16 मिनट के भीतर 1,30,000 लोगों की सांसें एक साथ रोकी थी। हताहतों का आकंड़ा फिलहाल सरकारी है, पर वास्तिवक संख्या इससे कहीं अधिक बताई जाती है। हिरोशिमा पर किए परमाणु हमले में मरने वालों में बूढ़े, बच्चे, नौजवान, औरतें भी थीं। सुबह करीब 8:15 बजे अमेरिका ने हिरोशिमा पर अपने 'बी-29 'एनाला गे' विमान द्वारा आसमान से परिमाणु बमों की बारिश करके पूरा शहर जिंदा जला दिया था। घटना के वक्त ज्यादातर लोग सोए हुए थे, परमाणु बम ने उन्हें सोता ही मार दिया। हिरोशिमा में जब परमाणु बम फोड़ा गया, तो जापानियों को लगा कि सूरज फटा है। जबकि, वह सूरज नहीं, बल्कि तथाकथित विकसित, सभ्य और मुट्ठी भर लोगों का निर्णय तथा एक महाशक्ति द्वारा निर्मित कृत्रिम सूरज था, जिसकी आग में लाखों निर्दोष लोग भाप बनकर चंद मिनटों में उड़ गए। घटना का सामूहिक हत्यारा अमेरिका था। अगस्त माह की जब 6 तारीख आती है या फिर परमाणु हथियारों की बढ़ती तादात पर वैश्विक मंचों पर विमर्श होता है, तो जापान की दिल दहला देने वाली यह घटना आंखों के सामने अनायास उमड़ पड़ती हैं। घटना को श्रद्धांजलि के तौर पर ही सालाना 6 अगस्त को 'हिरोशिमा दिवस' के रूप में विश्व मनाता है। यह दिन उन मुल्कों को संकल्पित होने को आहवान भी करवाता है, जो परमाणु बम फोड़ने की अनावश्यक धमकी दिया करते हैं। साथ ही अहिंसा, त्रासदी, को छोड़कर भाईचारा अपनाने और शांति के पथ पर चलने को जागरूश्क भी करता है। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पर गिराए गए अलग-अलग तारीखों पर परमाणु बम की यह कहानी काले अध्याय के रूप में तबतक दर्ज रहेगी, जबतक दुनिया इस धरती पर वास करेगी। 6 अगस्त को गिराए पहले बम का नाम 'एनाला गे' था। वहीं, 9 अगस्त वाले बम का नाम 'लिटिल बॉय' यानी यूरेनियम-आधारित परमाणु बम था। जापान का जब तक अस्तित्व रहेगा, उनके लोग अमेरिका को माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान, अमरिका जैसे मुल्क आज भी परमाणु बमों को फोड़ने की धमकी देते हैं। इसलिए हिरोशिमा दिवस उनके लिए चेतावनी के अलावा सीख जैसा भी है। हिरोशिमा की घटना को आज 81 वर्ष हो गए, लेकिन दुर्भाग्य संसार आज भी युद्ध-हिंसा में संलग्न है। यूं कहें कि परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठा है। हाल में, अमेरिका द्वारा ईराक पर परमाणु हमले की धमकी देना, दुनिया भर में बढ़ती हिंसा की घटनाएं और हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ के बीच हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि हम हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं से क्या कुछ सबक सीख पाए या नहीं? 81 साल पहले 2,50,000 हजार लोगों को मारकर भी अमेरिका को शांति नहीं मिली? अमेरिका की दादागिरी को जवाब देने का वक्त आ चुका है इसके लिए वैश्विक स्तर पर सभी मुल्कों को एकजुट होना होगा। साथ ही परमाणु हथियारों के निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की दिशा में सभी देशों को सामूहिक पहल करने की जरूरत है। गौरतलब है कि हिरोशिमा त्रासदी की ये तारीख निरस्त्रीकरण और आदर्शवादी की वह अवधारणा है जो पूरी तरीके से हथियारों की समाप्ति का समर्थन करती है। हालांकि, निरस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण कोई नई घटना नहीं है। इसको सर्वव्यापी मान्यता भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिली हो। पर, इसका मौजूदा वक्त में नियंत्रण खुराफाती मुल्कों ने खत्म कर दिया है। जबकि, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रों के मध्य निरस्त्रीकरण के लिए बकायदा समझौते भी हुए थे। हथियारों की मात्रा को घटाने में बहुत कुछ करने की जरूरत है। एकाध देश कुछ नहीं कर सकते। सभी को आगे आना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद कभी कोई प्रयोग नहीं किया। भारत सदैव इस बात का पक्षधर रहा है कि परमाणु हथियारों का बेजा इस्तेमाल कभी ना किया जाए। इस मसले पर 26 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। उसके एक साल बाद फरवरी 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद द्वारा परंपरागत हथियार आयोग की स्थापना भी की गई। सन 1952 में महासभा ने उपर्युक्त दोनों आयोगों को संयुक्त करके निरस्त्रीकरण आयोग के नाम से एक नया आयोग भी बनाया। आयोग को परंपरागत और परमाणु दोनों प्रकार के हथियारों के नियमन के संदर्भ में संधि के प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मकसद सफल नहीं हुआ।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गलतियों को खुले मन से स्वीकार करें

संकलित
दर्शन

कार्य संपन्न होने की प्रक्रिया में कदाचित त्रुटियां रह सकती हैं, भले ही कार्य निष्ठा से किया जाए। अगर कोई आपके किए-कराए में चूक निकाले, उस पर टिप्पणी करे तो नाराज होने के बजाय उसे खुलेमन से स्वीकार करें। वैसे आप गलतियां करने से तभी बच पाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे। अपने अवगुण या खोट को स्वीकार करना श्रेष्ठ मानवीय गुण है। औसत सोच का व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। अवांछनीय या अनुचित कार्य की अनदेखी का अर्थ है संशोधन के द्वार बंद कर देना। सर्वगुणसंपन्न व्यक्ति तो साक्षात देवता है। भूल-चूक की स्वीकारोक्ति प्रगति की राह में पहला चरण है। इस प्रक्रिया में आप अनेक व्यक्तियों का विश्वास जीतते हैं। जिस सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं, उसे बदलेंगे कैसे? जिसे अपनी अपूर्णताओं का आभास नहीं वह मूर्ख नहीं, बल्कि दयनीय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर नहीं कर सकेगा। जिस सीमा तक हम अपनी अपूर्णताओं और अवांछनीय व्यवहार के प्रति सजग रहेंगे और समाधान की ओर अग्रसर रहेंगे, उसी अनुपात में हम नैतिक रूप से समृद्ध होंगे। व्यावहारिक जीवन में संयमी, संयत व्यक्ति से भी भूल-चूक हो जाती है। उन्नत सोच का व्यक्ति अपनी भूल को तुरंत स्वीकार कर लेगा। मध्यम सोच वाले को गलती का अहसास तो होगा, वह मन में कुढ़ेगा भी, किंतु लज्जित होने की आशंका से वह गलती को खुलेआम नहीं मानेगा। अपनी छवि के प्रति अत्यंत चौकस अधिसंख्य व्यक्ति अपने गलत कार्य या कथन की वैसी संरक्षा करेंगे जैसे सद्गुण या शील दांव पर हो।

जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों?

संकलित
प्रेरणा

एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर-उधर भागने लगी। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम हुई थी। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे-धीरे धंसने लगी। बाघ भीधीरे-धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूं। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहां पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलकुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया।

अंतर्मन

आज की पाती

सरकारी धन का उचित प्रयोग करें सरकारें

देश में बहुत से राज्यों के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जैसे कि कहीं सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं अर्थात सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए इलाज की सुविधाएं नहीं, कहीं स्ट्रीट लाइट, कहीं सफाई व्यवस्था, कहीं पीने वाले पानी की समस्या, कहीं टूटी सड़के, लेकिन इनमें से कुछ राज्य बेवजह ही सरकारी पैसे को मुफ्त में लोगों को बांट रहे हैं। अगर इस सरकारी पैसे को ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जाए तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, जो लोगों की साफ-सफाई, गरीबों को बीमारियों और अन्य बहुत सी समस्याओं को हल करेंगी। इसी तरह बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन कम से कम 5000 रुपए प्रति माह होनी चाहिए। - *मदन साहू, सरायपाली*

ट्रेंड

व्यापक बदलाव

सात वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 और 35ए इतिहास बन गए, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास की नई शुरुआत हुई। दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी व लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिला। **-नरेंद्र मोदी**, पीएम

शीर्ष कोर्ट में 38 जज होंगे

न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, संवैधानिक एवं कानूनी व्याख्या के उभरते नए सवालों को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना समय की मांग है। अब शीर्ष अदालत में प्रधान न्यायायाधीश को मिलाकर कुल 38 न्यायाधीश हो जाएंगे। **-अर्जुन राम मेघवाल**, केंद्रीय मंत्री

गृहमंत्री जिम्मेदार

छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए भारत के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उनमें न तो संसद में आकर इस मुद्दे पर बोलने का शिष्टाचार है और न ही यह बताने का साहस कि आखिर क्या हुआ। मुझे युवाओं और उन नौजवानों पर गर्व है, जिन्होंने संविधान, भारत की अवधारणा व देश के भविष्य की रक्षा के लिए आवाज उठाई। **-राहुल गांधी**, नेता विपक्ष

बुनियादी ढांचे का निर्माण

जेन-जेड को यह जानना चाहिए। महज 12 वर्षों में भाजपा-नीत सरकार ने भारत के आधुनिक बुनियादी ढांचे का 60-70 प्रतिशत से अधिक निर्माण किया है। शेष 30-40 प्रतिशत का निर्माण कांग्रेस-नीत सरकारों के करीब 60 वर्षों के शासन के दौरान हुआ। **-पेमा खांडू**, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश

करंट अफेयर

मैसाचुसेट्स ने 15 अगस्त को 'इंडिया डे' किया घोषित

मैसाचुसेट्स की गवर्नर मॉरा हेली ने राज्य के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता देते हुए 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया है और राज्य के निवासियों से इस अवसर के आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया। एक अगस्त को जारी सरकारी आदेश में गवर्नर ने यह भी कहा कि सामुदायिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोहों तथा सामुदायिक सेवा गतिविधियों के माध्यम से नागरिक भागीदारी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह की घोषणा बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने भी की है। उन्होंने भी 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया है। उन्होंने बोस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के नए कार्यालय के उद्घाटन का स्वागत किया और 'सेलबोस्टन-250' कार्यक्रम में भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस सुदर्शिनी के आगमन पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मैसाचुसेट्स की गवर्नर द्वारा जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 को भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से 1947 में मिली आजादी की 79वीं वर्षगांठ होगी।

ऑफ बीट

जाने कुछ ब्लैक होल दूसरों से बड़े क्यों?

ब्लैक होल घने खगोलीय पिंड होते हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी खुद में समेट लेते हैं, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता है। जो कुछ भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा को पार करेगा, वह ब्लैक होल में गिर जाएगा। इस गहरे, घने गड्ढे के अंदर, इसे फिर कभी नहीं देखा जा सकेगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड में यहां-वहां फैले रहते हैं। हमारी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगाओं में कुछ छोटे ब्लैक होल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं। अन्य विशाल ब्लैक होल, जिन्हें 'सुपरमैसिव' ब्लैक होल कहा जाता है, आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित हैं। इनका वजन हमारे सूर्य के द्रव्यमान से दस लाख से एक अरब गुना तक हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे : खगोलशास्त्री संभवत: इतनी अंधेरी और इतनी बड़ी चीज़ कैसे देख सकते हैं? मैं एक खगोलशास्त्री हूं जो हमारे ब्रह्मांड में बने पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल का अध्ययन करता है। मैं यह समझना चाहता हूं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और वे किस प्रकार के खगोलीय माहौल में विकसित होते हैं। दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, अल्बर्ट आइंस्टीन और कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सबसे पहले ब्लैक होल का विचार प्रस्तुत किया था।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।